



मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 51]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 20 दिसम्बर 2013-अग्रहायण 29, शके 1935

भाग 3 (1)

विज्ञापन

अन्य सूचनाएं

जाहिर सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि भागीदारी फर्म मेसर्स डेको लाइट इण्डस्ट्रीज, 73, पोलोग्राउंड, इण्डस्ट्रीयल स्टेट, इन्दौर में पूर्ण भागीदार—1. श्री जसवंतलाल पिता बोतलालजी जैन, 2. श्रीमती शकुंतला पति नरेन्द्रजी वैद्य, 3. श्रीमती ममता पति अरुणजी गोयल भागीदार थे। उक्त भागीदार में दिनांक 27 सितम्बर, 2012 को भागीदारी परिवर्तन कर नए भागीदार—श्री रसिकलालजी जैन पिता जसवंतलाल जैन को शामिल किया गया है एवं उक्त भागीदारी में श्रीमती शकुंतला पति नरेन्द्रजी वैद्य एवं श्रीमती ममता पति श्री अरुणजी गोयल भागीदारी से पृथक् हुए हैं।

इस विषय में सूचित किया जाता है कि उक्त फर्म डेको लाइट इण्डस्ट्रीज में आज से श्री जसवंतलाल पिता बोतलालजी जैन एवं श्री रसिकलाल पिता जसवंतलालजी जैन ही भागीदार रहेंगे एवं फर्म की लेन-देन की समस्त जिम्मेदारी इन्हीं की रहेगी।

इस विषय में कोई भी आपत्ति हो, तो वे सूचना के छपने के 15 दिवस तक आपत्ति पेश करें।

जसवंतलाल बोतलाल जैन,
रसिकलाल जसवंतलाल जैन,
भागीदार।

मैसर्स डेको लाइट इण्डस्ट्रीयल स्टेट,
इन्दौर (म. प्र.).

(465-बी.)

नाम परिवर्तन

मैं, युसुफ अली ने अपना नाम परिवर्तन कर युसुफ अली शकर्खाला कर लिया है। अतः अब से मुझे इसी नाम से जाना जावे।

पुराना नाम :

(युसुफ अली)

(466-बी.)

नया नाम :

(युसुफ अली शकर्खाला)

5, बदरीबाग कॉलोनी,
इन्दौर (म. प्र.).

CHANGE IN NAME

I, Anil Kishore hereby declare that I have change my name as Anil Rawat S/o Lakanlal Rawat. So, from now and in future. I will be known by my new name.

Old Name :

(ANIL KISHORE)

(467-B.)

New Name :

(ANIL RAWAT)

S/o Lakanlal Rawat,
Add.—26/2, Manorama Ganj,

Indore (M.P.).

नाम परिवर्तन

मैं, श्रीमती सुलेखा सिंह पत्नी श्री शैलेन्द्र सिंह सूचित करती हूँ कि मेरा नाम हाईस्कूल एवं इंटर की अंकसूची में सुलेखा सागर अंकित है और अन्य दस्तावेजों में भी मेरा नाम सुलेखा सागर सिंह अंकित है। अब मैंने अपना नाम सुलेखा सागर के स्थान पर सुलेखा सिंह कर लिया है। सूचना प्रकाशन के बाद मुझे इसी नाम से जाना—पहचाना जाये तथा शासकीय अभिलेखों में अंकित किया जाये।

पुराना नाम :

(सुलेखा सागर)

(464-बी.)

नया नाम :

(सुलेखा सिंह)

पत्नी श्री शैलेन्द्र सिंह,
निवासी—एलआईजी 985, दर्पण कॉलोनी,
थाटीपुर, मुरार, ग्वालियर-474011.

नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे कुछ प्रमाण-पत्रों में मेरा नाम रविन्द्र प्रताप पुत्र श्री जगदीश प्रसाद अंकित है, जबकि मेरा वास्तविक नाम रविन्द्र प्रताप राय पुत्र श्री जगदीश प्रसाद राय है। अतः भविष्य में मुझे इसी नाम से जाना एवं पहचाना जावे।

पुराना नाम :

(रविन्द्र प्रताप)

(463-बी.)

नया नाम :

(रविन्द्र प्रताप राय)

पुत्र श्री जगदीश प्रसाद राय,
पता—जी एम 04, दीनदयाल नगर,
ग्वालियर (म. प्र.).

विविध**अन्य सूचनाएं**

कार्यालय उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला भोपाल

भोपाल, दिनांक 29 अगस्त, 2013

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-53 (2) के अन्तर्गत]

अंतिम कारण बताओ सूचना-पत्र

क्र./विधि/2013/2148.

प्रति,

- | | |
|--|-----------|
| 1. श्री ममनून खान, 32, रफीकिया नूरमहल रोड, भोपाल | अध्यक्ष |
| 2. श्री दमदार पंडित, बावड़िया कला, भोपाल | उपाध्यक्ष |
| 3. श्री सलमान अख्तर, 42, शाहजहांनाबाद, भोपाल | संचालक |
| 4. श्री मुमताज मलिक, 57, शाहजहांनाबाद, भोपाल | संचालक |

5. श्री जावेद अख्तर, 14, शाहजहांनाबाद, भोपाल	संचालक
6. श्री मोहन अहूजा, एफ-303, गुलमोहर, भोपाल	संचालक
7. श्री एजाज मलिक, 92, नूर महल रोड, भोपाल	संचालक
8. श्री शशांक दीक्षित, ई-1/200 अरेरा कॉलोनी, भोपाल	संचालक
9. श्रीमती सुचित्रा राव, ई-8, भरत नगर, भोपाल	संचालक
10. श्रीमती रस्नी देवी, बी-20 रायल रेसीडेंसी, भोपाल	संचालक
द्वारा— श्री ममनून खान, अध्यक्ष शादाब गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्यादित, भोपाल.	
पता— 32, रफीकिया, नूरमहल रोड, भोपाल.	

शादाब गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्यादित, भोपाल पंजीयन क्रमांक/डी.आर.बी./306/दिनांक 04 नवम्बर, 1982 के प्रकरण में न्यायालय संयुक्त पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, भोपाल संभाग, भोपाल के प्रकरण क्रमांक/78-50/12-13 में दिनांक 18 फरवरी, 2013 को पारित आदेशानुसार संस्था के संचालक मण्डल को पुनः अपना पक्ष समर्थन करने हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र क्रमांक/विधि/2013/984, दिनांक 25 अप्रैल, 2013 जारी किया जाकर पेशी दिनांक 07 मई, 2013 नियत की गई थी। नियत दिनांक को संस्था की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ।

प्रकरण में पुनः सुनवाई हेतु आगामी पेशी दिनांक 26 अगस्त, 2013 नियत की जाकर सूचना-पत्र पंजीकृत डाक द्वारा भेजा गया जो बगैर तामिली ताला लगा हुआ है कि टीप सहित वापस प्राप्त हुआ है। अतः प्रकरण में आगामी पेशी दिनांक 05 अक्टूबर, 2013 नियत की जाती है। नियत दिनांक पर पक्ष समर्थन न करने की स्थिति में यह मानते हुये कि प्रकरण में जारी सूचना-पत्र में उल्लेखित बिन्दुओं के संबंध में आपको कुछ नहीं कहना है अंतिम आदेश पारित कर दिया जावेगा।

उक्त सूचना समाचार-पत्र के माध्यम से संबंधितों को दी जाती है।

आर.एस. विश्वकर्मा,
उप-पंजीयक।

(701)

कार्यालय परिसमापक, मध्यप्रदेश राज्य तिलहन उत्पादक सहकारी संघ मर्यादित, भोपाल

दिनांक 22 नवम्बर, 2013

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम, 1962 के नियम 57 (ग) के अन्तर्गत]

क्र./ति.सं./परि./2013/1206.—मध्यप्रदेश राज्य तिलहन उत्पादक सहकारी संघ मर्यादित, भोपाल, तहसील हुजूर, जिला भोपाल जिसका पंजीयन क्रमांक 164, दिनांक 03 अक्टूबर, 1979 है, को आयुक्त सहकारिता एवं पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, मध्यप्रदेश के आदेश क्र./विष/तेप्र/2013/1805, भोपाल, दिनांक 12 नवम्बर, 2013 द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अंतर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है।

अतः मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम क्रमांक 57 (ग) के अंतर्गत उक्त संघ के समस्त दावेदारों को एतद्वारा सूचित किया जाता है कि वे संघ के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन की दिनांक से दो माह के अंदर मय प्रमाण के यदि हो तो मुझे लिखित रूप से प्रस्तुत कर सकते हैं। त्रुटि की दशा में दावेदार किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने के दायित्वाधीन होंगे। यदि दो माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा (क्लेम) मान्य नहीं किया जावेगा एवं संघ की लेखा पुस्तकों में लेखाबद्ध समस्त दायित्व स्वयमेव मुझे विधिवत् प्रस्तुत किये समझे जावेंगे।

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 22 नवम्बर, 2013 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(702)

प्रकाश खरे,
परिसमापक।

कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला शिवपुरी

मत्स्य उद्योग सहकारी संस्था मर्या., ककरौआ, तहसील पोहरी, पंजीयन क्र. 472, दिनांक 26 दिसम्बर, 2002 के परिसमापक श्री ए. के. पाराशर, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक द्वारा उपरोक्त संस्था का सदस्यों के हितों की दृष्टि से कार्यशील किये जाने का प्रस्ताव अपनी अनुशंसा सहित इस कार्यालय में प्रस्तुत किया है। जिससे सहमत होते हुए पूर्व आदेश क्र./परि./1372, दिनांक 30 नवम्बर, 2011 को निरस्त किया जाकर मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (4) के अंतर्गत परिसमापन से मुक्त किया जाता है। संस्था के कारोबार चलाने हेतु 3 माह के लिये

निम्नांकित सदस्यों की प्रबंध समिति नामांकित की जाती है। नामांकित प्रबंध समिति तीन माह के भीतर नियमानुसार निर्वाचन हेतु कार्यवाही करवाएगी।—

1. श्रीधर बाथम	अध्यक्ष
2. रामेश्वर बाथम	उपाध्यक्ष
3. मातादीन बाथम	सदस्य
4. विजय मोहन बाथम	सदस्य
5. महेश बाथम	सदस्य

(703-A)

कार्यालय उप-रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटीज, शिवपुरी

शिवपुरी, दिनांक 11 मार्च, 2013

क्र./परि./2013/574.—निम्नांकित सूची के कॉलम नंबर 2 में दर्शित एवं कॉलम नम्बर 3 के पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक वाली सहकारी समिति को (जिसे आगे समिति कहा गया है) मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत परिसमापन में लाते हुए धारा-70 (1) के अन्तर्गत कॉलम नम्बर 5 में दर्शित अधिकारी/कर्मचारी को कॉलम नम्बर 4 में दर्शित आदेश क्रमांक एवं दिनांक से परिसमापक नियुक्त किया गया था :—

क्रमांक	नाम परिसमापन समिति	पंजीयन क्रमांक व दिनांक	परिसमापन आदेश क्रमांक/दिनांक	परिसमापक का नाम एवं पद
1	2	3	4	5
1.	दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., चकश्रीपुर	245/14-03-1989	580/13-07-2010	श्री पी. सी. गुप्ता, सहकारी निरीक्षक.

चूँकि कॉलम नम्बर 2 में दर्शित समिति के कॉलम नम्बर 5 में उल्लेखित परिसमापक ने समिति की आस्तियों एवं दायित्वों का निराकरण कर पंजीयन निरस्त करने की अनुशंसा की है। परिसमापक द्वारा प्रस्तुत अंतिम प्रतिवेदन के अवलोकन से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि समिति का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित होगा।

अतएव मैं, एस. के. सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी समितियां, शिवपुरी, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग, भोपाल की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 से मुझे प्रत्यावर्तित रजिस्ट्रार की शक्तियों का अनुप्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत उपरोक्त सूची में वर्णित समिति का पंजीयन निरस्त करता हूँ। अब समिति का निगमित निकाय के रूप में अस्तित्व समाप्त हो गया है।

यह आदेश आज दिनांक 11 मार्च, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुहर सहित जारी किया गया।

(703)

निम्नांकित सूची के कॉलम नंबर 2 में दर्शित एवं कॉलम नम्बर 3 के पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक वाली सहकारी समिति को (जिसे आगे समिति कहा गया है) मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत परिसमापन में लाते हुए धारा-70 (1) के अन्तर्गत कॉलम नम्बर 5 में दर्शित अधिकारी/कर्मचारी को कॉलम नम्बर 4 में दर्शित आदेश क्रमांक एवं दिनांक से परिसमापक नियुक्त किया गया था :—

क्रमांक	नाम परिसमापन समिति	पंजीयन क्रमांक व दिनांक	परिसमापक की नियुक्ति आदेश क्रमांक/दिनांक	परिसमापक का नाम एवं पद
1	2	3	4	5
1.	दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., दीघोदी	177/31-03-1987	578/13-07-2010	श्री ए. के. एस. भदौरिया, अंकेक्षण अधिकारी।

चूंकि कॉलम नम्बर 2 में दर्शित समिति के कॉलम नम्बर 5 में उल्लेखित परिसमापक ने समिति की आस्तियों एवं दायित्वों का निराकरण कर पंजीयन निरस्त करने की अनुशंसा की है। परिसमापक द्वारा प्रस्तुत अंतिम प्रतिवेदन के अवलोकन से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि समिति का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित होगा।

अतएव मैं, एस. के. सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी समितियां, शिवपुरी, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग, भोपाल की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 से मुझे प्रत्यावर्तित रजिस्ट्रार की शक्तियों का अनुप्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत उपरोक्त सूची में वर्णित समिति का पंजीयन निरस्त करता हूँ। अब समिति का निगमित निकाय के रूप में अस्तित्व समाप्त हो गया है।

यह आदेश आज दिनांक 30 मार्च, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुहर सहित जारी किया गया।

(703-B)

निम्नांकित सूची के कॉलम नंबर 2 में दर्शित एवं कॉलम नम्बर 3 के पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक वाली सहकारी समिति को (जिसे आगे समिति कहा गया है) मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत परिसमापन में लाते हुए धारा-70 (1) के अन्तर्गत कॉलम नम्बर 5 में दर्शित अधिकारी/कर्मचारी को कॉलम नम्बर 4 में दर्शित आदेश क्रमांक एवं दिनांक से परिसमापक नियुक्त किया गया था :—

क्रमांक	नाम परिसमापन समिति	पंजीयन क्रमांक व दिनांक	परिसमापक की नियुक्ति आदेश क्रमांक/दिनांक	परिसमापक का नाम एवं पद
1	2	3	4	5
1.	आदर्श खाद बीज भण्डार संस्था मर्यादित, कोलारस.	140/28-07-1955	578/13-07-2010	श्री ए. के. एस. भदौरिया, अंकेक्षण अधिकारी।

चूंकि कॉलम नम्बर 2 में दर्शित समिति के कॉलम नम्बर 5 में उल्लेखित परिसमापक ने समिति की आस्तियों एवं दायित्वों का निराकरण कर पंजीयन निरस्त करने की अनुशंसा की है। परिसमापक द्वारा प्रस्तुत अंतिम प्रतिवेदन के अवलोकन से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि समिति का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित होगा।

अतएव मैं, एस. के. सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी समितियां, शिवपुरी, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग, भोपाल की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 से मुझे प्रत्यावर्तित रजिस्ट्रार की शक्तियों का अनुप्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत उपरोक्त सूची में वर्णित समिति का पंजीयन निरस्त करता हूँ। अब समिति का निगमित निकाय के रूप में अस्तित्व समाप्त हो गया है।

यह आदेश आज दिनांक 30 मार्च, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुहर सहित जारी किया गया।

(703-C)

शिवपुरी, दिनांक 11 जून, 2013

क्र./परि./2013/952.—निम्नांकित सूची के कॉलम नंबर 2 में दर्शित एवं कॉलम नम्बर 3 के पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक वाली सहकारी समिति को (जिसे आगे समिति कहा गया है) मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत परिसमापन में लाते हुए धारा-70 (1) के अन्तर्गत कॉलम नम्बर 5 में दर्शित अधिकारी/कर्मचारी को कॉलम नम्बर 4 में दर्शित आदेश क्रमांक एवं दिनांक से परिसमापक नियुक्त किया गया था :—

क्रमांक	नाम परिसमापन समिति	पंजीयन क्रमांक व दिनांक	परिसमापक की नियुक्ति आदेश क्रमांक/दिनांक	परिसमापक का नाम एवं पद
1	2	3	4	5
1.	मुद्रण एवं प्रकाशन सहकारी संस्था मर्यादित, शिवपुरी।	86/28-03-1966	2403/11-12-2012	श्री व्ही. आर. डण्डौतिया, व. स. नि.

चूंकि कॉलम नम्बर 2 में दर्शित समिति के कॉलम नम्बर 5 में उल्लेखित परिसमापक ने समिति की आस्तियों एवं दायित्वों का निराकरण कर पंजीयन निरस्त करने की अनुशंसा की है। परिसमापक द्वारा प्रस्तुत अंतिम प्रतिवेदन के अवलोकन से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि समिति का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित होगा।

अतएव मैं, एस. के. सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी समितियां, शिवपुरी, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग, भोपाल की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 से मुझे प्रत्यावर्तित रजिस्ट्रार की शक्तियों का अनुप्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत उपरोक्त सूची में वर्णित समिति का पंजीयन निरस्त करता हूँ। अब समिति का निगमित निकाय के रूप में अस्तित्व समाप्त हो गया है।

यह आदेश आज दिनांक 11 जून, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुहर सहित जारी किया गया।

(703-D)

शिवपुरी, दिनांक 11 जून, 2013

क्र./परि./2013/953.—निम्नांकित सूची के कॉलम नंबर 2 में दर्शित एवं कॉलम नम्बर 3 के पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक वाली सहकारी समिति को (जिसे आगे समिति कहा गया है) मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत परिसमापन में लाते हुए धारा-70 (1) के अन्तर्गत कॉलम नम्बर 5 में दर्शित अधिकारी/कर्मचारी को कॉलम नम्बर 4 में दर्शित आदेश क्रमांक एवं दिनांक से परिसमापक नियुक्त किया गया था :—

क्रमांक	नाम परिसमापन समिति	पंजीयन क्रमांक व दिनांक	परिसमापक की नियुक्ति आदेश क्रमांक/दिनांक	परिसमापक का नाम एवं पद
1	2	3	4	5
1.	हरिजन सहकारी संस्था मर्यादित, शिवपुरी।	767/23-05-1957	2404/11-12-2012	श्री व्ही. आर. डण्डौतिया, व. स. नि.

चूंकि कॉलम नम्बर 2 में दर्शित समिति के कॉलम नम्बर 5 में उल्लेखित परिसमापक ने समिति की आस्तियों एवं दायित्वों का निराकरण कर पंजीयन निरस्त करने की अनुशंसा की है। परिसमापक द्वारा प्रस्तुत अंतिम प्रतिवेदन के अवलोकन से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि समिति का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित होगा।

अतएव मैं, एस. के. सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी समितियां, शिवपुरी, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग, भोपाल की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 से मुझे प्रत्यावर्तित रजिस्ट्रार की शक्तियों का अनुप्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत उपरोक्त सूची में वर्णित समिति का पंजीयन निरस्त करता हूँ। अब समिति का निगमित निकाय के रूप में अस्तित्व समाप्त हो गया है।

यह आदेश आज दिनांक 11 जून, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुहर सहित जारी किया गया।

(703-E)

शिवपुरी, दिनांक 11 जून, 2013

क्र./परि./2013/954.—निम्नांकित सूची के कॉलम नंबर 2 में दर्शित एवं कॉलम नम्बर 3 के पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक वाली सहकारी समिति को (जिसे आगे समिति कहा गया है) मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत परिसमापन में लाते हुए धारा-70 (1) के अन्तर्गत कॉलम नम्बर 5 में दर्शित अधिकारी/कर्मचारी को कॉलम नम्बर 4 में दर्शित आदेश क्रमांक एवं दिनांक से परिसमापक नियुक्त किया गया था :—

क्रमांक	नाम परिसमापन समिति	पंजीयन क्रमांक व दिनांक	परिसमापक की नियुक्ति आदेश क्रमांक/दिनांक	परिसमापक का नाम एवं पद
1	2	3	4	5
1.	प्राथमिक कृषि सहकारी संस्था मर्यादित, झिरी नं. 1।	1806/22-02-1971	2425/11-12-2012	श्री ए. के. पाराशर, व. स. नि.

चूंकि कॉलम नम्बर 2 में दर्शित समिति के कॉलम नम्बर 5 में उल्लेखित परिसमापक ने समिति की आस्तियों एवं दायित्वों का निराकरण कर पंजीयन निरस्त करने की अनुशंसा की है। परिसमापक द्वारा प्रस्तुत अंतिम प्रतिवेदन के अवलोकन से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि समिति का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित होगा।

अतएव मैं, एस. के. सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी समितियां, शिवपुरी, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग, भोपाल की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 से मुझे प्रत्यावर्तित रजिस्ट्रार की शक्तियों का अनुप्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत उपरोक्त सूची में वर्णित समिति का पंजीयन निरस्त करता हूँ। अब समिति का निगमित निकाय के रूप में अस्तित्व समाप्त हो गया है।

यह आदेश आज दिनांक 11 जून, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुहर सहित जारी किया गया।

(703-F)

शिवपुरी, दिनांक 11 जून, 2013

क्र./परि./2013/955.—निम्नांकित सूची के कॉलम नंबर 2 में दर्शित एवं कॉलम नम्बर 3 के पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक वाली सहकारी समिति को (जिसे आगे समिति कहा गया है) मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत परिसमापन में लाते हुए धारा-70 (1) के अन्तर्गत कॉलम नम्बर 5 में दर्शित अधिकारी/कर्मचारी को कॉलम नम्बर 4 में दर्शित आदेश क्रमांक एवं दिनांक से परिसमापक नियुक्त किया गया था :—

क्रमांक	नाम परिसमापन समिति	पंजीयन क्रमांक व दिनांक	परिसमापक की नियुक्ति आदेश क्रमांक/दिनांक	परिसमापक का नाम एवं पद
1	2	3	4	5
1.	चर्म शोधन एवं चर्म कर्मी सहकारी संस्था मर्यादित, पोहरी।	127/31-11-1962	2530/11-12-2012	श्री ए. के. पाराशर, व. स. नि.

चूंकि कॉलम नम्बर 2 में दर्शित समिति के कॉलम नम्बर 5 में उल्लेखित परिसमापक ने समिति की आस्तियों एवं दायित्वों का निराकरण कर पंजीयन निरस्त करने की अनुशंसा की है। परिसमापक द्वारा प्रस्तुत अंतिम प्रतिवेदन के अवलोकन से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि समिति का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित होगा।

अतएव मैं, एस. के. सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी समितियां, शिवपुरी, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग, भोपाल की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 से मुझे प्रत्यावर्तित रजिस्ट्रार की शक्तियों का अनुप्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत उपरोक्त सूची में वर्णित समिति का पंजीयन निरस्त करता हूँ। अब समिति का निगमित निकाय के रूप में अस्तित्व समाप्त हो गया है।

यह आदेश आज दिनांक 11 जून, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुहर सहित जारी किया गया।

(703-G)

शिवपुरी, दिनांक 11 जून, 2013

क्र./परि./2013/956.—निम्नांकित सूची के कॉलम नंबर 2 में दर्शित एवं कॉलम नम्बर 3 के पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक वाली सहकारी समिति को (जिसे आगे समिति कहा गया है) मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत परिसमापन में लाते हुए धारा-70 (1) के अन्तर्गत कॉलम नम्बर 5 में दर्शित अधिकारी/कर्मचारी को कॉलम नम्बर 4 में दर्शित आदेश क्रमांक एवं दिनांक से परिसमापक नियुक्त किया गया था :—

क्रमांक	नाम परिसमापन समिति	पंजीयन क्रमांक व दिनांक	परिसमापक की नियुक्ति आदेश क्रमांक/दिनांक	परिसमापक का नाम एवं पद
1	2	3	4	5
1.	नवीन मत्स्योद्योग सहकारी संस्था मर्यादित, शिवपुरी।	105/17-01-1962	2397/11-12-2012	श्रीमती विनीता सक्सेना, सहकारी निरीक्षक।

चूंकि कॉलम नम्बर 2 में दर्शित समिति के कॉलम नम्बर 5 में उल्लेखित परिसमापक ने समिति की आस्तियों एवं दायित्वों का निराकरण कर पंजीयन निरस्त करने की अनुशंसा की है। परिसमापक द्वारा प्रस्तुत अंतिम प्रतिवेदन के अवलोकन से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि समिति का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित होगा।

अतएव मैं, एस. के. सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी समितियां, शिवपुरी, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग, भोपाल की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 से मुझे प्रत्यावर्तित रजिस्ट्रार की शक्तियों का अनुप्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत उपरोक्त सूची में वर्णित समिति का पंजीयन निरस्त करता हूँ। अब समिति का निगमित निकाय के रूप में अस्तित्व समाप्त हो गया है।

यह आदेश आज दिनांक 11 जून, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुहर सहित जारी किया गया।

(703-H)

निम्नांकित सूची के कॉलम नंबर 2 में दर्शित एवं कॉलम नम्बर 3 के पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक वाली सहकारी समिति को (जिसे आगे समिति कहा गया है) मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत परिसमापन में लाते हुए धारा-70 (1) के अन्तर्गत कॉलम नम्बर 5 में दर्शित अधिकारी/कर्मचारी को कॉलम नम्बर 4 में दर्शित आदेश क्रमांक एवं दिनांक से परिसमापक नियुक्त किया गया था :—

क्रमांक	नाम परिसमापन समिति	पंजीयन क्रमांक व दिनांक	परिसमापक की नियुक्ति आदेश क्रमांक/दिनांक	परिसमापक का नाम एवं पद
1	2	3	4	5
1.	वन विभाग वेतनभोगी सहकारी संस्था मर्यादित, शिवपुरी।	147/15-04-1964	2401/11-12-2012	श्री व्ही. डी. अग्रवाल, सह. वि. अधि., शिवपुरी।

चूंकि कॉलम नम्बर 2 में दर्शित समिति के कॉलम नम्बर 5 में उल्लेखित परिसमापक ने समिति की आस्तियों एवं दायित्वों का निराकरण कर पंजीयन निरस्त करने की अनुशंसा की है। परिसमापक द्वारा प्रस्तुत अंतिम प्रतिवेदन के अवलोकन से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि समिति का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित होगा।

अतएव मैं, एस. के. सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी समितियां, शिवपुरी, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग, भोपाल की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 से मुझे प्रत्यावर्तित रजिस्ट्रार की शक्तियों का अनुप्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत उपरोक्त सूची में वर्णित समिति का पंजीयन निरस्त करता हूँ। अब समिति का निगमित निकाय के रूप में अस्तित्व समाप्त हो गया है।

यह आदेश आज दिनांक 09 जुलाई, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुहर सहित जारी किया गया।

(703-I)

निम्नांकित सूची के कॉलम नंबर 2 में दर्शित एवं कॉलम नम्बर 3 के पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक वाली सहकारी समिति को (जिसे आगे समिति कहा गया है) मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत परिसमापन में लाते हुए धारा-70 (1) के अन्तर्गत कॉलम नम्बर 5 में दर्शित अधिकारी/कर्मचारी को कॉलम नम्बर 4 में दर्शित आदेश क्रमांक एवं दिनांक से परिसमापक नियुक्त किया गया था :—

क्रमांक	नाम परिसमापन समिति	पंजीयन क्रमांक व दिनांक	परिसमापक की नियुक्ति आदेश क्रमांक/दिनांक	परिसमापक का नाम एवं पद
1	2	3	4	5
1.	गायत्री प्राथमिक महिला उपभोक्ता सहकारी भण्डार मर्यादित, शिवपुरी।	387/29-11-1996	1376/30-11-2011	श्री आर. एन. गुप्ता, सहकारी निरीक्षक।

चूंकि कॉलम नम्बर 2 में दर्शित समिति के कॉलम नम्बर 5 में उल्लेखित परिसमापक ने समिति की आस्तियों एवं दायित्वों का निराकरण कर पंजीयन निरस्त करने की अनुशंसा की है। परिसमापक द्वारा प्रस्तुत अंतिम प्रतिवेदन के अवलोकन से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि समिति का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित होगा।

अतएव मैं, एस. के. सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी समितियां, शिवपुरी, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग, भोपाल की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 से मुझे प्रत्यावर्तित रजिस्ट्रार की शक्तियों का अनुप्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत उपरोक्त सूची में वर्णित समिति का पंजीयन निरस्त करता हूँ। अब समिति का निगमित निकाय के रूप में अस्तित्व समाप्त हो गया है।

यह आदेश आज दिनांक 09 जुलाई, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुहर सहित जारी किया गया।

(703-J)

निम्नांकित सूची के कॉलम नंबर 2 में दर्शित एवं कॉलम नंबर 3 के पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक वाली सहकारी समिति को (जिसे आगे समिति कहा गया है) मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत परिसमापन में लाते हुए धारा-70 (1) के अन्तर्गत कॉलम नंबर 5 में दर्शित अधिकारी/कर्मचारी को कॉलम नंबर 4 में दर्शित आदेश क्रमांक एवं दिनांक से परिसमापक नियुक्त किया गया था :—

क्रमांक	नाम परिसमापन समिति	पंजीयन क्रमांक व दिनांक	परिसमापक की नियुक्ति आदेश क्रमांक/दिनांक	परिसमापक का नाम एवं पद
1	2	3	4	5
1.	पुलिस विभाग वेतनभोगी सहकारी संस्था मर्यादित, शिवपुरी।	53/02-12-1962	2402/11-12-2012	श्री व्ही. डी. अग्रवाल, सह. वि. अधि., शिवपुरी।

चौंकि कॉलम नंबर 2 में दर्शित समिति के कॉलम नंबर 5 में उल्लेखित परिसमापक ने समिति की आस्तियों एवं दायित्वों का निराकरण कर पंजीयन निरस्त करने की अनुशंसा की है। परिसमापक द्वारा प्रस्तुत अंतिम प्रतिवेदन के अवलोकन से मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि समिति का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित होगा।

अतएव मैं, एस. के. सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी समितियां, शिवपुरी, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग, भोपाल की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 से मुझे प्रत्यावर्तित रजिस्ट्रार की शक्तियों का अनुप्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत उपरोक्त सूची में वर्णित समिति का पंजीयन निरस्त करता हूँ। अब समिति का निगमित निकाय के रूप में अस्तित्व समाप्त हो गया है।

यह आदेश आज दिनांक 09 जुलाई, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुहर सहित जारी किया गया।

(703-K)

निम्नांकित सूची के कॉलम नंबर 2 में दर्शित एवं कॉलम नंबर 3 के पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक वाली सहकारी समिति को (जिसे आगे समिति कहा गया है) मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत परिसमापन में लाते हुए धारा-70 (1) के अन्तर्गत कॉलम नंबर 5 में दर्शित अधिकारी/कर्मचारी को कॉलम नंबर 4 में दर्शित आदेश क्रमांक एवं दिनांक से परिसमापक नियुक्त किया गया था :—

क्रमांक	नाम परिसमापन समिति	पंजीयन क्रमांक व दिनांक	परिसमापक की नियुक्ति आदेश क्रमांक/दिनांक	परिसमापक का नाम एवं पद
1	2	3	4	5
1.	भूतपूर्व सैनिक गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्यादित, शिवपुरी।	275/22-01-1994	1574/13-07-2010	श्री विजय कुमार जैन, सहकारी निरीक्षक।

चौंकि कॉलम नंबर 2 में दर्शित समिति के कॉलम नंबर 5 में उल्लेखित परिसमापक ने समिति की आस्तियों एवं दायित्वों का निराकरण कर पंजीयन निरस्त करने की अनुशंसा की है। परिसमापक द्वारा प्रस्तुत अंतिम प्रतिवेदन के अवलोकन से मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि समिति का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित होगा।

अतएव मैं, एस. के. सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी समितियां, शिवपुरी, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग, भोपाल की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 से मुझे प्रत्यावर्तित रजिस्ट्रार की शक्तियों का अनुप्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी

सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत उपरोक्त सूची में वर्णित समिति का पंजीयन निरस्त करता हूँ। अब समिति का निगमित निकाय के रूप में अस्तित्व समाप्त हो गया है।

यह आदेश आज दिनांक 03 अगस्त, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुहर सहित जारी किया गया।

(703-L)

निमांकित सूची के कॉलम नंबर 2 में दर्शित एवं कॉलम नम्बर 3 के पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक वाली सहकारी समिति को (जिसे आगे समिति कहा गया है) मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत परिसमापन में लाते हुए धारा-70 (1) के अन्तर्गत कॉलम नम्बर 5 में दर्शित अधिकारी/कर्मचारी को कॉलम नम्बर 4 में दर्शित आदेश क्रमांक एवं दिनांक से परिसमापक नियुक्त किया गया था :—

क्रमांक	नाम परिसमापन समिति	पंजीयन क्रमांक व दिनांक	परिसमापक की नियुक्ति आदेश क्रमांक/दिनांक	परिसमापक का नाम एवं पद
1	2	3	4	5
1.	तृतीय एवं चतुर्थ ब्रेणी पुलिस कर्मचारी गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्यादित, शिवपुरी।	18/11-07-1994	574/13-07-2010	श्री विजय कुमार जैन, सहकारी निरीक्षक।

चौंकि कॉलम नम्बर 2 में दर्शित समिति के कॉलम नम्बर 5 में उल्लेखित परिसमापक ने समिति की आस्तियों एवं दायित्वों का निराकरण कर पंजीयन निरस्त करने की अनुशंसा की है। परिसमापक द्वारा प्रस्तुत अंतिम प्रतिवेदन के अवलोकन से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि समिति का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित होगा।

अतएव मैं, एस. के. सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी समितियां, शिवपुरी, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग भोपाल की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 से मुझे प्रत्यावर्तित रजिस्ट्रार की शक्तियों का अनुप्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत उपरोक्त सूची में वर्णित समिति का पंजीयन निरस्त करता हूँ। अब समिति का निगमित निकाय के रूप में अस्तित्व समाप्त हो गया है।

यह आदेश आज दिनांक 03 अगस्त, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुहर सहित जारी किया गया।

एस. के. सिंह,
उप-रजिस्ट्रार।

(703-M)

कार्यालय परिसमापक एवं सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, श्योपुर, जिला श्योपुर

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम, 1962 के नियम-57 (सी/ग) के अन्तर्गत]

श्योपुर जिले की निम्नलिखित सहकारी संस्थाओं को सहायक आयुक्त, सहकारिता, जिला श्योपुर द्वारा उनके नाम के समुख दर्शित आदेश से परिसमापन में लाया जाकर मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-70 (1) के अंतर्गत मुझे इन संस्थाओं का परिसमापक नियुक्त किया गया है, जो निम्नानुसार है :—

क्र.	संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक	परिसमापन में लाने का आदेश क्रमांक एवं दिनांक
1	2	3	4
1.	तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., ओड्डापुरा	867/17-03-89	4552/04-10-11
2.	श्रीराम ईंधन क्रय-विक्रय सह. संस्था, वीरपुर	58/14-03-05	4559/04-10-11
3.	जय धोरेट बाबा महिला बहु. सह. संस्था, बीरपुर	149/12-03-97	4564/04-10-11
4.	महिला बहु. सह. संस्था मर्या., श्यामपुर	20/27-08-02	4586/04-10-11
5.	महिला बहु. सह. संस्था मर्या., पाँचौ	22/05-02-03	4587/04-10-11
6.	महिला बहु. सह. संस्था मर्या., नीमच	41/22-06-04	4588/04-10-11
7.	महिला बहु. सह. संस्था मर्या., धनाच्छा	40/23-06-04	4590/04-10-11
8.	माँ कैलादेवी फल, साग-सब्जी सह. संस्था, सुनवई	1054/12-10-95	4598/04-10-11

अतः उक्त संस्थाओं के समस्त दावेदारों, लेनदारों, देनदारों को एतद्वारा सूचित किया जाता है कि वह संस्थाओं के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन के दिनांक से 2 माह के अन्दर मय प्रमाण के मुझे लिखित रूप से कार्यालयीन दिवस एवं समय पर कार्यालय सहायक आयुक्त (अंकेक्षण), सहकारिता, गाँधी चौक, नगर पालिका के सामने, जिला श्योपुर में उपस्थित होकर प्रस्तुत करें। यदि 2 माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में कोई दावा मान्य किया जावेगा एवं संस्था की लेखापुस्तकों में लेखबद्ध दायित्व स्वमेव इस खण्ड के अधीन विधिवत् प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे।

यह सूचना आज दिनांक 05 दिसम्बर, 2012 को मेरे हस्ताक्षर से जारी किया गया।

विजय अंधारे,

(704) परिसमापक एवं उप-अंकेक्षक।

कार्यालय परिसमापक स्वायत्त सहकारिता मर्या., जिला श्योपुर

[मध्यप्रदेश स्वायत्त सहकारिता अधिनियम, 1999 की धारा-61 (ख) के अन्तर्गत]

मध्यप्रदेश स्वायत्त सहकारिता अधिनियम, 1999 की धारा-60 के अन्तर्गत मुझे निम्नलिखित स्वायत्त सहकारिताओं का परिसमापक नियुक्त किया गया है :—

क्र.	संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक	परिसमापन में आने का क्रमांक एवं दिनांक
1	2	3	4
1.	राजीव गाँधी भण्डार स्वायत्त सहकारिता मर्या., श्योपुर	एआर/एसपीआर/11, 24-09-03	4653, दि. 05-11-11
2.	कशाभानु क्रय-विक्रय एवं साख स्वायत्त सहकारिता मर्या., श्योपुर	एआर/एसपीआर/13, 08-04-04	4654, दि. 05-11-11
3.	अमान महिला भण्डार स्वायत्त सहकारिता मर्या., श्योपुर	एआर/एसपीआर/09, 09-06-03	4652, दि. 05-11-11

अतः उक्त संस्थाओं के समस्त दावेदारों, लेनदारों, देनदारों को एतद्वारा सूचित किया जाता है कि वह संस्थाओं के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन के दिनांक से 2 माह के अन्दर मय प्रमाण के मुझे लिखित रूप से कार्यालयीन दिवस एवं समय पर कार्यालय सहायक आयुक्त, सहकारिता, गाँधी चौक, नगर पालिका के सामने, जिला श्योपुर में उपस्थित होकर प्रस्तुत करें। यदि 2 माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में कोई दावा मान्य किया जावेगा एवं संस्था की लेखापुस्तकों में लेखबद्ध दायित्व स्वमेव इस खण्ड के अधीन विधिवत् प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे।

यह सूचना आज दिनांक 24 जनवरी, 2013 को मेरे हस्ताक्षर से जारी किया गया।

गोपाल माहेश्वरी,

(705) परिसमापक एवं उप-अंकेक्षक।

कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला गुना

गुना, दिनांक 30 मार्च, 2013

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटीज अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2013/366.—इस कार्यालय के आदेश क्रमांक/परिसमापन/626, दिनांक 01 मई, 2002 से तिलहन सहकारी संस्था मर्यादित, रामपुर, जिला गुना, पंजीयन क्रमांक 799, दिनांक 14 नवम्बर, 1995 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया गया, आदेश क्रमांक/परिसमापन/626, दिनांक 01 मई, 2002 से श्री सतीश अग्रवाल, S. A. को परिसमापक नियुक्त किया गया था।

परिसमापक द्वारा उक्त संस्था की परिसमापन की सम्पूर्ण कार्यवाही करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है। संस्था की परिसमापन की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना योग्य है।

अतः मैं, उमेश कुमार तिवारी, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, गुना सहकारी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) एवं मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग भोपाल के आदेश क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अन्तर्गत प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुए तिलहन सहकारी संस्था मर्यादित, रामपुर, जिला गुना, पंजीयन क्रमांक 799, दिनांक 14 नवम्बर, 1995 का पंजीयन निरस्त करते हुये संस्था का निगम निकाय (बॉडी कॉर्पोरेट) समाप्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 30 मार्च, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया।

(706)

गुना, दिनांक 11 जून, 2013

क्र./विधि/2013/678.

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/प्रबन्धक,

विपणन सहकारी संस्था मर्यादित, बमोरी,
पंजीयन क्रमांक 886, दिनांक 22 मार्च, 1999, जिला गुना।

1. आपकी संस्था विगत वर्षों से निष्क्रिय होकर अकार्यशील है।
2. आपकी संस्था साधारणतः सदस्यों के हित को संप्रवर्तित करने के लिए कार्य नहीं कर रही है।
3. संस्था संचालक मण्डल के निर्वाचन कराये जाने में असफल रही है।
4. संस्था द्वारा पंजीकृत उद्देश्यों के अनुरूप कार्य एवं प्रगति नहीं की गई है। इस प्रकार आपकी सोसायटी ने इस अधिनियम, नियमों एवं उपविधियों के अधीन पंजीकृत उद्देश्यों के अनुरूप कार्य न कर रजिस्ट्रीकरण एवं प्रबंध के बारे में उल्लेखित शर्तों का भी उल्लंघन कर उनका अनुपालन करना बंद कर दिया है।

उक्त आधार पर मैं प्रथम दृष्टया इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि आपकी संस्था के भविष्य में कार्यरत रहने की संभावना नहीं है एवं इस संस्था को परिसमापन में लाने के भी उपरोक्तानुसार पर्याप्त आधार उपलब्ध हैं।

अतः मैं, उमेश कुमार तिवारी, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, गुना, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत प्रदत्त पंजीयक की शक्तियां जो मुझे मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1 सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त हैं, का प्रयोग करते हुये यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करता हूँ कि इस सूचना-पत्र के जारी दिनांक से 30 दिवस के अन्दर उपरोक्त आरोपों के संबंध में अपना उत्तर संस्था की विशेष आमसभा की सहमति से प्रस्तुत करें कि क्यों न आपकी संस्था को परिसमापन में लाया जावे? प्रकरण में यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई चाहते हैं तो दिनांक 08 जुलाई, 2013 को कार्यालयीन समय में उपस्थित होकर पक्ष समर्थन कर सकते हैं। यदि समयावधि में आपकी ओर से समाधानकारक उत्तर/पक्ष समर्थन प्राप्त नहीं हुआ तो यह समझा जावेगा कि उक्त आरोप आपको स्वीकार हैं। तदनुसार आपकी संस्था को परिसमापन में लाये जाने के आदेश पारित किये जा सकेंगे।

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 07 जून, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया।

(706-A)

गुना, दिनांक 11 जून, 2013

क्र./विधि/2013/679.

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

प्रभारी अधिकारी/प्रबन्धक,

सार्वजनिक बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्यादित, हरीपुर।

वि. खं. गुना, जिला गुना।

1. आपकी संस्था विगत वर्षों से निष्क्रिय होकर अकार्यशील है।
2. आपकी संस्था साधारणतः सदस्यों के हित को संप्रवर्तित करने के लिए कार्य नहीं कर रही है।
3. संस्था संचालक मण्डल के निर्वाचन कराये जाने में असफल रही है।

4. संस्था द्वारा पंजीकृत उद्देश्यों के अनुरूप कार्य एवं प्रगति नहीं की गई है। इस प्रकार आपकी सोसायटी ने इस अधिनियम, नियमों एवं उपविधियों के अधीन पंजीकृत उद्देश्यों के अनुरूप कार्य न कर रजिस्ट्रीकरण एवं प्रबंध के बारे में उल्लेखित शर्तों का भी उल्लंघन कर उनका अनुपालन करना बंद कर दिया है।

उक्त आधार पर मैं प्रथम दृष्ट्या इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि आपकी संस्था के भविष्य में कार्यरत रहने की संभावना नहीं है एवं इस संस्था को परिसमापन में लाने के भी उपरोक्तानुसार पर्याप्त आधार उपलब्ध हैं।

अतः मैं, उमेश कुमार तिवारी, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, गुना, मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं, गुना, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत प्रदत्त पंजीयक की शक्तियां जो मुझे मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1 सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त हैं, का प्रयोग करते हुये यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करता हूँ कि इस सूचना-पत्र के जारी दिनांक से 30 दिवस के अन्दर उपरोक्त आरोपों के संबंध में अपना उत्तर संस्था की विशेष आमसभा की सहमति से प्रस्तुत करें कि क्यों न आपकी संस्था को परिसमापन में लाया जावे? प्रकरण में यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई चाहते हैं तो दिनांक 08 जुलाई, 2013 को कार्यालयीन समय में उपस्थित होकर पक्ष समर्थन कर सकते हैं। यदि समयावधि में आपकी ओर से समाधानकारक उत्तर/पक्ष समर्थन प्राप्त नहीं हुआ तो यह समझा जावेगा कि उक्त आरोप आपको स्वीकार हैं। तदनुसार आपकी संस्था को परिसमापन में लाये जाने के आदेश पारित किये जा सकेंगे।

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 07 जून, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया।

(706-B)

गुना, दिनांक 11 जून, 2013

क्र./विधि/2013/680.

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/प्रबन्धक,

शक्तिपुंज महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्यादित, गोदर,

तहसील गुना, जिला गुना।

पंजीयन क्रमांक 1053, दिनांक 25 अप्रैल, 2005.

1. आपकी संस्था विगत वर्षों से निष्क्रिय होकर अकार्यशील है।
2. आपकी संस्था साधारणतः सदस्यों के हित को संप्रवर्तित करने के लिए कार्य नहीं कर रही है।
3. संस्था संचालक मण्डल के निर्वाचन कराये जाने में असफल रही है।
4. संस्था द्वारा पंजीकृत उद्देश्यों के अनुरूप कार्य एवं प्रगति नहीं की गई है। इस प्रकार आपकी सोसायटी ने इस अधिनियम, नियमों एवं उपविधियों के अधीन पंजीकृत उद्देश्यों के अनुरूप कार्य न कर रजिस्ट्रीकरण एवं प्रबंध के बारे में उल्लेखित शर्तों का भी उल्लंघन कर उनका अनुपालन करना बंद कर दिया है।

उक्त आधार पर मैं प्रथम दृष्ट्या इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि आपकी संस्था के भविष्य में कार्यरत रहने की संभावना नहीं है एवं इस संस्था को परिसमापन में लाने के भी उपरोक्तानुसार पर्याप्त आधार उपलब्ध हैं।

अतः मैं, उमेश कुमार तिवारी, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, गुना, मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं, गुना, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत प्रदत्त पंजीयक की शक्तियां जो मुझे मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1 सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त हैं, का प्रयोग करते हुये यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करता हूँ कि इस सूचना-पत्र के जारी दिनांक से 30 दिवस के अन्दर उपरोक्त आरोपों के संबंध में अपना उत्तर संस्था की विशेष आमसभा की सहमति से प्रस्तुत करें कि क्यों न आपकी संस्था को परिसमापन में लाया जावे? प्रकरण में यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई चाहते हैं तो दिनांक 08 जुलाई, 2013 को कार्यालयीन समय में उपस्थित होकर पक्ष समर्थन कर सकते हैं। यदि समयावधि में आपकी ओर से समाधानकारक उत्तर/पक्ष समर्थन प्राप्त नहीं हुआ तो यह समझा जावेगा कि उक्त आरोप आपको स्वीकार हैं। तदनुसार आपकी संस्था को परिसमापन में लाये जाने के आदेश पारित किये जा सकेंगे।

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 07 जून, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया।

(706-C)

गुना, दिनांक 11 जून, 2013

क्र./विधि/2013/681.

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/प्रबन्धक,

शक्तिपुंज महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्यादित, दुँगातरा होंडा,

तह. गुना, जिला गुना.

पंजीयन क्रमांक 1054, दिनांक 26 अप्रैल, 2005.

1. आपकी संस्था विगत वर्षों से निष्क्रिय होकर अकार्यशील है।
2. आपकी संस्था साधारणतः सदस्यों के हित को संप्रवर्तित करने के लिए कार्य नहीं कर रही है।
3. संस्था संचालक मण्डल के निर्वाचन कराये जाने में असफल रही है।
4. संस्था द्वारा पंजीकृत उद्देश्यों के अनुरूप कार्य एवं प्रगति नहीं की गई है। इस प्रकार आपकी सोसायटी ने इस अधिनियम, नियमों एवं उपविधियों के अधीन पंजीकृत उद्देश्यों के अनुरूप कार्य न कर रजिस्ट्रीकरण एवं प्रबंध के बारे में उल्लेखित शर्तों का भी उल्लंघन कर उनका अनुपालन करना बंद कर दिया है।

उक्त आधार पर मैं प्रथम दृष्ट्या इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि आपकी संस्था के भविष्य में कार्यरत रहने की संभावना नहीं है एवं इस संस्था को परिसमापन में लाने के भी उपरोक्तानुसार पर्याप्त आधार उपलब्ध हैं।

अतः मैं, उमेश कुमार तिवारी, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, गुना, मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं, गुना, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत प्रदत्त पंजीयक की शक्तियां जो मुझे मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1 सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त हैं, का प्रयोग करते हुये यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करता हूँ कि इस सूचना-पत्र के जारी दिनांक से 30 दिवस के अन्दर उपरोक्त आरोपों के संबंध में अपना उत्तर संस्था की विशेष आमसभा की सहमति से प्रस्तुत करें कि क्यों न आपकी संस्था को परिसमापन में लाया जावे? प्रकरण में यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई चाहते हैं तो दिनांक 08 जुलाई, 2013 को कार्यालयीन समय में उपस्थित होकर पक्ष समर्थन कर सकते हैं। यदि समयावधि में आपकी ओर से समाधानकारक उत्तर/पक्ष समर्थन प्राप्त नहीं हुआ तो यह समझा जावेगा कि उक्त आरोप आपको स्वीकार हैं। तदनुसार आपकी संस्था को परिसमापन में लाये जाने के आदेश पारित किये जा सकेंगे।

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 07 जून, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया।

(706-D)

गुना, दिनांक 11 जून, 2013

क्र./विधि/2013/682.

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/प्रबन्धक,

शिव फल, साग-सब्जी उत्पादक विषयन एवं प्रक्रिया सहकारी संस्था मर्यादित, विनायक खेड़ी,

मालपुर, तहसील गुना, जिला गुना।

1. आपकी संस्था विगत वर्षों से निष्क्रिय होकर अकार्यशील है।
2. आपकी संस्था साधारणतः सदस्यों के हित को संप्रवर्तित करने के लिए कार्य नहीं कर रही है।

3. संस्था संचालक मण्डल के निर्वाचन कराये जाने में असफल रही है।
4. संस्था द्वारा पंजीकृत उद्देश्यों के अनुरूप कार्य एवं प्रगति नहीं की गई है। इस प्रकार आपकी सोसायटी ने इस अधिनियम, नियमों एवं उपविधियों के अधीन पंजीकृत उद्देश्यों के अनुरूप कार्य न कर रजिस्ट्रीकरण एवं प्रबंध के बारे में उल्लेखित शर्तों का भी उल्लंघन कर उनका अनुपालन करना बंद कर दिया है।

उक्त आधार पर मैं प्रथम दृष्टया इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि आपकी संस्था के भविष्य में कार्यरत रहने की संभावना नहीं है एवं इस संस्था को परिसमापन में लाने के भी उपरोक्तानुसार पर्याप्त आधार उपलब्ध हैं।

अतः मैं, उमेश कुमार तिवारी, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, गुना, मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं, गुना, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत प्रदत्त पंजीयक की शक्तियां जो मुझे मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1 सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त हैं, का प्रयोग करते हुये यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करता हूँ कि इस सूचना-पत्र के जारी दिनांक से 30 दिवस के अन्दर उपरोक्त आरोपों के संबंध में अपना उत्तर संस्था की विशेष आमसभा की सहमति से प्रस्तुत करें कि क्यों न आपकी संस्था को परिसमापन में लाया जावे? प्रकरण में यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई चाहते हैं तो दिनांक 08 जुलाई, 2013 को कार्यालयीन समय में उपस्थित होकर पक्ष समर्थन कर सकते हैं। यदि समयावधि में आपकी ओर से समाधानकारक उत्तर/पक्ष समर्थन प्राप्त नहीं हुआ तो यह समझा जावेगा कि उक्त आरोप आपको स्वीकार हैं। तदनुसार आपकी संस्था को परिसमापन में लाये जाने के आदेश पारित किये जा सकेंगे।

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 07 जून, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया।

(706-E)

गुना, दिनांक 11 जून, 2013

क्र./विधि/2013/683.

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/प्रबन्धक,

एकता फल, साग-सब्जी उत्पादक सहकारी

संस्था मर्यादित, राघौगढ़, जिला गुना।

1. आपकी संस्था विगत वर्षों से निष्क्रिय होकर अकार्यशील है।
2. आपकी संस्था साधारणतः सदस्यों के हित को संप्रवर्तित करने के लिए कार्य नहीं कर रही है।
3. संस्था संचालक मण्डल के निर्वाचन कराये जाने में असफल रही है।
4. संस्था द्वारा पंजीकृत उद्देश्यों के अनुरूप कार्य एवं प्रगति नहीं की गई है। इस प्रकार आपकी सोसायटी ने इस अधिनियम, नियमों एवं उपविधियों के अधीन पंजीकृत उद्देश्यों के अनुरूप कार्य न कर रजिस्ट्रीकरण एवं प्रबंध के बारे में उल्लेखित शर्तों का भी उल्लंघन कर उनका अनुपालन करना बंद कर दिया है।

उक्त आधार पर मैं प्रथम दृष्टया इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि आपकी संस्था के भविष्य में कार्यरत रहने की संभावना नहीं है एवं इस संस्था को परिसमापन में लाने के भी उपरोक्तानुसार पर्याप्त आधार उपलब्ध हैं।

अतः मैं, उमेश कुमार तिवारी, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, गुना, मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं, गुना, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत प्रदत्त पंजीयक की शक्तियां जो मुझे मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1 सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त हैं, का प्रयोग करते हुये यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करता हूँ कि इस सूचना-पत्र के जारी दिनांक से 30 दिवस के अन्दर उपरोक्त आरोपों के संबंध में अपना उत्तर संस्था की विशेष आमसभा की सहमति से प्रस्तुत करें कि क्यों न आपकी संस्था को परिसमापन में लाया जावे? प्रकरण में यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई चाहते हैं तो दिनांक 08 जुलाई, 2013 को कार्यालयीन समय में उपस्थित होकर पक्ष समर्थन कर सकते हैं। यदि समयावधि में आपकी ओर से समाधानकारक उत्तर/पक्ष समर्थन प्राप्त नहीं हुआ तो यह समझा जावेगा कि उक्त आरोप आपको स्वीकार हैं। तदनुसार आपकी संस्था को परिसमापन में लाये जाने के आदेश पारित किये जा सकेंगे।

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 07 जून, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया।

(706-F)

गुना, दिनांक 11 जून, 2013

क्र./विधि/2013/684.

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/प्रबन्धक,

शक्तिपुंज महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्यादित, कीताखेड़ी,
तह. चाचौड़ा, जिला गुना.

पंजीयन क्रमांक 1031, दिनांक 14 सितम्बर, 2004.

1. आपकी संस्था विगत वर्षों से निष्क्रिय होकर अकार्यशील है।
2. आपकी संस्था साधारणतः सदस्यों के हित को संप्रवर्तित करने के लिए कार्य नहीं कर रही है।
3. संस्था संचालक मण्डल के निर्वाचन कराये जाने में असफल रही है।
4. संस्था द्वारा पंजीकृत उद्देश्यों के अनुरूप कार्य एवं प्रगति नहीं की गई है। इस प्रकार आपकी सोसायटी ने इस अधिनियम, नियमों एवं उपविधियों के अधीन पंजीकृत उद्देश्यों के अनुरूप कार्य न कर रजिस्ट्रीकरण एवं प्रबंध के बारे में उल्लेखित शर्तों का भी उल्लंघन कर उनका अनुपालन करना बंद कर दिया है।

उक्त आधार पर मैं प्रथम दृष्टया इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि आपकी संस्था के भविष्य में कार्यरत रहने की संभावना नहीं है एवं इस संस्था को परिसमापन में लाने के भी उपरोक्तानुसार पर्याप्त आधार उपलब्ध हैं।

अतः मैं, उमेश कुमार तिवारी, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, गुना, मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं, गुना, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत प्रदत्त पंजीयक की शक्तियां जो मुझे मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1 सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त हैं, का प्रयोग करते हुये यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करता हूँ कि इस सूचना-पत्र के जारी दिनांक से 30 दिवस के अन्दर उपरोक्त आरोपों के संबंध में अपना उत्तर संस्था की विशेष आमसभा की सहमति से प्रस्तुत करें कि क्यों न आपकी संस्था को परिसमापन में लाया जावे? प्रकरण में यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई चाहते हैं तो दिनांक 08 जुलाई, 2013 को कार्यालयीन समय में उपस्थित होकर पक्ष समर्थन कर सकते हैं। यदि समयावधि में आपकी ओर से समाधानकारक उत्तर/पक्ष समर्थन प्राप्त नहीं हुआ तो यह समझा जावेगा कि उक्त आरोप आपको स्वीकार हैं। तदनुसार आपकी संस्था को परिसमापन में लाये जाने के आदेश पारित किये जा सकेंगे।

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 07 जून, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया।

उमेश कुमार तिवारी,

उप-पंजीयक।

(706-G)

कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला भिण्ड

दुग्ध समिति सहकारी मर्यादा, देहगाँव, तहसील गोहद, जिला भिण्ड, पंजीयन क्र. 319, दिनांक 03 मार्च, 1982 को कार्यालयीन आदेश क्र. परि./703, दिनांक 07 मई, 2013 के मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया गया था।

परिसमापक से प्राप्त अंतिम प्रतिवेदन से प्रतीत होता है कि उक्त संस्था का लेनदेन शेष नहीं है।

अतः मैं, आर. एस. गौर, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला भिण्ड की सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत एवं मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग, भोपाल की विज्ञप्ति क्र./एफ-5-1-99 पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग करते हुए उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करता हूँ। उक्त संस्था का अस्तित्व आज दिनांक 29 अगस्त, 2013 से निगमित निकाय के रूप में नहीं रहेगा।

यह आदेश आज दिनांक 29 अगस्त, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया है।

(707)

दुध समिति सहकारी मर्या., सैथरी, तहसील मेहगाँव, जिला भिण्ड, पंजीयन क्र. 425, दिनांक 09 सितम्बर, 1987 को कार्यालयीन आदेश क्र. परि./1525, दिनांक 25 जून, 2009 के मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया गया था।

परिसमापक से प्राप्त अंतिम प्रतिवेदन से प्रतीत होता है कि उक्त संस्था का लेनदेन शेष नहीं है।

अतः मैं, आर. एस. गौर, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला भिण्ड की सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत एवं मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग, भोपाल की विज्ञप्ति क्र./एफ-5-1-99 पंद्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग करते हुए उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करता हूँ। उक्त संस्था का अस्तित्व आज दिनांक 29 अगस्त, 2013 से निगमित निकाय के रूप में नहीं रहेगा।

यह आदेश आज दिनांक 29 अगस्त, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया है।

(707-A)

दुध समिति सहकारी मर्या., असोहना, तहसील गोहद, जिला भिण्ड, पंजीयन क्र. 536, दिनांक 30 मार्च, 1988 को कार्यालयीन आदेश क्र. परि./1130, दिनांक 30 जून, 2006 के मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया गया था।

परिसमापक से प्राप्त अंतिम प्रतिवेदन से प्रतीत होता है कि उक्त संस्था का लेनदेन शेष नहीं है।

अतः मैं, आर. एस. गौर, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला भिण्ड की सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत एवं मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग, भोपाल की विज्ञप्ति क्र./एफ-5-1-99 पंद्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग करते हुए उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करता हूँ। उक्त संस्था का अस्तित्व आज दिनांक 29 अगस्त, 2013 से निगमित निकाय के रूप में नहीं रहेगा।

यह आदेश आज दिनांक 29 अगस्त, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया है।

(707-B)

दुध समिति सहकारी मर्या., घमूरी, तहसील गोहद, जिला भिण्ड, पंजीयन क्र. 374, दिनांक 26 जून, 1986 को कार्यालयीन आदेश क्र. परि./873, दिनांक 29 अप्रैल, 1995 के मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया गया था।

परिसमापक से प्राप्त अंतिम प्रतिवेदन से प्रतीत होता है कि उक्त संस्था का लेनदेन शेष नहीं है।

अतः मैं, आर. एस. गौर, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला भिण्ड की सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत एवं मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग, भोपाल की विज्ञप्ति क्र./एफ-5-1-99 पंद्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग करते हुए उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करता हूँ। उक्त संस्था का अस्तित्व आज दिनांक 29 अगस्त, 2013 से निगमित निकाय के रूप में नहीं रहेगा।

यह आदेश आज दिनांक 29 अगस्त, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया है।

(707-C)

दुध समिति सहकारी मर्या., कनीपुरा, तहसील गोहद, जिला भिण्ड, पंजीयन क्र. 442, दिनांक 22 दिसम्बर, 1986 को कार्यालयीन आदेश क्र. परि./894, दिनांक 29 अप्रैल, 1995 के मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया गया था।

परिसमापक से प्राप्त अंतिम प्रतिवेदन से प्रतीत होता है कि उक्त संस्था का लेनदेन शेष नहीं है।

अतः मैं, आर. एस. गौर, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला भिण्ड की सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत एवं मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग, भोपाल की विज्ञप्ति क्र./एफ-5-1-99 पंद्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग करते हुए उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करता हूँ। उक्त संस्था का अस्तित्व आज दिनांक 29 अगस्त, 2013 से निगमित निकाय के रूप में नहीं रहेगा।

यह आदेश आज दिनांक 29 अगस्त, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया है।

(707-D)

दुग्ध समिति सहकारी मर्या., बरहद, तहसील मेहगाँव, जिला भिण्ड, पंजीयन क्र. 324, दिनांक 18 मार्च, 1982 को कार्यालयीन आदेश क्र. परि./1130, दिनांक 30 जून, 2006 के मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया गया था।

परिसमापक से प्राप्त अंतिम प्रतिवेदन से प्रतीत होता है कि उक्त संस्था का लेनदेन शेष नहीं है।

अतः मैं, आर. एस. गौर, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला भिण्ड की सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत एवं मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग, भोपाल की विज्ञप्ति क्र./एफ-5-1-99 पंद्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग करते हुए उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करता हूँ। उक्त संस्था का अस्तित्व आज दिनांक 29 अगस्त, 2013 से निगमित निकाय के रूप में नहीं रहेगा।

यह आदेश आज दिनांक 29 अगस्त, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया है।

(707-E)

दुग्ध समिति सहकारी मर्या., गिर्जुरा, तहसील गोहद, जिला भिण्ड, पंजीयन क्र. 420, दिनांक 06 जून, 1988 को कार्यालयीन आदेश क्र. परि./1130, दिनांक 30 जून, 2006 के मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया गया था।

परिसमापक से प्राप्त अंतिम प्रतिवेदन से प्रतीत होता है कि उक्त संस्था का लेनदेन शेष नहीं है।

अतः मैं, आर. एस. गौर, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला भिण्ड की सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत एवं मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग, भोपाल की विज्ञप्ति क्र./एफ-5-1-99 पंद्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग करते हुए उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करता हूँ। उक्त संस्था का अस्तित्व आज दिनांक 29 अगस्त, 2013 से निगमित निकाय के रूप में नहीं रहेगा।

यह आदेश आज दिनांक 29 अगस्त, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया है।

(707-F)

दुग्ध समिति सहकारी मर्या., जमदारा, तहसील गोहद, जिला भिण्ड, पंजीयन क्र. 450, दिनांक 05 मार्च, 1987 को कार्यालयीन आदेश क्र. परि./305, दिनांक 29 अप्रैल, 1995 के मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया गया था।

परिसमापक से प्राप्त अंतिम प्रतिवेदन से प्रतीत होता है कि उक्त संस्था का लेनदेन शेष नहीं है।

अतः मैं, आर. एस. गौर, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला भिण्ड की सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत एवं मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग, भोपाल की विज्ञप्ति क्र./एफ-5-1-99 पंद्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग करते हुए उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करता हूँ। उक्त संस्था का अस्तित्व आज दिनांक 29 अगस्त, 2013 से निगमित निकाय के रूप में नहीं रहेगा।

यह आदेश आज दिनांक 29 अगस्त, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया है।

(707-G)

दुग्ध समिति सहकारी मर्या., ददरौआ, तहसील मेहगाँव, जिला भिण्ड, पंजीयन क्र. 422, दिनांक 08 अगस्त, 1982 को कार्यालयीन आदेश क्र. परि./1527, दिनांक 25 जून, 2009 के मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया गया था।

परिसमापक से प्राप्त अंतिम प्रतिवेदन से प्रतीत होता है कि उक्त संस्था का लेनदेन शेष नहीं है।

अतः मैं, आर. एस. गौर, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला भिण्ड की सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत एवं मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग, भोपाल की विज्ञप्ति क्र./एफ-5-1-99 पंद्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग करते हुए उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करता हूँ। उक्त संस्था का अस्तित्व आज दिनांक 29 अगस्त, 2013 से निगमित निकाय के रूप में नहीं रहेगा।

यह आदेश आज दिनांक 29 अगस्त, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया है।

(707-H)

दुध समिति सहकारी मर्या., निवारी, तहसील अटेर, जिला भिण्ड, पंजीयन क्र. 279, दिनांक 12 फरवरी, 1978 को कार्यालयीन आदेश क्र. परि./804, दिनांक 29 अप्रैल, 1995 के मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया गया था।

परिसमापक से प्राप्त अंतिम प्रतिवेदन से प्रतीत होता है कि उक्त संस्था का लेनदेन शेष नहीं है।

अतः मैं, आर. एस. गौर, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला भिण्ड की सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत एवं मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग, भोपाल की विज्ञप्ति क्र./एफ-5-1-99 पंद्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग करते हुए उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करता हूँ। उक्त संस्था का अस्तित्व आज दिनांक 29 अगस्त, 2013 से निगमित निकाय के रूप में नहीं रहेगा।

यह आदेश आज दिनांक 29 अगस्त, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया है।

(707-I)

दुध समिति सहकारी मर्या., सौधा, तहसील गोहद, जिला भिण्ड, पंजीयन क्र. 532, दिनांक 30 अप्रैल, 1988 को कार्यालयीन आदेश क्र. परि./1130, दिनांक 30 जून, 2006 के मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया गया था।

परिसमापक से प्राप्त अंतिम प्रतिवेदन से प्रतीत होता है कि उक्त संस्था का लेनदेन शेष नहीं है।

अतः मैं, आर. एस. गौर, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला भिण्ड की सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत एवं मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग, भोपाल की विज्ञप्ति क्र./एफ-5-1-99 पंद्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग करते हुए उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करता हूँ। उक्त संस्था का अस्तित्व आज दिनांक 29 अगस्त, 2013 से निगमित निकाय के रूप में नहीं रहेगा।

यह आदेश आज दिनांक 29 अगस्त, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया है।

(707-J)

दुध समिति सहकारी मर्या., जौरी कोतवाल, तहसील अटेर, जिला भिण्ड, पंजीयन क्र. 281, दिनांक 20 मार्च, 1978 को कार्यालयीन आदेश क्र. परि./2849, दिनांक 07 नवम्बर, 1989 के मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया गया था।

परिसमापक से प्राप्त अंतिम प्रतिवेदन से प्रतीत होता है कि उक्त संस्था का लेनदेन शेष नहीं है।

अतः मैं, आर. एस. गौर, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला भिण्ड की सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत एवं मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग, भोपाल की विज्ञप्ति क्र./एफ-5-1-99 पंद्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग करते हुए उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करता हूँ। उक्त संस्था का अस्तित्व आज दिनांक 29 अगस्त, 2013 से निगमित निकाय के रूप में नहीं रहेगा।

यह आदेश आज दिनांक 29 अगस्त, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया है।

(707-K)

दुध समिति सहकारी मर्या., सिलोली, तहसील मेहगाँव, जिला भिण्ड, पंजीयन क्र. 849, दिनांक 01 सितम्बर, 2002 को कार्यालयीन आदेश क्र. परि./1130, दिनांक 30 जून, 2006 के मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया गया था।

परिसमापक से प्राप्त अंतिम प्रतिवेदन से प्रतीत होता है कि उक्त संस्था का लेनदेन शेष नहीं है।

अतः मैं, आर. एस. गौर, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला भिण्ड की सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत एवं मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग, भोपाल की विज्ञप्ति क्र./एफ-5-1-99 पंद्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग करते हुए उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करता हूँ। उक्त संस्था का अस्तित्व आज दिनांक 04 सितम्बर, 2013 से निगमित निकाय के रूप में नहीं रहेगा।

यह आदेश आज दिनांक 04 सितम्बर, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया है।

(707-L)

दुग्ध समिति सहकारी मर्या., जखमौपी, तहसील भिण्ड, जिला भिण्ड, पंजीयन क्र. 843, दिनांक 29 जून, 2002 को कार्यालयीन आदेश क्र. परि./1130, दिनांक 30 जून, 2006 के मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया गया था।

परिसमापक से प्राप्त अंतिम प्रतिवेदन से प्रतीत होता है कि उक्त संस्था का लेनदेन शेष नहीं है।

अतः मैं, आर. एस. गौर, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला भिण्ड की सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत एवं मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग, भोपाल की विज्ञप्ति क्र./एफ-5-1-99 पंद्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग करते हुए उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करता हूँ। उक्त संस्था का अस्तित्व आज दिनांक 04 सितम्बर, 2013 से निगमित निकाय के रूप में नहीं रहेगा।

यह आदेश आज दिनांक 04 सितम्बर, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया है।

(707-M)

दुग्ध समिति सहकारी मर्या., हमीरपुरा, तहसील अटेर, जिला भिण्ड, पंजीयन क्र. 836, दिनांक 03 अप्रैल, 2002 को कार्यालयीन आदेश क्र. परि./1523, दिनांक 25 जून, 2009 के मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया गया था।

परिसमापक से प्राप्त अंतिम प्रतिवेदन से प्रतीत होता है कि उक्त संस्था का लेनदेन शेष नहीं है।

अतः मैं, आर. एस. गौर, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला भिण्ड की सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत एवं मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग, भोपाल की विज्ञप्ति क्र./एफ-5-1-99 पंद्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग करते हुए उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करता हूँ। उक्त संस्था का अस्तित्व आज दिनांक 04 सितम्बर, 2013 से निगमित निकाय के रूप में नहीं रहेगा।

यह आदेश आज दिनांक 04 सितम्बर, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया है।

(707-N)

दुग्ध समिति सहकारी मर्या., सोनपुरा, तहसील अटेर, जिला भिण्ड, पंजीयन क्र. 589, दिनांक 29 सितम्बर, 1988 को कार्यालयीन आदेश क्र. परि./1130, दिनांक 30 जून, 2006 के मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया गया था।

परिसमापक से प्राप्त अंतिम प्रतिवेदन से प्रतीत होता है कि उक्त संस्था का लेनदेन शेष नहीं है।

अतः मैं, आर. एस. गौर, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला भिण्ड की सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत एवं मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग, भोपाल की विज्ञप्ति क्र./एफ-5-1-99 पंद्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग करते हुए उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करता हूँ। उक्त संस्था का अस्तित्व आज दिनांक 04 सितम्बर, 2013 से निगमित निकाय के रूप में नहीं रहेगा।

यह आदेश आज दिनांक 04 सितम्बर, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया है।

(707-O)

दुग्ध समिति सहकारी मर्या., मधैयापुरा, तहसील अटेर, जिला भिण्ड, पंजीयन क्र. 837, दिनांक 03 अप्रैल, 2002 को कार्यालयीन आदेश क्र. परि./1425, दिनांक 30 जून, 2009 के मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया गया था।

परिसमापक से प्राप्त अंतिम प्रतिवेदन से प्रतीत होता है कि उक्त संस्था का लेनदेन शेष नहीं है।

अतः मैं, आर. एस. गौर, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला भिण्ड की सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत एवं मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग, भोपाल की विज्ञप्ति क्र./एफ-5-1-99 पंद्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग करते हुए उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करता हूँ। उक्त संस्था का अस्तित्व आज दिनांक 04 सितम्बर, 2013 से निगमित निकाय के रूप में नहीं रहेगा।

यह आदेश आज दिनांक 04 सितम्बर, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया है।

(707-P)

दुध समिति सहकारी मर्या., कुरथर, तहसील लहार, जिला भिण्ड, पंजीयन क्र. 482, दिनांक 28 अक्टूबर, 1987 को कार्यालयीन आदेश क्र. परि./2295, दिनांक 10 नवम्बर, 2006 के मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया गया था।

परिसमापक से प्राप्त अंतिम प्रतिवेदन से प्रतीत होता है कि उक्त संस्था का लेनदेन शेष नहीं है।

अतः मैं, आर. एस. गौर, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला भिण्ड की सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत एवं मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग, भोपाल की विज्ञप्ति क्र./एफ-5-1-99 पंद्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग करते हुए उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करता हूँ। उक्त संस्था का अस्तित्व आज दिनांक 04 सितम्बर, 2013 से निगमित निकाय के रूप में नहीं रहेगा।

यह आदेश आज दिनांक 04 सितम्बर, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया है।

(707-Q)

दुध समिति सहकारी मर्या., बिछौली, तहसील अटेर, जिला भिण्ड, पंजीयन क्र. 276, दिनांक 02 फरवरी, 1978 को कार्यालयीन आदेश क्र. परि./214, दिनांक 22 मई, 2012 के मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया गया था।

परिसमापक से प्राप्त अंतिम प्रतिवेदन से प्रतीत होता है कि उक्त संस्था का लेनदेन शेष नहीं है।

अतः मैं, आर. एस. गौर, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला भिण्ड की सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत एवं मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग, भोपाल की विज्ञप्ति क्र./एफ-5-1-99 पंद्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग करते हुए उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करता हूँ। उक्त संस्था का अस्तित्व आज दिनांक 04 सितम्बर, 2013 से निगमित निकाय के रूप में नहीं रहेगा।

यह आदेश आज दिनांक 04 सितम्बर, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया है।

(707-R)

दुध समिति सहकारी मर्या., रजपुरा, तहसील अटेर, जिला भिण्ड, पंजीयन क्र. 574, दिनांक 29 सितम्बर, 1988 को कार्यालयीन आदेश क्र. परि./1130, दिनांक 30 जून, 2006 के मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया गया था।

परिसमापक से प्राप्त अंतिम प्रतिवेदन से प्रतीत होता है कि उक्त संस्था का लेनदेन शेष नहीं है।

अतः मैं, आर. एस. गौर, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला भिण्ड की सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत एवं मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग, भोपाल की विज्ञप्ति क्र./एफ-5-1-99 पंद्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग करते हुए उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करता हूँ। उक्त संस्था का अस्तित्व आज दिनांक 04 सितम्बर, 2013 से निगमित निकाय के रूप में नहीं रहेगा।

यह आदेश आज दिनांक 04 सितम्बर, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया है।

(707-S)

दुध समिति सहकारी मर्या., धौनपुरा, तहसील लहार, जिला भिण्ड, पंजीयन क्र. 879, दिनांक 13 अगस्त, 2004 को कार्यालयीन आदेश क्र. परि./1483, दिनांक 25 जून, 2009 के मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया गया था।

परिसमापक से प्राप्त अंतिम प्रतिवेदन से प्रतीत होता है कि उक्त संस्था का लेनदेन शेष नहीं है।

अतः मैं, आर. एस. गौर, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला भिण्ड की सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत एवं मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग, भोपाल की विज्ञप्ति क्र./एफ-5-1-99 पंद्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग करते हुए उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करता हूँ। उक्त संस्था का अस्तित्व आज दिनांक 04 सितम्बर, 2013 से निगमित निकाय के रूप में नहीं रहेगा।

यह आदेश आज दिनांक 04 सितम्बर, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया है।

(707-T)

दुध समिति सहकारी मर्या., सोनी, तहसील मेहगाँव, जिला भिण्ड, पंजीयन क्र. 384, दिनांक 29 अप्रैल, 1986 को कार्यालयीन आदेश क्र. परि./1130, दिनांक 30 जून, 2006 के मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया गया था।

परिसमापक से प्राप्त अंतिम प्रतिवेदन से प्रतीत होता है कि उक्त संस्था का लेनदेन शेष नहीं है।

अतः मैं, आर. एस. गौर, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला भिण्ड की सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत एवं मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग, भोपाल की विज्ञप्ति क्र./एफ-5-1-99 पंद्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग करते हुए उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करता हूँ। उक्त संस्था का अस्तित्व आज दिनांक 04 सितम्बर, 2013 से निर्गमित निकाय के रूप में नहीं रहेगा।

यह आदेश आज दिनांक 04 सितम्बर, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया है।

(707-U)

आर. एस. गौर,
उप-पंजीयक।

कार्यालय परिसमापक, आजाद गृह निर्माण सहकारी समिति मर्यादित, जबलपुर

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम, 1962 के नियम-57 (सी) के अन्तर्गत]

सर्व-साधारण की जानकारी के लिये यह विज्ञप्ति प्रकाशित की जाती है कि निम्न सहकारी समिति जिसके आगे पंजीयन क्रमांक व आदेश क्रमांक, दिनांक दर्शाया गया है, जो मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाई गई है तथा धारा-70 (1) के तहत मुझे उसका परिसमापक नियुक्त किया गया है :—

क्र.	नाम सहकारी संस्था	पंजीयन क्रमांक	परि. आदेश क्रमांक/दिनांक
1.	आजाद गृह निर्माण सह. समिति मर्या., जबलपुर	202	645/17-02-1999

अतः मैं, पुनीत तिवारी, सहकारी निरीक्षक एवं परिसमापक, कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी समितियाँ, जबलपुर, सहकारी अधिनियम, 1960 की धारा-57 (सी) के अनुसार सर्व-साधारण की जानकारी के लिये यह सूचना प्रकाशित करता हूँ कि उक्त संस्था के विरुद्ध जो भी लेना-देना निकल रहा हो वे इस विज्ञप्ति के प्रकाशित होने के 2 माह के भीतर अपने दावे एवं स्वत्व प्रमाण सहित मुझे कार्यालय उप- पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जबलपुर में प्रस्तुत करें। उक्त अवधि में प्राप्त न होने वाले दावे या स्वत्व के संबंध में बाद में कोई सुनवाई नहीं होगी। जो भी रिकार्ड उपलब्ध है उसके अनुसार ही कार्यवाही की जाकर संस्था के पंजीयन निरस्तीकरण की कार्यवाही करने हेतु प्रतिवेदन सक्षम अधिकारी को भेज दिया जावेगा।

यह भी प्रकाशित किया जाता है कि किसी भी व्यक्ति के पास उपरोक्त समिति के सदस्य या भूतपूर्व अधिकारियों के पास इस समिति के संबंध में कोई लेखा पुस्तकें, रिकार्ड, रोकड़ एवं अन्य सामान हो तो इस सूचना प्रकाशित होने के दिनांक से 15 दिन के भीतर मेरे कार्यालय में जमा कर दें, अन्यथा निश्चित अवधि व्यतीत हो जाने पर यदि किसी व्यक्ति के पास समिति की उपरोक्त चार्ज या रिकार्ड होने की जानकारी मिली या सिद्ध हुआ उसके विरुद्ध कानूनी कार्यवाही की जावेगी।

(708)

कार्यालय परिसमापक एवं सहकारिता निरीक्षक, जिला जबलपुर

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम, 1962 के नियम-57 (सी) के अन्तर्गत]

सर्व-साधारण की जानकारी के लिये यह विज्ञप्ति प्रकाशित की जाती है कि उप/सहायक पंजीयक, सहकारी समितियाँ, जबलपुर के आदेशानुसार निम्न सहकारी समितियों जिनके पंजीयन क्रमांक व आदेश क्रमांक, दिनांक दर्शाया गया है, जो मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाई गई तथा धारा-70 (1) के अंतर्गत मुझे उनका परिसमापक नियुक्त किया गया है :—

क्र.	संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक	परि. आदेश क्रमांक/दिनांक
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	मत्स्य उत्पा. सह. समिति मर्या., दितखेरी	1700	1419/02-07-2013
2.	दुर्गेश मछुआ सह. समिति मर्या., गढ़ा	1598	1420/02-07-2013

(1)	(2)	(3)	(4)
3.	टेलीग्राफ ट्रेनिंग सह. साख, जबलपुर	1480	1421/02-07-2013
4.	नगरनिगम पॉवर ब्रिगेड साख सह. समिति मर्या., जबलपुर	1263	1422/02-07-2013
5.	पॉवरग्रिड साख सह. समिति, जबलपुर	1057	1423/02-07-2013
6.	कुकुट पालन सह. समिति, बेलखेड़ा	1637	1424/02-07-2013
7.	गौरव यातायात सह. समिति, जबलपुर	926	1425/02-07-2013
8.	म. प्र. विद्युत मंडल साख सह. समिति, जबलपुर	1836	1426/02-07-2013
9.	अल अंसार सह. साख, जबलपुर	1872	1427/02-07-2013
10.	जल संसाधन विभाग सह. साख समिति मर्या., जबलपुर	1752	1428/02-07-2013
11.	लोक कल्याण निर्माण विभाग कर्म. साख समिति मर्या., जबलपुर	1726	1429/02-07-2013
12	म.प्र.वि.मं. जे. सू. कर्म सह. साख समिति मर्या., जबलपुर	1834	1430/02-07-2013

अतः मैं, पुनीत तिवारी, परिसमापक एवं सहकारिता निरीक्षक, जबलपुर, मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम, 1962 के नियम-57 (सी) के अन्तर्गत यह सूचना प्रकाशित करता हूँ कि किसी व्यक्ति या संस्था का उक्त संस्था के विरुद्ध जो भी लेना-देना निकल रहा हो वे इस विज्ञप्ति के प्रकाशित होने के 2 माह के भीतर अपने दावे एवं स्वत्व प्रमाण सहित मुझे कार्यालय उप-आयुक्त, सहकारिता, जबलपुर में प्रस्तुत करें। उक्त अवधि में प्राप्त न होने वाले दावे या स्वत्व के संबंध में बाद में कोई सुनवाई नहीं होगी तथा जो भी रिकार्ड उपलब्ध होगा उसके अनुसार ही कार्यवाही की जाकर संस्थाओं के पंजीयन निरस्तीकरण की कार्यवाही करने हेतु प्रतिवेदन सक्षम अधिकारी को भेज दिया जावेगा।

यह भी प्रकाशित किया जाता है कि किसी व्यक्ति के पास उपरोक्त समितियों के सदस्य या भूतपूर्व पदाधिकारियों के पास इन समितियों के संबंध में कोई लेखा पुस्तकें, रिकार्ड, रोकड़ एवं अन्य सामान हो तो इस सूचना प्रकाशित होने के दिनांक से 15 दिन के अन्दर मेरे कार्यालय में जमा कर दें, अन्यथा निश्चित अवधि व्यतीत हो जाने पर यदि किसी व्यक्ति के पास उपरोक्त समितियों की वस्तुएं, अभिलेख या सम्पत्ति होने की जानकारी मिली अथवा सिद्ध हुआ तो उसके विरुद्ध कानूनी कार्यवाही की जावेगी।

पुनीत तिवारी,

परिसमापक एवं सहकारिता निरीक्षक,

(739)

कार्यालय परिसमापक एवं उप-अंकेक्षक, सहकारी संस्थाएं, जबलपुर

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम, 1962 के नियम-57 (सी) के अन्तर्गत]

सर्व-साधारण को जानकारी के लिये यह विज्ञप्ति प्रकाशित की जाती है कि उप/सहायक पंजीयक, सहकारी समितियाँ, जबलपुर के आदेश क्रमांक 1308, दिनांक 21 जून, 2002 के द्वारा निम्न सहकारी समिति जिसके आगे पंजीयन क्रमांक व आदेश क्रमांक, दिनांक दर्शाया गया है, जो मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाई गई हैं तथा धारा-70 (1) के तहत मुझे उनका परिसमापक नियुक्त किया गया है:—

क्र.	नाम सहकारी संस्था	पंजीयन क्रमांक	परि. आदेश क्रमांक/दिनांक
1.	शिक्षित बेरोजगार मछुआ सहकारी समिति मर्या., रानीताल, जबलपुर	1512	28/06-01-2011

अतः मैं, जी. पी. साहू, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक एवं परिसमापक, कार्यालय संयुक्त पंजीयक, सहकारी समितियाँ, जबलपुर, मध्यप्रदेश सहकारी अधिनियम, 1960 की धारा-57 (सी) के अनुसार सर्व-साधारण की जानकारी के लिए यह सूचना प्रकाशित करता हूँ कि उक्त संस्था के विरुद्ध जो भी लेना-देना निकल रहा हो वे इस विज्ञप्ति के प्रकाशित होने के 2 (दो) माह के भीतर अपने दावे एवं स्वत्व प्रमाण सहित मुझे कार्यालय संयुक्त पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जबलपुर में प्रस्तुत करें। उक्त अवधि में प्राप्त न होने वाले दावे या स्वत्व के संबंध में बाद में कोई सुनवाई नहीं होगी। चार्ज में प्राप्त जो भी रिकार्ड उपलब्ध है उसके अनुसार ही कार्यवाही की जाकर संस्था के पंजीयन निरस्तीकरण की कार्यवाही करने हेतु प्रतिवेदन सक्षम अधिकारी को भेज दिया जावेगा।

यह भी प्रकाशित किया जाता है कि किसी भी व्यक्ति के पास उपरोक्त समितियों के सदस्य या भूतपूर्व पदाधिकारियों के पास इन समितियों के संबंध में कोई लेखा पुस्तकें, रिकार्ड, रोकड़ एवं अन्य सामान हो तो इस सूचना प्रकाशित होने के दिनांक से 15 दिन के अन्दर मेरे कार्यालय में जमा कर दें, अन्यथा निश्चित अवधि व्यतीत हो जाने पर यदि किसी व्यक्ति के पास समितियों की उपरोक्त चार्ज या रिकार्ड होने की जानकारी मिली या सिद्ध हुआ तो उसके विरुद्ध कानूनी कार्यवाही की जावेगी।

जी. पी. साहू,

वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक एवं परिसमापक.

(709)

कार्यालय परिसमापक एवं वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक, जिला जबलपुर

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम, 1962 के नियम-57 (सी) के अन्तर्गत]

सर्व-साधारण की जानकारी के लिये यह विज्ञप्ति प्रकाशित की जाती है कि उप/सहायक पंजीयक, सहकारी समितियाँ, जबलपुर के आदेशानुसार निम्न सहकारी समितियों जिनके पंजीयन क्रमांक व आदेश क्रमांक, दिनांक दर्शाया गया है, जो मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाई गई तथा धारा-70 (1) के अंतर्गत मुझे उनका परिसमापक नियुक्त किया गया है:-

क्र.	संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक	आदेश क्रमांक/दिनांक
1.	माँ नर्मदा साग-सब्जी उत्पादक सह. समिति, सिहोरा	1852	1367/02-07-2013
2.	माँझी मछुआ सह. समिति, बिलखरबा	1059	1368/02-07-2013
3.	भारतीय मत्स्योद्योग सह. समिति, धनकुटी	867	1369/02-07-2013
4.	जय विजय साग सब्जी उत्पा., जबलपुर	1670	1370/02-07-2013
5.	तिलहन उत्पादक सह. समिति, पाटन	954	1371/02-07-2013
6.	तिलहन उत्पादक सहकारी समिति मर्या., पिपरियाकला	893	1372/02-07-2013
7.	तिलहन उत्पादक सहकारी समिति मर्या., उमरिया	881	1373/02-07-2013
8.	तिलहन उत्पादक सहकारी समिति मर्या., सिमरिया	892	1374/02-07-2013
9.	तिलहन उत्पादक सहकारी समिति मर्या., भीटा	895	1375/02-07-2013
10.	तिलहन उत्पादक सहकारी समिति मर्या., सुकरी	957	1376/02-07-2013
11.	तिलहन उत्पादक सहकारी समिति मर्या., नटवारा	874	1377/02-07-2013

अतः मैं, सुभाष जैन, परिसमापक एवं वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक, जबलपुर, मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम, 1962 के नियम 57 (सी) के अंतर्गत यह सूचना प्रकाशित करता हूँ कि किसी व्यक्ति या संस्था का उक्त संस्थाओं के विरुद्ध जो भी लेना-देना निकल रहा वे इस विज्ञप्ति के प्रकाशित होने के 2 माह के भीतर अपने दावे एवं स्वत्व प्रमाण सहित मुझे कार्यालय उप-आयुक्त, सहकारिता, जबलपुर में प्रस्तुत करें। उक्त अवधि में प्राप्त न होने वाले दावे या स्वत्व के संबंध में बाद में कोई सुनवाई नहीं होगी तथा जो भी रिकार्ड उपलब्ध होगा उसके अनुसार ही कार्यवाही की जाकर संस्थाओं के पंजीयन निरस्तीकरण की कार्यवाही करने हेतु प्रतिवेदन सक्षम अधिकारी को भेज दिया जावेगा।

यह भी प्रकाशित किया जाता है कि किसी व्यक्ति के पास उपरोक्त समितियों के सदस्य या भूतपूर्व पदाधिकारियों के पास इन समितियों के संबंध में कोई लेखा पुस्तकें, रिकार्ड, रोकड़ एवं अन्य सामान हों तो इस सूचना प्रकाशित होने के दिनांक से 15 दिन के अन्दर मेरे कार्यालय में जमा कर दें, अन्यथा निश्चित अवधि व्यतीत हो जाने पर यदि किसी व्यक्ति के पास उपरोक्त समितियों की वस्तुएं, अभिलेख या सम्पत्ति होने की जानकारी मिली अथवा सिद्ध हुआ तो उसके विरुद्ध कानूनी कार्यवाही की जावेगी।

सुभाष जैन,

परिसमापक एवं वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक.

(710)

कार्यालय परिसमापक एवं सहकारिता निरीक्षक, जिला जबलपुर

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम, 1962 के नियम-57 (सी) के अन्तर्गत]

सर्व-साधारण की जानकारी के लिये यह विज्ञप्ति प्रकाशित की जाती है कि उप/सहायक पंजीयक, सहकारी समितियाँ, जबलपुर के आदेशानुसार निम्न सहकारी समितियों जिनके पंजीयन क्रमांक व आदेश क्रमांक, दिनांक दर्शाया गया है, जो मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाई गई तथा धारा-70 (1) के अंतर्गत मुझे उनका परिसमापक नियुक्त किया गया है:—

क्र.	संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक	आदेश क्रमांक/दिनांक
1.	जागृति प्राथ. उप. सह. भंडार, जबलपुर	1650	1612/02-07-2013
2.	माताश्री प्राथ. उप. सह. भंडार, जबलपुर	1657	1613/02-07-2013
3.	इन्दिरा गांधी प्राथ. उप. सह. भंडार, जबलपुर	1661	1614/02-07-2013
4.	वैष्णव प्राथ. उप. सह. भंडार, जबलपुर	1666	1615/02-07-2013
5.	सौभाग्य महिला प्राथ. उप. सह. भंडार, जबलपुर	1678	1616/02-07-2013
6.	ज्ञान महिला प्राथ. उप. सह. भंडार, जबलपुर	1611	1617/02-07-2013
7.	शारदा प्राथ. उप. सह. भंडार, जबलपुर	1612	1618/02-07-2013
8.	शिखा प्राथ. उप. सह. भंडार, जबलपुर	1620	1619/02-07-2013
9.	रोजमैरी प्राथ. उप. सह. भंडार, जबलपुर	1624	1620/02-07-2013
10.	सरस्वती महिला प्राथ. उप. सह. भंडार, जबलपुर	1750	1621/02-07-2013
11.	जबलपुर पत्रकार गृह निर्माण सह. स. म., जबलपुर	35	1429/30-10-2012

अतः मैं, आशीष शुक्ला, परिसमापक एवं सहकारिता निरीक्षक, जबलपुर, मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम, 1962 के नियम-57 (सी) के अन्तर्गत यह सूचना प्रकाशित करता हूँ कि किसी व्यक्ति या संस्था का उक्त संस्थाओं के विरुद्ध जो भी लेना-देना निकल रहा वे इस विज्ञप्ति के प्रकाशित होने के 2 माह के भीतर अपने दावे एवं स्वत्व प्रमाण सहित मुझे कार्यालय उप-आयुक्त, सहकारिता, जबलपुर में प्रस्तुत करें। उक्त अवधि में प्राप्त न होने वाले दावे या स्वत्व के संबंध में बाद में कोई सुनवाई नहीं होगी तथा जो भी रिकार्ड उपलब्ध होगा उसके अनुसार ही कार्यवाही की जाकर संस्थाओं के पंजीयन निरस्तीकरण की कार्यवाही करने हेतु प्रतिवेदन सक्षम अधिकारी को भेज दिया जावेगा।

यह भी प्रकाशित किया जाता है कि किसी व्यक्ति के पास उपरोक्त समितियों के सदस्य या भूतपूर्व पदाधिकारियों के पास इन समितियों के संबंध में कोई लेखा पुस्तकें, रिकार्ड, रोकड़ एवं अन्य सामान हो तो इस सूचना प्रकाशित होने के दिनांक से 15 दिन के अन्दर मेरे कार्यालय में जमा कर दें, अन्यथा निश्चित अवधि व्यतीत हो जाने पर यदि किसी व्यक्ति के पास उपरोक्त समितियों की वस्तुएं अभिलेख या सम्पत्ति होने की जानकारी मिली अथवा सिद्ध हुआ तो उसके विरुद्ध कानूनी कार्यवाही की जावेगी।

आशीष शुक्ला,

(711)

परिसमापक एवं सहकारिता निरीक्षक,

कार्यालय परिसमापक एवं उप-अंकेक्षक, जिला जबलपुर

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम, 1962 के नियम-57 (सी) के अन्तर्गत]

सर्व-साधारण की जानकारी के लिये यह विज्ञप्ति प्रकाशित की जाती है कि उप/सहायक पंजीयक, सहकारी समितियाँ, जबलपुर के आदेशानुसार निम्न सहकारी समितियों जिनके पंजीयन क्रमांक व आदेश क्रमांक, दिनांक दर्शाया गया है, जो मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाई गई तथा धारा-70 (1) के अंतर्गत मुझे उनका परिसमापक नियुक्त किया गया है:—

क्र.	संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक	आदेश क्रमांक/दिनांक
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	जय मातेश्वरी ईंधन प्राथ. उप. स., जबलपुर	1541	1641/02-07-2013

(1)	(2)	(3)	(4)
2.	श्रद्धा प्राथ. उप. सह. भंडार, जबलपुर	1544	1642/02-07-2013
3.	शिवशक्ति प्राथ. उप. सह. भंडार, जबलपुर	1556	1643/02-07-2013
4.	शारदा प्राथ. उप. सह. भंडार, जबलपुर	1559	1644/02-07-2013
5.	लक्ष्मी महिला प्राथ. उप. सह. भंडार	1560	1645/02-07-2013
6.	त्रिमूर्ति महिला प्राथ. उप. सह. भंडार	1571	1646/02-07-2013
7.	राष्ट्रवीर दुर्गादास प्राथ. उप. सह. भंडार	1367	1647/02-07-2013
8.	राधा प्राथ. उप. सह. भंडार, जबलपुर	1376	1648/02-07-2013
9.	गौरव प्राथ. उप. सह. भंडार	1381	1649/02-07-2013

अतः मैं, रघुनाथ सिंह कुदौलिया, परिसमापक एवं उप-अंकेक्षक, जबलपुर, मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम, 1962 के नियम-57 (सी) के अंतर्गत यह सूचना प्रकाशित करता हूँ कि किसी व्यक्ति या संस्था का उक्त संस्था के विरुद्ध जो भी लेना-देना निकल रहा हो वे इस विज्ञप्ति के प्रकाशित होने के 2 माह के भीतर अपने दावे एवं स्वत्व प्रमाण सहित मुझे कार्यालय उप-आयुक्त, सहकारिता, जबलपुर में प्रस्तुत करें। उक्त अवधि में प्राप्त न होने वाले दावे या स्वत्व के संबंध में बाद में कोई सुनवाई नहीं होगी तथा जो भी रिकार्ड उपलब्ध होगा उसके अनुसार ही कार्यवाही की जाकर संस्थाओं के पंजीयन निरस्तीकरण की कार्यवाही करने हेतु प्रतिवेदन सक्षम अधिकारी को भेज दिया जावेगा।

यह भी प्रकाशित किया जाता है कि किसी व्यक्ति के पास उपरोक्त समितियों के सदस्य या भूतपूर्व पदाधिकारियों के पास इन समितियों के संबंध में कोई लेखा पुस्तकें, रिकार्ड, रोकड़ एवं अन्य सामान हो तो इस सूचना प्रकाशित होने के दिनांक से 15 दिन के अन्दर मेरे कार्यालय में जमा कर दें, अन्यथा निश्चित अवधि व्यतीत हो जाने पर यदि किसी व्यक्ति के पास उपरोक्त समितियों की वस्तुएं अभिलेख या सम्पत्ति होने की जानकारी मिली अथवा सिद्ध हुआ तो उसके विरुद्ध कानूनी कार्यवाही की जावेगी।

रघुनाथ सिंह कुदौलिया,
परिसमापक एवं उप-अंकेक्षक.

(712)

कार्यालय परिसमापक एवं सहकारिता निरीक्षक, जिला जबलपुर

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम, 1962 के नियम-57 (सी) के अन्तर्गत]

सर्व-साधारण की जानकारी के लिये यह विज्ञप्ति प्रकाशित की जाती है कि उप/सहायक पंजीयक, सहकारी समितियाँ, जबलपुर के आदेशानुसार निम्न सहकारी समितियों जिनके पंजीयन क्रमांक व आदेश क्रमांक, दिनांक दर्शाया गया है, जो मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाई गई तथा धारा-70 (1) के अंतर्गत मुझे उनका परिसमापक नियुक्त किया गया है:—

क्र.	संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक	आदेश क्रमांक/दिनांक
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	मजदूर कल्याण सह. साख समिति मर्या., जबलपुर	648	1400/02-07-2013
2.	पुष्पराज सह. साख समिति मर्या., जबलपुर	651	1401/02-07-2013
3.	महाकौशल सह. साख समिति मर्या., जबलपुर	644	1402/02-07-2013
4.	गढाफाटक सह. साख समिति मर्या., जबलपुर	501	1403/02-07-2013
5.	जागृति सह. साख समिति मर्या., जबलपुर	575	1404/02-07-2013
6.	न्यू कल्याण सह. साख समिति, जबलपुर	577	1405/02-07-2013
7.	शिक्षक कल्याण सह. साख समिति मर्या., जबलपुर	56	1406/02-07-2013

(1)	(2)	(3)	(4)
8.	वेलफेयर सह. साख समिति, जबलपुर	469	1407/02-07-2013
9.	भारतीय सह. साख समिति मर्या., जबलपुर	498	1408/02-07-2013
10.	लोकसेवा सह. साख समिति मर्या., जबलपुर	486	1409/02-07-2013
11.	जनभक्ति सह. साख समिति मर्या., जबलपुर	586	1410/02-07-2013
12.	प्रकृति सह. साख समिति मर्या., जबलपुर	613	1411/02-07-2013
13.	बिजलीघर कर्म. सह. साख समिति मर्या., जबलपुर	1474	1412/02-07-2013

अतः मैं, एस. बी. यादव, परिसमापक एवं सहकारिता निरीक्षक, जबलपुर, मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम, 1962 के नियम-57 (सी) के अंतर्गत यह सूचना प्रकाशित करता हूँ कि किसी व्यक्ति या संस्था के उक्त संस्था के विरुद्ध जो भी लेना-देना निकल रहा हो वे इस विज्ञप्ति के प्रकाशित होने के 2 माह के भीतर अपने दावे एवं स्वत्व प्रमाण सहित मुझे कार्यालय उप-आयुक्त, सहकारिता, जबलपुर में प्रस्तुत करें। उक्त अवधि में प्राप्त न होने वाले दावे या स्वत्व के संबंध में बाद में कोई सुनवाई नहीं होगी तथा जो भी रिकार्ड उपलब्ध होगा उसके अनुसार ही कार्यवाही की जाकर संस्थाओं के पंजीयन निरस्तीकरण की कार्यवाही करने हेतु प्रतिवेदन सक्षम अधिकारी को भेज दिया जावेगा।

यह भी प्रकाशित किया जाता है कि किसी व्यक्ति के पास उपरोक्त समितियों के सदस्य या भूतपूर्व पदाधिकारियों के पास इन समितियों के संबंध में कोई लेखा पुस्तकें, रिकार्ड, रोकड़ एवं अन्य सामान हो तो इस सूचना प्रकाशित होने के दिनांक से 15 दिन के अन्दर मेरे कार्यालय में जमा कर दें, अन्यथा निश्चित अवधि व्यतीत हो जाने पर यदि किसी व्यक्ति के पास उपरोक्त समितियों की वस्तुएं, अभिलेख या सम्पत्ति होने की जानकारी मिली अथवा सिद्ध हुआ तो उसके विरुद्ध कानूनी कार्यवाही की जावेगी।

एस. बी. यादव,

परिसमापक एवं सहकारिता निरीक्षक।

(713)

कार्यालय परिसमापक एवं उप-अंकेक्षक, जिला जबलपुर

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम, 1962 के नियम-57 (सी) के अन्तर्गत]

सर्व-साधारण की जानकारी के लिये यह विज्ञप्ति प्रकाशित की जाती है कि उप/सहायक पंजीयक, सहकारी समितियाँ, जबलपुर के आदेशानुसार निम्न सहकारी समितियों जिनके पंजीयन क्रमांक व आदेश क्रमांक, दिनांक दर्शाया गया है, जो मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाई गई तथा धारा-70 (1) के अंतर्गत मुझे उनका परिसमापक नियुक्त किया गया है:—

क्र.	संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक	आदेश क्रमांक/दिनांक
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	रोशन चर्म उद्योग सह. समिति, जबलपुर	793	1482/02-07-2013
2.	चर्म उद्योग सह. समिति, जबलपुर	1444	1483/02-07-2013
3.	रमपुरा चर्म उद्योग सह. समिति, जबलपुर	1458	1484/02-07-2013
4.	बाबा साहेब अम्बे. चर्म उद्योग सह. समिति, जबलपुर	1460	1485/02-07-2013
5.	चर्म उद्योग सह. समिति, जबलपुर	1487	1486/02-07-2013
6.	चर्म उद्योग सह. समिति, बेलखेड़ा	1515	1487/02-07-2013
7.	डॉ. अम्बेडकर चर्म उद्योग सह. समिति	1499	1488/02-07-2013
8.	चर्म उद्योग सह. समिति, जोधपुर	1628	1489/02-07-2013
9.	चर्म उद्योग सह. समिति, कुशनेर	1565	1490/02-07-2013
10.	चर्म उद्योग सह. समिति, चरगंवा	1542	1491/02-07-2013

अतः मैं, टी. आर. विदेही, परिसमापक एवं उप-अंकेक्षक, जबलपुर, मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम, 1962 के नियम-57 (सी) के अंतर्गत यह सूचना प्रकाशित करता हूँ कि किसी व्यक्ति या संस्था का उक्त संस्था के विरुद्ध जो भी लेना-देना निकल रहा हो वे इस विज्ञप्ति के प्रकाशित होने के 2 माह के भीतर अपने दावे एवं स्वत्व प्रमाण सहित मुझे कार्यालय उप-आयुक्त, सहकारिता, जबलपुर में प्रस्तुत करें। उक्त अवधि में प्राप्त न होने वाले दावे या स्वत्व के संबंध में बाद में कोई सुनवाई नहीं होगी तथा जो भी रिकार्ड उपलब्ध होगा उसके अनुसार ही कार्यवाही की जाकर संस्थाओं के पंजीयन निरस्तीकरण की कार्यवाही करने हेतु प्रतिवेदन सक्षम अधिकारी को भेज दिया जावेगा।

यह भी प्रकाशित किया जाता है कि किसी व्यक्ति के पास उपरोक्त समितियों के सदस्य या भूतपूर्व पदाधिकारियों के पास इन समितियों के संबंध में कोई लेखा पुस्तकें, रिकार्ड, रोकड़ एवं अन्य सामान हो तो इस सूचना प्रकाशित होने के दिनांक से 15 दिन के अन्दर मेरे कार्यालय में जमा कर दें, अन्यथा निश्चित अवधि व्यतीत हो जाने पर यदि किसी व्यक्ति के पास उपरोक्त समितियों की वस्तुएं, अभिलेख या सम्पत्ति होने की जानकारी मिली अथवा सिद्ध हुआ तो उसके विरुद्ध कानूनी कार्यवाही की जावेगी।

टी. आर. विदेही,

(714)

परिसमापक एवं उप-अंकेक्षक.

कार्यालय परिसमापक एवं उप-अंकेक्षक, जिला जबलपुर

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम, 1962 के नियम-57 (सी) के अन्तर्गत]

सर्व-साधारण की जानकारी के लिये यह विज्ञप्ति प्रकाशित की जाती है कि उप/सहायक पंजीयक, सहकारी समितियाँ, जबलपुर के आदेशानुसार निम्न सहकारी समितियों जिनके पंजीयन क्रमांक व आदेश क्रमांक, दिनांक दर्शाया गया है, जो मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाई गई तथा धारा-70 (1) के अंतर्गत मुझे उनका परिसमापक नियुक्त किया गया है:—

क्र.	संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक	आदेश क्रमांक/दिनांक
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	सरस्वती खनिज का. स. स., जबलपुर	1656	1502/02-07-2013
2.	अंजली इंजीनियर ड. जबलपुर	586	1503/02-07-2013
3.	रेत-गिट्टी खदान मजदूर सहकारी समिति मर्या., जबलपुर	1658	1504/02-07-2013
4.	हरिजन आदिवासी पिछड़ा वर्ग खनिज उत्खनन सहकारी समिति मर्या., जबलपुर	1659	1505/02-07-2013
5.	हिरन खनिज उत्खनन सहकारी समिति मर्या., जबलपुर	1664	1506/02-07-2013
6.	राधारमण खनिज उत्खनन सहकारी समिति, जबलपुर	1668	1507/02-07-2013
7.	अमरदीप खनिज उत्खनन सहकारी समिति मर्या., जबलपुर	1686	1508/02-07-2013
8.	गोडवाना खनिज उत्खनन सहकारी समिति मर्या., जबलपुर	1695	1509/02-07-2013
9.	संस्कारधानी खनिज उत्खनन सहकारी समिति मर्या., जबलपुर	1707	1510/02-07-2013
10.	राधारमण खनिज उत्खनन सहकारी समिति मर्या., जबलपुर	1697	1511/02-07-2013

अतः मैं, एम. एल. जैन, परिसमापक एवं उप-अंकेक्षक, जबलपुर, मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम, 1962 के नियम-57 (सी) के अंतर्गत यह सूचना प्रकाशित करता हूँ कि किसी व्यक्ति या संस्था का उक्त संस्था के विरुद्ध जो भी लेना-देना निकल रहा हो वे इस विज्ञप्ति के प्रकाशित होने के 2 माह के भीतर अपने दावे एवं स्वत्व प्रमाण सहित मुझे कार्यालय उप-आयुक्त, सहकारिता, जबलपुर में प्रस्तुत करें। उक्त अवधि में प्राप्त न होने वाले दावे या स्वत्व के संबंध में बाद में कोई सुनवाई नहीं होगी तथा जो भी रिकार्ड उपलब्ध होगा उसके अनुसार ही कार्यवाही की जाकर संस्थाओं के पंजीयन निरस्तीकरण की कार्यवाही करने हेतु प्रतिवेदन सक्षम अधिकारी को भेज दिया जावेगा।

यह भी प्रकाशित किया जाता है कि किसी व्यक्ति के पास उपरोक्त समितियों के सदस्य या भूतपूर्व पदाधिकारियों के पास इन समितियों के संबंध में कोई लेखा पुस्तकें, रिकार्ड, रोकड़ एवं अन्य सामान हो तो इस सूचना प्रकाशित होने के दिनांक से 15 दिन के अन्दर मेरे कार्यालय में जमा कर दें, अन्यथा निश्चित अवधि व्यतीत हो जाने पर यदि किसी व्यक्ति के पास उपरोक्त समितियों की वस्तुएं, अभिलेख या सम्पत्ति होने की जानकारी मिली अथवा सिद्ध हुआ तो उसके विरुद्ध कानूनी कार्यवाही की जावेगी।

एम. एल. जैन,

(715)

परिसमापक एवं उप-अंकेक्षक.

कार्यालय परिसमापक एवं वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक, जिला जबलपुर

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम, 1962 के नियम-57 (सी) के अन्तर्गत]

सर्व-साधारण की जानकारी के लिये यह विज्ञप्ति प्रकाशित की जाती है कि उप/सहायक पंजीयक, सहकारी समितियाँ, जबलपुर के आदेशानुसार निम्न सहकारी समितियों जिनके पंजीयन क्रमांक व आदेश क्रमांक, दिनांक दर्शाया गया है, जो मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाई गई तथा धारा-70 (1) के अंतर्गत मुझे उनका परिसमापक नियुक्त किया गया है:—

क्र.	संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक	आदेश क्रमांक/दिनांक
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	तिलहन उत्पादक सहकारी समिति मर्या., बेलखेड़ा	876	1378/02-07-2013
2.	तिलहन उत्पादक सहकारी समिति मर्या., कुकरमुका	878	1379/02-07-2013
3.	तिलहन उत्पादक सहकारी समिति मर्या., बरोंदा	877	1380/02-07-2013
4.	दुध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., कालादेही	703	1381/02-07-2013
5.	दुध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., अमगंवा	721	1382/02-07-2013
6.	दुध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., मुहास	702	1383/02-07-2013
7.	ढीमर समाज मछुआ सहकारी समिति मर्या., पाटन	759	1384/02-07-2013
8.	नई किरण साग-सब्जी उत्पादक सहकारी समिति मर्या., जबलपुर	1654	1385/02-07-2013
9.	जीवनदायनी साग-सब्जी सहकारी समिति मर्या., जबलपुर	1773	1386/02-07-2013
10.	प्राथ. विस्था. मछुआ सहकारी समिति, शिवधाट	1028	1387/02-07-2013
11.	मछुआ उत्पादक सहकारी समिति मर्या., बढ़ैयाखेड़ा	973	1388/02-07-2013
12.	लकड़ी साग-सब्जी उत्पादक सहकारी समिति मर्या., पनागर	1850	1389/02-07-2013

अतः मैं, प्रशांत कौरव, परिसमापक एवं वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक, जबलपुर, मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम, 1962 के नियम-57 (सी) के अन्तर्गत यह सूचना प्रकाशित करता हूँ कि किसी व्यक्ति या संस्था का उक्त संस्था के विरुद्ध जो भी लेना-देना निकल रहा हो वे इस विज्ञप्ति के प्रकाशित होने के 2 माह के भीतर अपने दावे एवं स्वत्व प्रमाण सहित मुझे कार्यालय उप-आयुक्त, सहकारिता, जबलपुर में प्रस्तुत करें। उक्त अवधि में प्राप्त न होने वाले दावे या स्वत्व के संबंध में बाद में कोई सुनवाई नहीं होगी तथा जो भी रिकार्ड उपलब्ध होगा उसके अनुसार ही कार्यवाही की जाकर संस्थाओं के पंजीयन निरस्तीकरण की कार्यवाही करने हेतु प्रतिवेदन सक्षम अधिकारी को भेज दिया जावेगा।

यह भी प्रकाशित किया जाता है कि किसी व्यक्ति के पास उपरोक्त समितियों के सदस्य या भूतपूर्व पदाधिकारियों के पास इन समितियों के संबंध में कोई लेखा पुस्तकें, रिकार्ड, रोकड़ एवं अन्य सामान हो तो इस सूचना प्रकाशित होने के दिनांक से 15 दिन के अन्दर मेरे कार्यालय में जमा कर दें, अन्यथा निश्चित अवधि व्यतीत हो जाने पर यदि किसी व्यक्ति के पास उपरोक्त समितियों की वस्तुएं अभिलेख या सम्पत्ति होने की जानकारी मिली अथवा सिद्ध हुआ तो उसके विरुद्ध कानूनी कार्यवाही की जावेगी।

प्रशांत कौरव,

परिसमापक एवं वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक।

(716)

कार्यालय परिसमापक एवं अंकेक्षण अधिकारी, जिला जबलपुर

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम, 1962 के नियम-57 (सी) के अन्तर्गत]

सर्व-साधारण की जानकारी के लिये यह विज्ञप्ति प्रकाशित की जाती है कि उप/सहायक पंजीयक, सहकारी समितियाँ, जबलपुर के आदेशानुसार निम्न सहकारी समितियों जिनके पंजीयन क्रमांक व आदेश क्रमांक, दिनांक दर्शाया गया है, जो मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की

धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाई गई तथा धारा-70 (1) के अंतर्गत मुझे उनका परिसमापक नियुक्त किया गया है:—

क्र.	संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक	आदेश क्रमांक/दिनांक
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	औम श्री माँ खनिज सह. समिति, जबलपुर	1762	1552/02-07-2013
2.	जयगुरुदेव सह. समिति मर्या., जबलपुर	1765	1553/02-07-2013
3.	शिक्षित बेरोजगार नर्मदा खनिज उत्ख. सह. समिति	1783	1554/02-07-2013
4.	आदिवासी खनिज उत्खनन सह. समिति, घाटसिमरिया	1772	1555/02-07-2013
5.	जनशक्ति रेत खदान सह. समिति, जबलपुर	1758	1556/02-07-2013
6.	संस्कारधानी सफाई काम. सह. समिति, जबलपुर	1915	1557/02-07-2013
7.	नर्मदा खनिज सह. समिति, रमणियरिया	1583	1558/02-07-2013
8.	एकलब्ध उद्योग कारीगर उत्खनन सह. समिति मर्या., जबलपुर	1655	1559/02-07-2013
9.	सुरक्षकामगार श्रमिक सह. समिति, जबलपुर	1893	1560/02-07-2013
10.	न्यूट्रेक फुटप्रोसेसिंग सह. समिति, जबलपुर	1863	1561/02-07-2013

अतः मैं, के. एल. पारोची, परिसमापक एवं अंकेक्षण अधिकारी, जबलपुर, मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम, 1962 के नियम-57 (सी) के अंतर्गत यह सूचना प्रकाशित करता हूँ कि किसी व्यक्ति या संस्था का उक्त संस्था के विरुद्ध जो भी लेना-देना निकल रहा हो वे इस विज्ञप्ति के प्रकाशित होने के 2 माह के भीतर अपने दावे एवं स्वत्व प्रमाण सहित मुझे कार्यालय उप-आयुक्त, सहकारिता, जबलपुर में प्रस्तुत करें। उक्त अवधि में प्राप्त न होने वाले दावे या स्वत्व के संबंध में बाद में कोई सुनवाई नहीं होगी तथा जो भी रिकार्ड उपलब्ध होगा उसके अनुसार ही कार्यवाही की जाकर संस्थाओं के पंजीयन निरस्तीकरण की कार्यवाही करने हेतु प्रतिवेदन सक्षम अधिकारी को भेज दिया जावेगा।

यह भी प्रकाशित किया जाता है कि किसी व्यक्ति के पास उपरोक्त समितियों के सदस्य या भूतपूर्व पदाधिकारियों के पास इन समितियों के संबंध में कोई लेखा पुस्तकें, रिकार्ड, रोकड़ एवं अन्य सामान हो तो इस सूचना प्रकाशित होने के दिनांक से 15 दिन के अन्दर मेरे कार्यालय में जमा कर दें, अन्यथा निश्चित अवधि व्यतीत हो जाने पर यदि किसी व्यक्ति के पास उपरोक्त समितियों की वस्तुएं, अभिलेख या सम्पत्ति होने की जानकारी मिली अथवा सिद्ध हुआ तो उसके विरुद्ध कानूनी कार्यवाही की जावेगी।

के. एल. पारोची,

(717)

परिसमापक एवं अंकेक्षण अधिकारी।

कार्यालय परिसमापक एवं सहकारिता विस्तार अधिकारी, पनागर, जिला जबलपुर

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम, 1962 के नियम-57 (सी) के अन्तर्गत]

सर्व-साधारण की जानकारी के लिये यह विज्ञप्ति प्रकाशित की जाती है कि उप/सहायक पंजीयक, सहकारी समितियाँ, जबलपुर के आदेशानुसार निम्न सहकारी समितियों जिनके पंजीयन क्रमांक व आदेश क्रमांक, दिनांक दर्शाया गया है, जो मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाई गई तथा धारा-70 (1) के अंतर्गत मुझे उनका परिसमापक नियुक्त किया गया है:—

क्र.	संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक	आदेश क्रमांक/दिनांक
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	माँ बीजासेन माता बहु. सहकारी समिति मर्या., सुहागी, पनागर	1892	1442/02-07-2013
2.	महिला बहु. सहकारी समिति, उजरोड	1838	1443/02-07-2013
3.	महिला बहु. सहकारी समिति, गढ़रपिपरिया	1837	1444/02-07-2013
4.	बुदेला महिला बहु. सहकारी समिति, जबलपुर	1832	1445/02-07-2013
5.	भगवती महिला बहु. सहकारी समिति, पाठन	1830	1446/02-07-2013

(1)	(2)	(3)	(4)
6.	शारदा महिला बहु. सहकारी समिति मर्या., बिलखिरबा	1796	1447/02-07-2013
7.	शिवशक्ति महिला बहु. सहकारी समिति, छपरहट	1780	1448/02-07-2013
8.	श्री माँ नर्मदा महिला बहु. सकरा सरोद	1871	1449/02-07-2013
9.	माँ लक्ष्मी महिला बहु. सहकारी समिति मर्या., खमरवानी	1899	1450/02-07-2013
10.	बहुप्रयोजन महिला बहु. सहकारी समिति, मनखेडी	1749	1451/02-07-2013

अतः मैं, राजेश परोहा, परिसमापक एवं सहकारिता विस्तार अधिकारी, पनागर, जबलपुर, मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम, 1962 के नियम-57 (सी) के अंतर्गत यह सूचना प्रकाशित करता हूँ कि किसी व्यक्ति या संस्था का उक्त संस्था के विरुद्ध जो भी लेना-देना निकल रहा हो वे इस विज्ञप्ति के प्रकाशित होने के 2 माह के भीतर अपने दावे एवं स्वत्व प्रमाण सहित मुझे कार्यालय उप-आयुक्त, सहकारिता, जबलपुर में प्रस्तुत करें। उक्त अवधि में प्राप्त न होने वाले दावे या स्वत्व के संबंध में बाद में कोई सुनवाई नहीं होगी तथा जो भी रिकार्ड उपलब्ध होगा उसके अनुसार ही कार्यवाही की जाकर संस्थाओं के पंजीयन निरस्तीकरण की कार्यवाही करने हेतु प्रतिवेदन सक्षम अधिकारी को भेज दिया जावेगा।

यह भी प्रकाशित किया जाता है कि किसी व्यक्ति के पास उपरोक्त समितियों के सदस्य या भूतपूर्व पदाधिकारियों के पास इन समितियों के संबंध में कोई लेखा पुस्तकें, रिकार्ड, रोकड़ एवं अन्य सामान हो तो इस सूचना प्रकाशित होने के दिनांक से 15 दिन के अन्दर मेरे कार्यालय में जमा कर दें, अन्यथा निश्चित अवधि व्यतीत हो जाने पर यदि किसी व्यक्ति के पास उपरोक्त समितियों की वस्तुएं, अभिलेख या सम्पत्ति होने की जानकारी मिली अथवा सिद्ध हुआ तो उसके विरुद्ध कानूनी कार्यवाही की जावेगी।

राजेश परोहा,

परिसमापक एवं सहकारिता विस्तार अधिकारी।

कार्यालय परिसमापक एवं सहकारिता विस्तार अधिकारी, पाटन, जिला जबलपुर

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम, 1962 के नियम-57 (सी) के अन्तर्गत]

सर्व-साधारण की जानकारी के लिये यह विज्ञप्ति प्रकाशित की जाती है कि उप/सहायक पंजीयक, सहकारी समितियाँ, जबलपुर के आदेशानुसार निम्न सहकारी समितियों जिनके पंजीयन क्रमांक व आदेश क्रमांक, दिनांक दर्शाया गया है, जो मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाई गई तथा धारा-70 (1) के अंतर्गत मुझे उनका परिसमापक नियुक्त किया गया है:—

क्र.	संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक	आदेश क्रमांक/दिनांक
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	नीलू महिला बहु. सहकारी समिति, चरगंवा	1753	1452/02-07-2013
2.	जयमातादी महिला बहु. सहकारी समिति, उड़ना	1835	1453/02-07-2013
3.	बहुउद्देशीय महिला बहु. सहकारी समिति, खैरी	1793	1454/02-07-2013
4.	महिला बहु. सहकारी समिति मर्या., खिरियाकला	1898	1455/02-07-2013
5.	महिला बहु. सहकारी समिति, टिपरा	1768	1456/02-07-2013
6.	महिला बहु. सहकारी समिति, नटवारा	1766	1457/02-07-2013
7.	बहुउद्देशीय महिला बहु. सहकारी समिति, शहपुरा	1742	1458/02-07-2013
8.	बहुउद्देशीय महिला बहु. सहकारी समिति, भमकी	1798	1459/02-07-2013
9.	द. मिलौनीगंज महिला बीड़ी उद्योग सहकारी समिति, जबलपुर	770	1460/02-07-2013
10.	कोरी समाज बीड़ी उद्योग सहकारी समिति, जबलपुर	33	1461/02-07-2013

अतः मैं, राजेन्द्र यादव, परिसमापक एवं सहकारिता विस्तार अधिकारी, पाटन, जबलपुर, मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम, 1962 के नियम-57 (सी) के अंतर्गत यह सूचना प्रकाशित करता हूँ कि किसी व्यक्ति या संस्था का उक्त संस्था के विरुद्ध जो भी लेना-देना निकल रहा हो वे इस विज्ञप्ति के प्रकाशित होने के 2 माह के भीतर अपने दावे एवं स्वत्व प्रमाण सहित मुझे कार्यालय उप-आयुक्त, सहकारिता, जबलपुर में प्रस्तुत करें।

उक्त अवधि में प्राप्त न होने वाले दावे या स्वत्व के संबंध में बाद में कोई सुनवाई नहीं होगी तथा जो भी रिकार्ड उपलब्ध होगा उसके अनुसार ही कार्यवाही की जाकर संस्थाओं के पंजीयन निरस्तीकरण की कार्यवाही करने हेतु प्रतिवेदन सक्षम अधिकारी को भेज दिया जावेगा।

यह भी प्रकाशित किया जाता है कि किसी व्यक्ति के पास उपरोक्त समितियों के सदस्य या भूतपूर्व पदाधिकारियों के पास इन समितियों के संबंध में कोई लेखा पुस्तकें, रिकार्ड, रोकड़ एवं अन्य सामान हो तो इस सूचना प्रकाशित होने के दिनांक से 15 दिन के अन्दर मेरे कार्यालय में जमा कर दें, अन्यथा निश्चित अवधि व्यतीत हो जाने पर यदि किसी व्यक्ति के पास उपरोक्त समितियों की वस्तुएं, अभिलेख या सम्पत्ति होने की जानकारी मिली अथवा सिद्ध हुआ तो उसके विरुद्ध कानूनी कार्यवाही की जावेगी।

राजेन्द्र यादव,

परिसमापक एवं सहकारिता विस्तार अधिकारी।

(719)

कार्यालय परिसमापक एवं सहकारिता निरीक्षक, जिला जबलपुर

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम, 1962 के नियम-57 (सी) के अन्तर्गत]

सर्व-साधारण की जानकारी के लिये यह विज्ञप्ति प्रकाशित की जाती है कि उप/सहायक पंजीयक, सहकारी समितियाँ, जबलपुर के आदेशानुसार निम्न सहकारी समितियों जिनके पंजीयन क्रमांक व आदेश क्रमांक, दिनांक दर्शाया गया है, जो मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाई गई तथा धारा-70 (1) के अंतर्गत मुझे उनका परिसमापक नियुक्त किया गया है:—

क्र.	संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक	आदेश क्रमांक/दिनांक
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	आशीर्वाद प्राथ. उप. सह. भंडार, जबलपुर	1351	1690/02-07-2013
2.	माँ त्रिपुर सुन्दरी प्राथ. उप. सह. भंडार	1354	1691/02-07-2013
3.	आदर्श महिला प्राथ. उप. सह. भंडार	1360	1692/02-07-2013
4.	श्रीकृष्ण प्राथ. उप. सह. भंडार, जबलपुर	1432	1693/02-07-2013
5.	असरफी प्राथ. उप. सह. भंडार, जबलपुर	1436	1694/02-07-2013
6.	माँ कालिका प्राथ. उप. सह. भंडार	1447	1695/02-07-2013
7.	हनुमत प्राथ. उप. सह. भंडार, जबलपुर	1452	1696/02-07-2013
8.	विकास ईंधन आपूर्ति प्राथ. उप. सह. भंडार	1467	1697/02-07-2013
9.	शिवानी ईंधन आपूर्ति प्राथ. उप. सह. भंडार	1489	1698/02-07-2013
10.	स्नेह बेरोजगार प्राथ. उप. सह. भंडार, जबलपुर	1494	1699/02-07-2013
11.	गुलशन हिन्द प्राथ. उप. सह. भंडार	1418	1700/02-07-2013

अतः मैं, विवेक जैन, परिसमापक एवं सहकारिता निरीक्षक, जबलपुर, मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम, 1962 के नियम-57 (सी) के अंतर्गत यह सूचना प्रकाशित करता हूँ कि किसी व्यक्ति या संस्था का उक्त संस्था के विरुद्ध जो भी लेना-देना निकल रहा हो वे इस विज्ञप्ति के प्रकाशित होने के 2 माह के भीतर अपने दावे एवं स्वत्व प्रमाण सहित मुझे कार्यालय उप-आयुक्त, सहकारिता, जबलपुर में प्रस्तुत करें। उक्त अवधि में प्राप्त न होने वाले दावे या स्वत्व के संबंध में बाद में कोई सुनवाई नहीं होगी तथा जो भी रिकार्ड उपलब्ध होगा उसके अनुसार ही कार्यवाही की जाकर संस्थाओं के पंजीयन निरस्तीकरण की कार्यवाही करने हेतु प्रतिवेदन सक्षम अधिकारी को भेज दिया जावेगा।

यह भी प्रकाशित किया जाता है कि किसी व्यक्ति के पास उपरोक्त समितियों के सदस्य या भूतपूर्व पदाधिकारियों के पास इन समितियों के संबंध में कोई लेखा पुस्तकें, रिकार्ड, रोकड़ एवं अन्य सामान हो तो इस सूचना प्रकाशित होने के दिनांक से 15 दिन के अन्दर मेरे कार्यालय में जमा कर दें, अन्यथा निश्चित अवधि व्यतीत हो जाने पर यदि किसी व्यक्ति के पास उपरोक्त समितियों की वस्तुएं, अभिलेख या सम्पत्ति होने की जानकारी मिली अथवा सिद्ध हुआ तो उसके विरुद्ध कानूनी कार्यवाही की जावेगी।

विवेक जैन,

परिसमापक एवं सहकारिता निरीक्षक।

(720)

कार्यालय परिसमापक एवं उप-अंकेक्षक, जिला जबलपुर

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम, 1962 के नियम-57 (सी) के अन्तर्गत]

सर्व-साधारण की जानकारी के लिये यह विज्ञप्ति प्रकाशित की जाती है कि उप/सहायक पंजीयक, सहकारी समितियाँ, जबलपुर के आदेशानुसार निम्न सहकारी समितियों जिनके पंजीयन क्रमांक व आदेश क्रमांक, दिनांक दर्शाया गया है, जो मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाई गई तथा धारा-70 (1) के अंतर्गत मुझे उनका परिसमापक नियुक्त किया गया है:—

क्र.	संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक	आदेश क्रमांक/दिनांक
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	शक्ति महिला प्राथ. उप. सह. भंडार, जबलपुर	1509	1632/02-07-2013
2.	नवदुर्गा प्राथ. उप. सह. भंडार, जबलपुर	1513	1633/02-07-2013
3.	भारतीय स्टेट बैंक क. प्राथ. उप. भंडार	1514	1634/02-07-2013
4.	शिवशक्ति प्राथ. उप. सह. भंडार, जबलपुर	1604	1635/02-07-2013
5.	शांति महिला प्राथ. उप. सह. भंडार, जबलपुर	1517	1636/02-07-2013
6.	अंजली प्राथ. उप. सह. भंडार, जबलपुर	1519	1637/02-07-2013
7.	सदाशिव प्राथ. उप. सह. भंडार, जबलपुर	1520	1638/02-07-2013
8.	त्रिमूर्ति प्राथ. उप. सह. भंडार, जबलपुर	1521	1639/02-07-2013
9.	पूजा महिला प्राथ. उप. सह. भंडार, जबलपुर	1524	1640/02-07-2013

अतः मैं, राजेश मेहता, परिसमापक एवं उप-अंकेक्षक, जबलपुर, मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम, 1962 के नियम-57 (सी) के अंतर्गत यह सूचना प्रकाशित करता हूँ कि किसी व्यक्ति या संस्था का उक्त संस्था के विरुद्ध जो भी लेना-देना निकल रहा हो वे इस विज्ञप्ति के प्रकाशित होने के 2 माह के भीतर अपने दावे एवं स्वत्व प्रमाण सहित मुझे कार्यालय उप-आयुक्त, सहकारिता, जबलपुर में प्रस्तुत करें। उक्त अवधि में प्राप्त न होने वाले दावे या स्वत्व के संबंध में बाद में कोई सुनवाई नहीं होगी तथा जो भी रिकार्ड उपलब्ध होगा उसके अनुसार ही कार्यवाही की जाकर संस्थाओं के पंजीयन निरस्तीकरण की कार्यवाही करने हेतु प्रतिवेदन सक्षम अधिकारी को भेज दिया जावेगा।

यह भी प्रकाशित किया जाता है कि किसी व्यक्ति के पास उपरोक्त समितियों के सदस्य या भूतपूर्व पदाधिकारियों के पास इन समितियों के संबंध में कोई लेखा पुस्तकें, रिकार्ड, रोकड़ एवं अन्य सामान हो तो इस सूचना प्रकाशित होने के दिनांक से 15 दिन के अन्दर मेरे कार्यालय में जमा कर दें, अन्यथा निश्चित अवधि व्यतीत हो जाने पर यदि किसी व्यक्ति के पास उपरोक्त समितियों की वस्तुएं, अभिलेख या सम्पत्ति होने की जानकारी मिली अथवा सिद्ध हुआ तो उसके विरुद्ध कानूनी कार्यवाही की जावेगी।

(721)

राजेश मेहता,

परिसमापक एवं उप-अंकेक्षक।

कार्यालय परिसमापक एवं सहकारिता निरीक्षक, जिला जबलपुर

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम, 1962 के नियम-57 (सी) के अन्तर्गत]

सर्व-साधारण की जानकारी के लिये यह विज्ञप्ति प्रकाशित की जाती है कि उप/सहायक पंजीयक, सहकारी समितियाँ, जबलपुर के आदेशानुसार निम्न सहकारी समितियों जिनके पंजीयन क्रमांक व आदेश क्रमांक, दिनांक दर्शाया गया है, जो मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाई गई तथा धारा-70 (1) के अंतर्गत मुझे उनका परिसमापक नियुक्त किया गया है:—

क्र.	संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक	आदेश क्रमांक/दिनांक
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	जय लेबर कान्ट्रेक्ट सह. समि., जबलपुर	1869	1582/02-07-2013
2.	वारदाना निर्माण सह. समि., जबलपुर	1847	1583/02-07-2013
3.	रायल फर्नीचर सह. समि., जबलपुर	1824	1584/02-07-2013

(1)	(2)	(3)	(4)
4.	सुखद श्रमठेका सह. समि., जबलपुर	1755	1585/02-07-2013
5.	शिवशक्ति उद्योग सह. समि., जबलपुर	1868	1586/02-07-2013
6.	पत्थर तोड़ आदिवासी सह. समि., जबलपुर	1806	1587/02-07-2013
7.	निर्मला वाशिंग पावडर उद्योग सह. समि., जबलपुर	557	1588/02-07-2013
8.	पी एण्ड टी इंजीनियरिंग उद्योग सह. समि.	230	1589/02-07-2013
9.	ईट-खपरा उद्योग सह. समि., जबलपुर	1535	1590/02-07-2013
10.	जबलपुर पन्नी बीनने वाले सह. समि., जबलपुर	1566	1591/02-07-2013
11.	प्रगति प्राथ. उप. सह. भंडार, जबलपुर	1366	1679/02-07-2013
12.	रवकास बाबा प्राथ. उप. सह. भंडार	1231	1680/02-07-2013
13.	श्री माँ वैष्णव देवी प्राथ. उप. सह. भंडार, जबलपुर	1233	1681/02-07-2013
14.	गंगादेवी महिला प्राथ. उप. सह. भंडार, जबलपुर	1276	1682/02-07-2013
15.	वर्षदेवी महिला प्राथ. उप. सह. भंडार, जबलपुर	1279	1683/02-07-2013
16.	राजा प्राथ. उप. सह. भंडार, जबलपुर	1173	1684/02-07-2013
17.	रीता प्राथ. उप. सह. भंडार, जबलपुर	1168	1685/02-07-2013
18.	गुरुकृपा प्राथ. उप. सह. भंडार, जबलपुर	1113	1686/02-07-2013
19.	विधांचल प्राथ. उप. सह. भंडार, जबलपुर	1110	1687/02-07-2013
20.	नवोदय प्राथ. उप. सह. भंडार, जबलपुर	1349	1688/02-07-2013
21.	गंगा प्राथ. उप. सह. भंडार, जबलपुर	1345	1689/02-07-2013

अतः मैं, ललित जैन, परिसमापक एवं सहकारिता निरीक्षक, जबलपुर, मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम, 1962 के नियम-57 (सी) के अन्तर्गत यह सूचना प्रकाशित करता हूँ कि किसी व्यक्ति या संस्था का उक्त संस्था के विरुद्ध जो भी लेना-देना निकल रहा हो वे इस विज्ञप्ति के प्रकाशित होने के 2 माह के भीतर अपने दावे एवं स्वत्व प्रमाण सहित मुझे कार्यालय उप-आयुक्त, सहकारिता, जबलपुर में प्रस्तुत करें। उक्त अवधि में प्राप्त न होने वाले दावे या स्वत्व के संबंध में बाद में कोई सुनवाई नहीं होगी तथा जो भी रिकार्ड उपलब्ध होगा उसके अनुसार ही कार्यवाही की जाकर संस्थाओं के पंजीयन निरस्तीकरण की कार्यवाही करने हेतु प्रतिवेदन सक्षम अधिकारी को भेज दिया जावेगा।

यह भी प्रकाशित किया जाता है कि किसी व्यक्ति के पास उपरोक्त समितियों के सदस्य या भूतपूर्व पदाधिकारियों के पास इन समितियों के संबंध में कोई लेखा पुस्तकें, रिकार्ड, रोकड़ एवं अन्य सामान हो तो इस सूचना प्रकाशित होने के दिनांक से 15 दिन के अन्दर मेरे कार्यालय में जमा कर दें, अन्यथा निश्चित अवधि व्यतीत हो जाने पर यदि किसी व्यक्ति के पास उपरोक्त समितियों की वस्तुएं अभिलेख या सम्पत्ति होने की जानकारी मिली अथवा सिद्ध हुआ तो उसके विरुद्ध कानूनी कार्यवाही की जावेगी।

ललित जैन,

परिसमापक एवं सहकारिता निरीक्षक।

(722)

कार्यालय परिसमापक एवं सहकारिता निरीक्षक, जिला जबलपुर

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम, 1962 के नियम-57 (सी) के अन्तर्गत]

सर्व-साधारण की जानकारी के लिये यह विज्ञप्ति प्रकाशित की जाती है कि उप/सहायक पंजीयक, सहकारी समितियाँ, जबलपुर के आदेशानुसार निम्न सहकारी समितियों जिनके पंजीयन क्रमांक व आदेश क्रमांक, दिनांक दर्शाया गया है, जो मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाई गई तथा धारा-70 (1) के अन्तर्गत मुझे उनका परिसमापक नियुक्त किया गया है:—

क्र.	संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक	आदेश क्रमांक/दिनांक
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	सोनम महिला प्राथ. उप. सह. भंडार, जबलपुर	1784	1622/02-07-2013

(1)	(2)	(3)	(4)
2.	इंदिरा गांधी प्राथ. उप. सह. भण्डार, जबलपुर	1830	1623/02-07-2013
3.	संजय गांधी प्राथ. उप. सह. भण्डार, जबलपुर	1334	1624/02-07-2013
4.	शिवांगी प्राथ. उप. सह. भण्डार, जबलपुर	1342	1625/02-07-2013
5.	राधारमन प्राथ. उप. सह. भण्डार, जबलपुर	1338	1626/02-07-2013
6.	श्रीसाई महिला प्राथ. उप. सह. भण्डार, जबलपुर	1717	1627/02-07-2013
7.	न्यू जाग्रति प्राथ. उप. सह. भण्डार, जबलपुर	1732	1628/02-07-2013
8.	माँ खेरमाई प्राथ. उप. सह. भण्डार, जबलपुर	1640	1629/02-07-2013
9.	प्रियदर्शनी प्राथ. उप. सह. भण्डार, जबलपुर	1507	1630/02-07-2013
10.	अखिल ईंधन प्राथ. उप. सह. भण्डार, जबलपुर	1508	1631/02-07-2013

अतः मैं, सोनेलाल, परिसमापक एवं सहकारिता निरीक्षक, जबलपुर, मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम, 1962 के नियम-57 (सी) के अंतर्गत यह सूचना प्रकाशित करता हूँ कि किसी व्यक्ति या संस्था का उक्त संस्था के विरुद्ध जो भी लेना-देना निकल रहा हो वे इस विज्ञप्ति के प्रकाशित होने के 2 माह के भीतर अपने दावे एवं स्वत्व प्रमाण सहित मुझे कार्यालय उप-आयुक्त, सहकारिता, जबलपुर में प्रस्तुत करें। उक्त अवधि में प्राप्त न होने वाले दावे या स्वत्व के संबंध में बाद में कोई सुनवाई नहीं होगी तथा जो भी रिकार्ड उपलब्ध होगा उसके अनुसार ही कार्यवाही की जाकर संस्थाओं के पंजीयन निरस्तीकरण की कार्यवाही करने हेतु प्रतिवेदन सक्षम अधिकारी को भेज दिया जावेगा।

यह भी प्रकाशित किया जाता है कि किसी व्यक्ति के पास उपरोक्त समितियों के सदस्य या भूतपूर्व पदाधिकारियों के पास इन समितियों के संबंध में कोई लेखा पुस्तकें, रिकार्ड, रोकड़ एवं अन्य सामान हो तो इस सूचना प्रकाशित होने के दिनांक से 15 दिन के अन्दर मेरे कार्यालय में जमा कर दें, अन्यथा निश्चित अवधि व्यतीत हो जाने पर यदि किसी व्यक्ति के पास उपरोक्त समितियों की वस्तुएं अभिलेख या सम्पत्ति होने की जानकारी मिली अथवा सिद्ध हुआ तो उसके विरुद्ध कानूनी कार्यवाही की जावेगी।

सोनेलाल,

परिसमापक एवं सहकारिता निरीक्षक।

कार्यालय परिसमापक एवं उप-अंकेक्षक, जिला जबलपुर

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम, 1962 के नियम-57 (सी) के अन्तर्गत]

सर्व-साधारण की जानकारी के लिये यह विज्ञप्ति प्रकाशित की जाती है कि उप/सहायक पंजीयक, सहकारी समितियाँ, जबलपुर के आदेशानुसार निम्न सहकारी समितियों जिनके पंजीयन क्रमांक व आदेश क्रमांक, दिनांक दर्शाया गया है, जो मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाई गई तथा धारा-70 (1) के अंतर्गत मुझे उनका परिसमापक नियुक्त किया गया है:—

क्र.	संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक	आदेश क्रमांक/दिनांक
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	लुहारी-सुतारी उद्योग सह. समिति, जबलपुर	1582	1532/02-07-2013
2.	भारत माइंस एण्ड मिनरल्स उद्योग सहकारी समिति मर्या., जबलपुर	1569	1533/02-07-2013
3.	हिरनांचल काम. कारोगार उद्योग स. स. मर्या., जबलपुर	1756	1534/02-07-2013
4.	संजय लुहारी-सुतारी उ. सह. समिति, जबलपुर	734	1535/02-07-2013
5.	जवाहर काष्ट उद्योग सह. समिति, जबलपुर	797	1536/02-07-2013
6.	शिवशक्ति मसाला उद्योग सह. समिति, जबलपुर	1831	1537/02-07-2013
7.	शिव ईंट-खपरा उद्योग सह. समिति, जबलपुर	1842	1538/02-07-2013
8.	बाँस टोकरी उद्योग सह. समिति, जबलपुर	2	1539/02-07-2013

(1)	(2)	(3)	(4)
9.	माँ रेवा नौकाबिहार उद्योग सह. समिति	1580	1540/02-07-2013
10.	अमृत मंथन खनिज उत्खनन सह. समिति	1382	1541/02-07-2013

अतः मैं, दिलीप श्रीवास्तव, परिसमापक एवं उप-अंकेक्षक, जबलपुर, मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम, 1962 के नियम-57 (सी) के अंतर्गत यह सूचना प्रकाशित करता हूँ कि किसी व्यक्ति या संस्था का उक्त संस्था के विरुद्ध जो भी लेना-देना निकल रहा हो वे इस विज्ञप्ति के प्रकाशित होने के 2 माह के भीतर अपने दावे एवं स्वत्व प्रमाण सहित मुझे कार्यालय उप-आयुक्त, सहकारिता, जबलपुर में प्रस्तुत करें। उक्त अवधि में प्राप्त न होने वाले दावे या स्वत्व के संबंध में बाद में कोई सुनवाई नहीं होगी तथा जो भी रिकार्ड उपलब्ध होगा उसके अनुसार ही कार्यवाही की जाकर संस्थाओं के पंजीयन निरस्तीकरण की कार्यवाही करने हेतु प्रतिवेदन सक्षम अधिकारी को भेज दिया जावेगा।

यह भी प्रकाशित किया जाता है कि किसी व्यक्ति के पास उपरोक्त समितियों के सदस्य या भूतपूर्व पदाधिकारियों के पास इन समितियों के संबंध में कोई लेखा पुस्तकें, रिकार्ड, रोकड़ एवं अन्य सामान हो तो इस सूचना प्रकाशित होने के दिनांक से 15 दिन के अन्दर मेरे कार्यालय में जमा कर दें, अन्यथा निश्चित अवधि व्यतीत हो जाने पर यदि किसी व्यक्ति के पास उपरोक्त समितियों की वस्तुएं, अभिलेख या सम्पत्ति होने की जानकारी मिली अथवा सिद्ध हुआ तो उसके विरुद्ध कानूनी कार्यवाही की जावेगी।

दिलीप श्रीवास्तव,

परिसमापक एवं उप-अंकेक्षक।

(724)

कार्यालय परिसमापक एवं सहकारिता निरीक्षक, जिला जबलपुर

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम, 1962 के नियम-57 (सी) के अन्तर्गत]

सर्व-साधारण की जानकारी के लिये यह विज्ञप्ति प्रकाशित की जाती है कि उप/सहायक पंजीयक, सहकारी समितियाँ, जबलपुर के आदेशानुसार निम्न सहकारी समितियों जिनके पंजीयन क्रमांक व आदेश क्रमांक, दिनांक दर्शाया गया है, जो मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाई गई तथा धारा-70 (1) के अंतर्गत मुझे उनका परिसमापक नियुक्त किया गया है:—

क्र.	संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक	आदेश क्रमांक/दिनांक
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	इंडस्ट्रीयल वर्कर्स सह. समिति मर्या., जबलपुर	196	1592/02-07-2013
2.	महिला सिलाई-बुनाई उद्योग सह. समिति	242	1593/02-07-2013
3.	बांस काष्ठकला उद्योग सह. समिति, जबलपुर	19	1594/02-07-2013
4.	विश्वकर्मा कटलरी उद्योग सह. समिति, जबलपुर	12	1595/02-07-2013
5.	गांधी मसाला उद्योग सहकारी समिति, जबलपुर	495	1596/02-07-2013
6.	इंडस्ट्रीयल उद्योग सह. समिति, जबलपुर	213	1597/02-07-2013
7.	माँ शारदा खनिज उत्खनन सह. समिति, जबलपुर	1649	1598/02-07-2013
8.	ओम शिव खनिज उत्खनन सह. समिति, जबलपुर	1652	1599/02-07-2013
9.	नर्मदा खनिज उत्खनन सह. समिति, जबलपुर	1653	1600/02-07-2013
10.	गौडवाना खनिज उत्खनन सह. समिति, जबलपुर	1695	1601/02-07-2013
11.	भोले शंकर प्राथ. उप. सह. भंडार, जबलपुर	1602	1602/02-07-2013
12.	दाता प्राथ. उप. सह. भंडार, जबलपुर	1500	1603/02-07-2013
13.	पुरी ईंधन आपूर्ति प्राथ. उप. सह. भंडार, जबलपुर	1631	1604/02-07-2013
14.	रूपाली प्राथ. उप. सह. भंडार, जबलपुर	1573	1605/02-07-2013
15.	प्रीति महिला प्राथ. उप. सह. भंडार, जबलपुर	1582	1606/02-07-2013

(1)	(2)	(3)	(4)
16.	शिवम महिला प्राथ. उप. सह. भंडार, जबलपुर	1586	1607/02-07-2013
17.	केरोसीन प्राथ. उप. सह. भंडार, जबलपुर	1594	1608/02-07-2013
18.	गुडबिल प्राथ. उप. सह. भंडार, जबलपुर	1643	1609/02-07-2013
19.	जय भवानी प्राथ. उप. सह. भंडार, जबलपुर	1703	1610/02-07-2013
20.	असरतला प्राथ. उप. सह. भंडार, जबलपुर	1679	1611/02-07-2013

अतः मैं, अमित ठाकुर, परिसमापक एवं सहकारिता निरीक्षक, जबलपुर, मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम, 1962 के नियम-57 (सी) के अंतर्गत यह सूचना प्रकाशित करता हूँ कि किसी व्यक्ति या संस्था का उक्त संस्था के विरुद्ध जो भी लेना-देना निकल रहा हो वे इस विज्ञप्ति के प्रकाशित होने के 2 माह के भीतर अपने दावे एवं स्वत्व प्रमाण सहित मुझे कार्यालय उप-आयुक्त, सहकारिता, जबलपुर में प्रस्तुत करें। उक्त अवधि में प्राप्त न होने वाले दावे या स्वत्व के संबंध में बाद में कोई सुनवाई नहीं होगी तथा जो भी रिकार्ड उपलब्ध होगा उसके अनुसार ही कार्यवाही की जाकर संस्थाओं के पंजीयन निरस्तीकरण की कार्यवाही करने हेतु प्रतिवेदन सक्षम अधिकारी को भेज दिया जावेगा।

यह भी प्रकाशित किया जाता है कि किसी व्यक्ति के पास उपरोक्त समितियों के सदस्य या भूतपूर्व पदाधिकारियों के पास इन समितियों के संबंध में कोई लेखा पुस्तकें, रिकार्ड, रोकड़ एवं अन्य सामान हो तो इस सूचना प्रकाशित होने के दिनांक से 15 दिन के अन्दर मेरे कार्यालय में जमा कर दें, अन्यथा निश्चित अवधि व्यतीत हो जाने पर यदि किसी व्यक्ति के पास उपरोक्त समितियों की वस्तुएं, अभिलेख या सम्पत्ति होने की जानकारी मिली अथवा सिद्ध हुआ तो उसके विरुद्ध कानूनी कार्यवाही की जावेगी।

अमित ठाकुर,

परिसमापक एवं सहकारिता निरीक्षक।

(725)

कार्यालय परिसमापक एवं सहकारिता निरीक्षक, जिला जबलपुर

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम, 1962 के नियम-57 (सी) के अन्तर्गत]

सर्व-साधारण की जानकारी के लिये यह विज्ञप्ति प्रकाशित की जाती है कि उप/सहायक पंजीयक, सहकारी समितियाँ, जबलपुर के आदेशानुसार निम्न सहकारी समितियों जिनके पंजीयन क्रमांक व आदेश क्रमांक, दिनांक दर्शाया गया है, जो मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाई गई तथा धारा-70 (1) के अंतर्गत मुझे उनका परिसमापक नियुक्त किया गया है:—

क्र.	संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक	आदेश क्रमांक/दिनांक
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	मार्टिना प्राथ. उप. सह. भंडार, जबलपुर	1424	1701/02-07-2013
2.	विद्यासागर प्राथ. उप. सह. भंडार, जबलपुर	1429	1702/02-07-2013
3.	कालीमठ प्राथ. उप. सह. भंडार, जबलपुर	1426	1703/02-07-2013
4.	जय अम्बे प्राथ. उप. सह. भंडार, जबलपुर	1431	1704/02-07-2013
5.	मौलाना प्राथ. उप. सह. भंडार, जबलपुर	1290	1705/02-07-2013
6.	श्री भोले प्राथ. उप. सह. भंडार, जबलपुर	1160	1706/02-07-2013
7.	गोल्डन प्राथ. उप. सह. भंडार, जबलपुर	1129	1707/02-07-2013
8.	माँ प्राथ. उप. सह. भंडार, जबलपुर	1126	1708/02-07-2013
9.	जय भारत प्राथ. उप. सह. भंडार, जबलपुर	1122	1709/02-07-2013
10.	एकता प्राथ. उप. सह. भंडार, जबलपुर	1175	1710/02-07-2013
11.	बेलबाग प्राथ. उप. सह. भंडार, जबलपुर	1181	1711/02-07-2013

अतः मैं, पी. अग्रवाल, परिसमापक एवं सहकारिता निरीक्षक, जबलपुर, मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम, 1962 के नियम-57 (सी) के अंतर्गत यह सूचना प्रकाशित करता हूँ कि किसी व्यक्ति या संस्था का उक्त संस्था के विरुद्ध जो भी लेना-देना निकल रहा हो वे इस विज्ञप्ति के प्रकाशित

होने के 2 माह के भीतर अपने दावे एवं स्वत्व प्रमाण सहित मुझे कार्यालय उप-आयुक्त, सहकारिता, जबलपुर में प्रस्तुत करें। उक्त अवधि में प्राप्त न होने वाले दावे या स्वत्व के संबंध में बाद में कोई सुनवाई नहीं होगी तथा जो भी रिकार्ड उपलब्ध होगा उसके अनुसार ही कार्यवाही की जाकर संस्थाओं के पंजीयन निरस्तीकरण की कार्यवाही करने हेतु प्रतिवेदन सक्षम अधिकारी को भेज दिया जावेगा।

यह भी प्रकाशित किया जाता है कि किसी व्यक्ति के पास उपरोक्त समितियों के सदस्य या भूतपूर्व पदाधिकारियों के पास इन समितियों के संबंध में कोई लेखा पुस्तकें, रिकार्ड, रोकड़ एवं अन्य सामान हो तो इस सूचना प्रकाशित होने के दिनांक से 15 दिन के अन्दर मेरे कार्यालय में जमा कर दें, अन्यथा निश्चित अवधि व्यतीत हो जाने पर यदि किसी व्यक्ति के पास उपरोक्त समितियों की वस्तुएं, अभिलेख या सम्पत्ति होने की जानकारी मिली अथवा सिद्ध हुआ तो उसके विरुद्ध कानूनी कार्यवाही की जावेगी।

पी. अग्रवाल,

परिसमापक एवं सहकारिता निरीक्षक.

(726)

कार्यालय परिसमापक एवं वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक, जिला जबलपुर

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम, 1962 के नियम-57 (सी) के अन्तर्गत]

सर्व-साधारण की जानकारी के लिये यह विज्ञप्ति प्रकाशित की जाती है कि उप/सहायक पंजीयक, सहकारी समितियाँ, जबलपुर के आदेशानुसार निम्न सहकारी समितियों जिनके पंजीयन क्रमांक व आदेश क्रमांक, दिनांक दर्शाया गया है, जो मध्यप्रदेश सहकारी समितियां आधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाई गई तथा धारा-70 (1) के अंतर्गत मुझे उनका परिसमापक नियुक्त किया गया है:-

क्र.	संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक	आदेश क्रमांक/दिनांक
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	गौडवाना साग-सब्जी सहकारी समिति मर्या., जबलपुर	1853	1390/02-07-2013
2.	कृषक बीज उत्पा. सह. समिति मर्या., पनागर	1867	1391/02-07-2013
3.	तिलहन उत्पादक सहकारी समिति मर्या., कांकरखेड़ा	960	1392/02-07-2013
4.	तिलहन उत्पादक सहकारी समिति मर्या., मुहास	958	1393/02-07-2013
5.	भक्तकर्मा सह. साख. समिति मर्या., जबलपुर	640	1394/02-07-2013
6.	आजाद सहकारी साख समिति मर्या., जबलपुर	620	1395/02-07-2013
7.	आलोक कृषक समाज सह. समिति मर्या., जबलपुर	616	1396/02-07-2013
8.	जबलपुर नेशनल बचत सह. साख सहकारी समिति मर्या., जबलपुर	1857	1397/02-07-2013
9.	कंचन महिला प्राथ. उप. सह. भंडार, जबलपुर	1004	1398/02-07-2013
10.	ब्लू स्टार सह. साख समिति मर्या., जबलपुर	1870	1399/02-07-2013

अतः मैं, मोहन ताम्रकार, परिसमापक एवं वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक, जबलपुर, मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम, 1962 के नियम-57 (सी) के अंतर्गत यह सूचना प्रकाशित करता हूँ कि किसी व्यक्ति या संस्था का उक्त संस्था के विरुद्ध जो भी लेना-देना निकल रहा हो वे इस विज्ञप्ति के प्रकाशित होने के 2 माह के भीतर अपने दावे एवं स्वत्व प्रमाण सहित मुझे कार्यालय उप-आयुक्त, सहकारिता, जबलपुर में प्रस्तुत करें। उक्त अवधि में प्राप्त न होने वाले दावे या स्वत्व के संबंध में बाद में कोई सुनवाई नहीं होगी तथा जो भी रिकार्ड उपलब्ध होगा उसके अनुसार ही कार्यवाही की जाकर संस्थाओं के पंजीयन निरस्तीकरण की कार्यवाही करने हेतु प्रतिवेदन सक्षम अधिकारी को भेज दिया जावेगा।

यह भी प्रकाशित किया जाता है कि किसी व्यक्ति के पास उपरोक्त समितियों के सदस्य या भूतपूर्व पदाधिकारियों के पास इन समितियों के संबंध में कोई लेखा पुस्तकें, रिकार्ड, रोकड़ एवं अन्य सामान हो तो इस सूचना प्रकाशित होने के दिनांक से 15 दिन के अन्दर मेरे कार्यालय में जमा कर दें, अन्यथा निश्चित अवधि व्यतीत हो जाने पर यदि किसी व्यक्ति के पास उपरोक्त समितियों की वस्तुएं, अभिलेख या सम्पत्ति होने की जानकारी मिली अथवा सिद्ध हुआ तो उसके विरुद्ध कानूनी कार्यवाही की जावेगी।

मोहन ताम्रकार,

परिसमापक एवं वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक.

(727)

कार्यालय परिसमापक एवं उप-अंकेक्षक, जिला जबलपुर

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम, 1962 के नियम-57 (सी) के अन्तर्गत]

सर्व-साधारण की जानकारी के लिये यह विज्ञप्ति प्रकाशित की जाती है कि उप/सहायक पंजीयक, सहकारी समितियाँ, जबलपुर के आदेशानुसार निम्न सहकारी समितियों जिनके पंजीयन क्रमांक व आदेश क्रमांक, दिनांक दर्शाया गया है, जो मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाई गई तथा धारा-70 (1) के अंतर्गत मुझे उनका परिसमापक नियुक्त किया गया है:—

क्र.	संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक	आदेश क्रमांक/दिनांक
1.	शिवदत्त जी महाराज खनिज उत्खनन सहकारी समिति, जबलपुर	1737	1522/02-07-2013
2.	खनिज उत्खनन सह. समिति, मझगवां	1728	1523/02-07-2013
3.	माँ वैष्णव उत्खनन सह. समिति, जबलपुर	1727	1524/02-07-2013
4.	जनहित खनिज उत्खनन सह. समिति, जबलपुर	1724	1525/02-07-2013
5.	संगम आदि खनिज उत्खनन सह. समिति मर्या., जबलपुर	1722	1526/02-07-2013
6.	प्रगति रेत मजदूर खदान सह. समिति, जबलपुर	1716	1527/02-07-2013
7.	श्री नरसिंह ग्रामीण खनिज उत्खनन सह. समिति मर्या., जबलपुर	1751	1528/02-07-2013
8.	महिला वाशिंग पावडर उद्योग, जबलपुर	1822	1529/02-07-2013
9.	पूजा स्टील उद्योग सह. समिति, जबलपुर	1800	1530/02-07-2013
10.	रेशम उद्योग सह. समिति मर्या., जबलपुर	1736	1531/02-07-2013

अतः मैं, एन. सी. सोनी, परिसमापक एवं उप-अंकेक्षक, जबलपुर, मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम, 1962 के नियम-57 (सी) के अंतर्गत यह सूचना प्रकाशित करता हूँ कि किसी व्यक्ति या संस्था का उक्त संस्था के विरुद्ध जो भी लेना-देना निकल रहा हो वे इस विज्ञप्ति के प्रकाशित होने के 2 माह के भीतर अपने दावे एवं स्वत्व प्रमाण सहित मुझे कार्यालय उप-आयुक्त, सहकारिता, जबलपुर में प्रस्तुत करें। उक्त अवधि में प्राप्त न होने वाले दावे या स्वत्व के संबंध में बाद में कोई सुनवाई नहीं होगी तथा जो भी रिकार्ड उपलब्ध होगा उसके अनुसार ही कार्यवाही की जाकर संस्थाओं के पंजीयन निरस्तीकरण की कार्यवाही करने हेतु प्रतिवेदन सक्षम अधिकारी को भेज दिया जावेगा।

यह भी प्रकाशित किया जाता है कि किसी व्यक्ति के पास उपरोक्त समितियों के सदस्य या भूतपूर्व पदाधिकारियों के पास इन समितियों के संबंध में कोई लेखा पुस्तकें, रिकार्ड, रोकड़ एवं अन्य सामान हो तो इस सूचना प्रकाशित होने के दिनांक से 15 दिन के अन्दर मेरे कार्यालय में जमा कर दें, अन्यथा निश्चित अवधि व्यतीत हो जाने पर यदि किसी व्यक्ति के पास उपरोक्त समितियों की वस्तुएं, अभिलेख या सम्पत्ति होने की जानकारी मिली अथवा सिद्ध हुआ तो उसके विरुद्ध कानूनी कार्यवाही की जावेगी।

एन. सी. सोनी,

परिसमापक एवं उप-अंकेक्षक।

(728)

कार्यालय परिसमापक एवं अंकेक्षण अधिकारी, जिला जबलपुर

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम, 1962 के नियम-57 (सी) के अन्तर्गत]

सर्व-साधारण की जानकारी के लिये यह विज्ञप्ति प्रकाशित की जाती है कि उप/सहायक पंजीयक, सहकारी समितियाँ, जबलपुर के आदेशानुसार निम्न सहकारी समितियों जिनके पंजीयन क्रमांक व आदेश क्रमांक, दिनांक दर्शाया गया है, जो मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाई गई तथा धारा-70 (1) के अंतर्गत मुझे उनका परिसमापक नियुक्त किया गया है:—

क्र.	संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक	आदेश क्रमांक/दिनांक
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	जी. एस. खनिज उत्खनन सह. समिति	1609	1542/02-07-2013

(1)	(2)	(3)	(4)
2.	गौड़वाना आदि उद्योग सह. समिति, जबलपुर	1531	1543/02-07-2013
3.	खनिज उत्खनन सह. समिति, मझौली	1798	1544/02-07-2013
4.	नरसिंह खनिज सह. समिति, जबलपुर	1751	1545/02-07-2013
5.	ग्रामीण खनिज सह. समिति मर्या., जबलपुर	1775	1546/02-07-2013
6.	हरहर नमंदे खनिज उत्खनन सह. समिति, जबलपुर	1708	1547/02-07-2013
7.	दुर्गागौड़ खनिज उत्खनन सह. समिति	1788	1548/02-07-2013
8.	शिवादीन दाउ महाराज खनिज उत्खनन सह. समिति मर्या., जबलपुर	1804	1549/02-07-2013
9.	महिला हरि. आ. खनिज उत्खनन सहकारी समिति मर्या., जबलपुर	1808	1550/02-07-2013
10.	श्रीसाँई खनिज उत्खनन सह. समिति, घुघरी	1748	1551/02-07-2013

अतः मैं, पंचम सिंह ठाकुर, परिसमापक एवं अंकेक्षण अधिकारी, जबलपुर, मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम, 1962 के नियम-57 (सी) के अन्तर्गत यह सूचना प्रकाशित करता हूँ कि किसी व्यक्ति या संस्था का उक्त संस्था के विरुद्ध जो भी लेना-देना निकल रहा हो वे इस विज्ञप्ति के प्रकाशित होने के 2 माह के भीतर अपने दावे एवं स्वत्व प्रमाण सहित मुझे कार्यालय उप-आयुक्त, सहकारिता, जबलपुर में प्रस्तुत करें। उक्त अवधि मैं प्राप्त न होने वाले दावे या स्वत्व के संबंध में बाद में कोई सुनवाई नहीं होगी तथा जो भी रिकार्ड उपलब्ध होगा उसके अनुसार ही कार्यवाही की जाकर संस्थाओं के पंजीयन निरस्तीकरण की कार्यवाही करने हेतु प्रतिवेदन सक्षम अधिकारी को भेज दिया जावेगा।

यह भी प्रकाशित किया जाता है कि किसी व्यक्ति के पास उपरोक्त समितियों के सदस्य या भूतपूर्व पदाधिकारियों के पास इन समितियों के संबंध में कोई लेखा पुस्तकें, रिकार्ड, रोकड़ एवं अन्य सामान हो तो इस सूचना प्रकाशित होने के दिनांक से 15 दिन के अन्दर मेरे कार्यालय में जमा कर दें, अन्यथा निश्चित अवधि व्यतीत हो जाने पर यदि किसी व्यक्ति के पास उपरोक्त समितियों की वस्तुएं, अभिलेख या सम्पत्ति होने की जानकारी मिली अथवा सिद्ध हुआ तो उसके विरुद्ध कानूनी कार्यवाही की जावेगी।

पंचम सिंह ठाकुर,

परिसमापक एवं अंकेक्षण अधिकारी।

कार्यालय परिसमापक एवं उप-अंकेक्षक, जिला जबलपुर

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम, 1962 के नियम-57 (सी) के अन्तर्गत]

सर्व-साधारण की जानकारी के लिये यह विज्ञप्ति प्रकाशित की जाती है कि उप/सहायक पंजीयक, सहकारी समितियाँ, जबलपुर के आदेशानुसार निम्न सहकारी समितियों जिनके पंजीयन क्रमांक व आदेश क्रमांक, दिनांक दर्शाया गया है, जो मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाई गई तथा धारा-70 (1) के अन्तर्गत मुझे उनका परिसमापक नियुक्त किया गया है:-

क्र.	संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक	आदेश क्रमांक/दिनांक
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	आजाद प्राथ. उप. सह. भंडार, जबलपुर	1183	1712/02-07-2013
2.	सादात प्राथ. उप. सह. भंडार, जबलपुर	1192	1713/02-07-2013
3.	समाज कल्याण प्राथ. उप. सह. भंडार	1200	1714/02-07-2013
4.	धनवर्षा प्राथ. उप. सह. भंडार, जबलपुर	1304	1715/02-07-2013
5.	मंसूर प्राथ. उप. सह. भंडार, जबलपुर	1299	1716/02-07-2013
6.	जय भारत प्राथ. उप. सह. भंडार, जबलपुर	1298	1717/02-07-2013
7.	शिवश्याम प्राथ. उप. सह. भंडार, जबलपुर	1291	1718/02-07-2013
8.	माँ वैष्णव प्राथ. उप. सह. भंडार, जबलपुर	1251	1719/02-07-2013

(1)	(2)	(3)	(4)
9.	जय भवानी प्राथ. उप. सह. भंडार, जबलपुर	1268	1720/02-07-2013
10.	सिविल कोर्ट एम्पा. सह. भंडार, जबलपुर	274	1721/02-07-2013
11.	पं. दीनदयाल प्राथ. उप. सह. भंडार, सिहोरा	939	1722/02-07-2013
12.	सुभाष चंद्र बोस प्राथ. उप. सह. भंडार, सिहोरा	938	1723/02-07-2013

अतः मैं, टी. आर. चौधरी, परिसमापक एवं उप-अंकेक्षक, जबलपुर, मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम, 1962 के नियम-57 (सी) के अंतर्गत यह सूचना प्रकाशित करता हूँ कि किसी व्यक्ति या संस्था का उक्त संस्था के विरुद्ध जो भी लेना-देना निकल रहा हो वे इस विज्ञप्ति के प्रकाशित होने के 2 माह के भीतर अपने दावे एवं स्वत्व प्रमाण सहित मुझे कार्यालय उप-आयुक्त, सहकारिता, जबलपुर में प्रस्तुत करें। उक्त अवधि में प्राप्त न होने वाले दावे या स्वत्व के संबंध में बाद में कोई सुनवाई नहीं होगी तथा जो भी रिकार्ड उपलब्ध होगा उसके अनुसार ही कार्यवाही की जाकर संस्थाओं के पंजीयन निरस्तीकरण की कार्यवाही करने हेतु प्रतिवेदन सक्षम अधिकारी को भेज दिया जावेगा।

यह भी प्रकाशित किया जाता है कि किसी व्यक्ति के पास उपरोक्त समितियों के सदस्य या भूतपूर्व पदाधिकारियों के पास इन समितियों के संबंध में कोई लेखा पुस्तकें, रिकार्ड, रोकड़ एवं अन्य सामान हो तो इस सूचना प्रकाशित होने के दिनांक से 15 दिन के अन्दर मेरे कार्यालय में जमा कर दें, अन्यथा निश्चित अवधि व्यतीत हो जाने पर यदि किसी व्यक्ति के पास उपरोक्त समितियों की वस्तुएं, अभिलेख या सम्पत्ति होने की जानकारी मिली अथवा सिद्ध हुआ तो उसके विरुद्ध कानूनी कार्यवाही की जावेगी।

टी. आर. चौधरी,

परिसमापक एवं उप-अंकेक्षक।

(730)

कार्यालय परिसमापक एवं सहकारिता निरीक्षक, जिला जबलपुर

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम, 1962 के नियम-57 (सी) के अन्तर्गत]

सर्व-साधारण की जानकारी के लिये यह विज्ञप्ति प्रकाशित की जाती है कि उप-सहायक पंजीयक, सहकारी समितियाँ, जबलपुर के आदेशानुसार निम्न सहकारी समितियों जिनके पंजीयन क्रमांक व आदेश क्रमांक, दिनांक दर्शाया गया है, जो मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाई गई तथा धारा-70 (1) के अंतर्गत मुझे उनका परिसमापक नियुक्त किया गया है:—

क्र.	संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक	आदेश क्रमांक/दिनांक
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	औद्योगिक खनिज उत्खनन सहकारी समिति मर्या., जबलपुर	1706	1512/02-07-2013
2.	पारस खनिज उत्खनन सहकारी समिति मर्या., जबलपुर	581	1513/02-07-2013
3.	कमजोर वर्ग दि उपकरण उद्योग सहकारी समिति मर्या., जबलपुर	694	1514/02-07-2013
4.	डॉ. अम्बेडकर औद्यो. सह. समिति मर्या., जबलपुर	570	1515/02-07-2013
5.	नर्मदा पाटरी उद्योग सह. समिति मर्या., जबलपुर	110	1516/02-07-2013
6.	प्रगति महिला उद्योग सह. समिति मर्या., जबलपुर	480	1517/02-07-2013
7.	इंडस्ट्रियल माइनिंग वर्कर्स उद्योग सह. समिति मर्या., जबलपुर	213	1518/02-07-2013
8.	वसुंधरा खनिज उत्खनन सह. समिति मर्या., जबलपुर	1747	1519/02-07-2013
9.	नवदुर्गा खनिज उत्खनन सह. समिति मर्या., जबलपुर	1746	1520/02-07-2013
10.	स्वामी जी महाराज खनिज उ. सह. समिति, जबलपुर	1745	1521/02-07-2013

अतः मैं, योगेश दुबे, परिसमापक एवं सहकारिता निरीक्षक, जबलपुर, मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम, 1962 के नियम-57 (सी) के अंतर्गत यह सूचना प्रकाशित करता हूँ कि किसी व्यक्ति या संस्था का उक्त संस्था के विरुद्ध जो भी लेना-देना निकल रहा हो वे इस विज्ञप्ति के प्रकाशित होने के 2 माह के भीतर अपने दावे एवं स्वत्व प्रमाण सहित मुझे कार्यालय उप-आयुक्त, सहकारिता, जबलपुर में प्रस्तुत करें। उक्त अवधि में प्राप्त

न होने वाले दावे या स्वत्व के संबंध में बाद में कोई सुनवाई नहीं होगी तथा जो भी रिकार्ड उपलब्ध होगा उसके अनुसार ही कार्यवाही की जाकर संस्थाओं के पंजीयन निरस्तीकरण की कार्यवाही करने हेतु प्रतिवेदन सक्षम अधिकारी को भेज दिया जावेगा।

यह भी प्रकाशित किया जाता है कि किसी व्यक्ति के पास उपरोक्त समितियों के सदस्य या भूतपूर्व पदाधिकारियों के पास इन समितियों के संबंध में कोई लेखा पुस्तकें, रिकार्ड, रोकड़ एवं अन्य सामान हो तो इस सूचना प्रकाशित होने के दिनांक से 15 दिन के अन्दर मेरे कार्यालय में जमा कर दें, अन्यथा निश्चित अवधि व्यतीत हो जाने पर यदि किसी व्यक्ति के पास उपरोक्त समितियों की वस्तुएं, अभिलेख या सम्पत्ति होने की जानकारी मिली अथवा सिद्ध हुआ तो उसके विरुद्ध कानूनी कार्यवाही की जावेगी।

योगेश दुबे,

परिसमापक एवं सहकारिता निरीक्षक।

(731)

कार्यालय परिसमापक एवं सहकारिता निरीक्षक, जिला जबलपुर

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम, 1962 के नियम-57 (सी) के अन्तर्गत]

सर्व-साधारण की जानकारी के लिये यह विज्ञप्ति प्रकाशित की जाती है कि उप/सहायक पंजीयक, सहकारी समितियाँ, जबलपुर के आदेशानुसार निम्न सहकारी समितियों जिनके पंजीयन क्रमांक व आदेश क्रमांक, दिनांक दर्शाया गया है, जो मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाई गई तथा धारा-70 (1) के अंतर्गत मुझे उनका परिसमापक नियुक्त किया गया है:—

क्र.	संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक	आदेश क्रमांक/दिनांक
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	कास्तकला उद्योग सह. समिति, जबलपुर	369	1572/02-07-2013
2.	रेडियंस उद्योग सह. समिति, जबलपुर	280	1573/02-07-2013
3.	धनुषवाद काष्ठकला उद्योग समिति, जबलपुर	520	1574/02-07-2013
4.	आदिवासी एवं काम. एवं कारीगर स. समिति	1264	1575/02-07-2013
5.	आदिवासी हरिजन पत्थर मुरम, जबलपुर	1066	1576/02-07-2013
6.	महात्मागांधी रिक्साचालक सह. समिति, जबलपुर	552	1577/02-07-2013
7.	सर्वोदय महिला इंजिनियरिंग उद्योग	31	1578/02-07-2013
8.	संस्कारधानी सफाई का. सह. समिति, जबलपुर	1915	1579/02-07-2013
9.	मरियम लेबर कार्ट्रेक्ट सफाई स. समिति	1882	1580/02-07-2013
10.	दलित सफाई का. सहकारी समिति, जबलपुर	1918	1581/02-07-2013

अतः मैं, व्ही. डी. नाहर, परिसमापक एवं सहकारिता निरीक्षक, जबलपुर, मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम, 1962 के नियम-57 (सी) के अंतर्गत यह सूचना प्रकाशित करता हूँ कि किसी व्यक्ति या संस्था का उक्त संस्थाओं के विरुद्ध जो भी लेना-देना निकल रहा वे इस विज्ञप्ति के प्रकाशित होने के 2 माह के भीतर अपने दावे एवं स्वत्व प्रमाण सहित मुझे कार्यालय उप-आयुक्त, सहकारिता, जबलपुर में प्रस्तुत करें। उक्त अवधि में प्राप्त न होने वाले दावे या स्वत्व के संबंध में बाद में कोई सुनवाई नहीं होगी तथा जो भी रिकार्ड उपलब्ध होगा उसके अनुसार ही कार्यवाही की जाकर संस्थाओं के पंजीयन निरस्तीकरण की कार्यवाही करने हेतु प्रतिवेदन सक्षम अधिकारी को भेज दिया जावेगा।

यह भी प्रकाशित किया जाता है कि किसी व्यक्ति के पास उपरोक्त समितियों के सदस्य या भूतपूर्व पदाधिकारियों के पास इन समितियों के संबंध में कोई लेखा पुस्तकें, रिकार्ड, रोकड़ एवं अन्य सामान हो तो इस सूचना प्रकाशित होने के दिनांक से 15 दिन के अन्दर मेरे कार्यालय में जमा कर दें, अन्यथा निश्चित अवधि व्यतीत हो जाने पर यदि किसी व्यक्ति के पास उपरोक्त समितियों की वस्तुएं, अभिलेख या सम्पत्ति होने की जानकारी मिली अथवा सिद्ध हुआ तो उसके विरुद्ध कानूनी कार्यवाही की जावेगी।

व्ही. डी. नाहर,

परिसमापक एवं सहकारिता निरीक्षक।

(732)

कार्यालय परिसमापक एवं उप-अंकेक्षक, जिला जबलपुर

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम, 1962 के नियम-57 (सी) के अन्तर्गत]

सर्व-साधारण की जानकारी के लिये यह विज्ञप्ति प्रकाशित की जाती है कि उप/सहायक पंजीयक, सहकारी समितियाँ, जबलपुर के आदेशानुसार निम्न सहकारी समितियों जिनके पंजीयन क्रमांक व आदेश क्रमांक, दिनांक दर्शाया गया है, जो मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाई गई तथा धारा-70 (1) के अंतर्गत मुझे उनका परिसमापक नियुक्त किया गया है:—

क्र.	संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक	आदेश क्रमांक/दिनांक
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	चाणक्य प्राथ. उप. सह. भंडार, जबलपुर	1343	1650/02-07-2013
2.	जय भारत प्राथ. उप. सह. भंडार	1415	1651/02-07-2013
3.	जबलपुर हाकर्स प्राथ. उप. सह. भंडार, जबलपुर	1405	1652/02-07-2013
4.	तिलक प्राथ. उप. सह. भंडार	1383	1653/02-07-2013
5.	पि. वर्ग कल्याण महिला प्राथ. उप. सह. भंडार	1393	1654/02-07-2013
6.	माँ शारदा प्राथ. उप. सह. भंडार, जबलपुर	1382	1655/02-07-2013
7.	ज्वाला प्राथ. उप. सह. भंडार, जबलपुर	1377	1656/02-07-2013
8.	पारस प्राथ. उप. सह. भंडार, जबलपुर	1365	1657/02-07-2013
9.	गीता प्राथ. उप. सह. भंडार, जबलपुर	1332	1658/02-07-2013

अतः मैं, एम. जी. सोनी, परिसमापक एवं उप-अंकेक्षक, जबलपुर, मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम, 1962 के नियम-57 (सी) के अंतर्गत यह सूचना प्रकाशित करता हूँ कि किसी व्यक्ति या संस्था का उक्त संस्थाओं के विरुद्ध जो भी लेना-देना वे इस विज्ञिति के प्रकाशित होने के 2 माह के भीतर अपने दावे एवं स्वत्व प्रमाण सहित मुझे कार्यालय उप-आयुक्त, सहकारिता, जबलपुर में प्रस्तुत करें। उक्त अवधि में प्राप्त न होने वाले दावे या स्वत्व के संबंध में बाद में कोई सुनवाई नहीं होगी तथा जो भी रिकार्ड उपलब्ध होगा उसके अनुसार ही कार्यवाही की जाकर संस्थाओं के पंजीयन निरस्तीकरण की कार्यवाही करने हेतु प्रतिवेदन सक्षम अधिकारी को भेज दिया जावेगा।

यह भी प्रकाशित किया जाता है कि किसी व्यक्ति के पास उपरोक्त समितियों के सदस्य या भूतपूर्व पदाधिकारियों के पास इन समितियों के संबंध में कोई लेखा पुस्तकें, रिकार्ड, रोकड़ एवं अन्य सामान हो तो इस सूचना प्रकाशित होने के दिनांक से 15 दिन के अन्दर मेरे कार्यालय में जमा कर दें, अन्यथा निश्चित अवधि व्यतीत हो जाने पर यदि किसी व्यक्ति के पास उपरोक्त समितियों की वस्तुएं, अभिलेख या सम्पत्ति होने की जानकारी मिली अथवा सिद्ध हुआ तो उसके विरुद्ध कानूनी कार्यवाही की जावेगी।

एम. जी. सोनी,

परिसमापक एवं उप-अंकेक्षक।

(733)

कार्यालय परिसमापक एवं उप-अंकेक्षक, जिला जबलपुर

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम, 1962 के नियम-57 (सी) के अन्तर्गत]

सर्व-साधारण की जानकारी के लिये यह विज्ञप्ति प्रकाशित की जाती है कि उप/सहायक पंजीयक, सहकारी समितियाँ, जबलपुर के आदेशानुसार निम्न सहकारी समितियों जिनके पंजीयन क्रमांक व आदेश क्रमांक, दिनांक दर्शाया गया है, जो मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाई गई तथा धारा-70 (1) के अंतर्गत मुझे उनका परिसमापक नियुक्त किया गया है:—

क्र.	संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक	आदेश क्रमांक/दिनांक
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	मैखला प्राथ. उप. सह. भंडार, जबलपुर	1049	1669/02-07-2013
2.	स्वावलंबी प्राथ. उप. सह. भंडार, जबलपुर	1051	1670/02-07-2013

(1)	(2)	(3)	(4)
3.	अंजूमन प्राथ. उप. सह. भंडार, जबलपुर	1070	1671/02-07-2013
4.	सराफा प्राथ. उप. सह. भंडार, जबलपुर	1077	1672/02-07-2013
5.	आजाद प्राथ. उप. सह. भंडार, जबलपुर	1080	1673/02-07-2013
6.	दा राजिस्थानी प्राथ. उप. सह. भंडार	1096	1674/02-07-2013
7.	शिवशक्ति प्राथ. उप. सह. भंडार, जबलपुर	1320	1675/02-07-2013
8.	जी. सी. एफ. प्राथ. उप. सह. भंडार	1307	1676/02-07-2013
9.	अतुल प्राथ. उप. सह. भंडार, जबलपुर	1212	1677/02-07-2013
10.	श्री गायत्री प्राथ. उप. सह. भंडार, जबलपुर	1224	1678/02-07-2013

अतः मैं, एन. पी. विश्वकर्मा, परिसमापक एवं उप-अंकेक्षक, जबलपुर, मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम, 1962 के नियम-57 (सी) के अंतर्गत यह सूचना प्रकाशित करता हूँ कि किसी व्यक्ति या संस्था का उक्त संस्था के विरुद्ध जो भी लेना-देना निकल रहा हो वे इस विज्ञप्ति के प्रकाशित होने के 2 माह के भीतर अपने दावे एवं स्वत्व प्रमाण सहित मुझे कार्यालय उप-आयुक्त, सहकारिता, जबलपुर में प्रस्तुत करें। उक्त अवधि में प्राप्त न होने वाले दावे या स्वत्व के संबंध में बाद में कोई सुनवाई नहीं होगी तथा जो भी रिकार्ड उपलब्ध होगा उसके अनुसार ही कार्यवाही की जाकर संस्थाओं के पंजीयन निरस्तीकरण की कार्यवाही करने हेतु प्रतिवेदन सक्षम अधिकारी को भेज दिया जावेगा।

यह भी प्रकाशित किया जाता है कि किसी व्यक्ति के पास उपरोक्त समितियों के सदस्य या भूतपूर्व पदाधिकारियों के पास इन समितियों के संबंध में कोई लेखा पुस्तकें, रिकार्ड, रोकड़ एवं अन्य सामान हो तो इस सूचना प्रकाशित होने के दिनांक से 15 दिन के अन्दर मेरे कार्यालय में जमा कर दें, अन्यथा निश्चित अवधि व्यतीत हो जाने पर यदि किसी व्यक्ति के पास उपरोक्त समितियों की वस्तुएं, अभिलेख या सम्पत्ति होने की जानकारी मिली अथवा सिद्ध हुआ तो उसके विरुद्ध कानूनी कार्यवाही की जावेगी।

एन. पी. विश्वकर्मा,

(734)

परिसमापक एवं उप-अंकेक्षक।

कार्यालय परिसमापक एवं उप-अंकेक्षक, जिला जबलपुर

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम, 1962 के नियम-57 (सी) के अन्तर्गत]

सर्व-साधारण की जानकारी के लिये यह विज्ञप्ति प्रकाशित की जाती है कि उप/सहायक पंजीयक, सहकारी समितियाँ, जबलपुर के आदेशानुसार निम्न सहकारी समितियों जिनके पंजीयन क्रमांक व आदेश क्रमांक, दिनांक दर्शाया गया है, जो मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाई गई तथा धारा-70 (1) के अंतर्गत मुझे उनका परिसमापक नियुक्त किया गया है:—

क्र.	संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक	आदेश क्रमांक/दिनांक
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	पंजाब बैंक कर्म. सह. सा. सं., जबलपुर	131	1724/02-07-2013
2.	रजा प्राथ. उप. सह. भंडार, जबलपुर	1194	1725/02-07-2013
3.	आदर्श महिला खनन स. स. नेपि. टाउन, जबलपुर	1701	1726/02-07-2013
4.	मातेश्वरी खनिज अ.जा./अनु.ज.जा. कूड़न कला	1767	1727/02-07-2013
5.	गीतांजलि कामगार सह. उप. भंडार, जबलपुर	15	1728/02-07-2013
6.	गन गैरिज फैक्ट्री उद्योग प्राथ. उप. सह. भंडार	22	1729/02-07-2013
7.	मजदूर बीड़ी उद्योग सह. समिति, जबलपुर	526	1730/02-07-2013
8.	ग्राम उत्थान चर्मोद्योग सह. समि., पड़वार	1066	1731/02-07-2013

(1)	(2)	(3)	(4)
9.	पिछड़ा वर्ग प्राथ. उप. भंडार, जबलपुर	1254	1732/02-07-2013
10.	तिलक प्राथ. उप. सह. भंडार, जबलपुर	1383	1733/02-07-2013
11.	जय जवान साग-सब्जी सह. समिति, जबलपुर	1317	1734/02-07-2013

अतः मैं, ओ. पी. दीक्षित, परिसमापक एवं उप-अंकेक्षक, जबलपुर, मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम, 1962 के नियम-57 (सी) के अंतर्गत यह सूचना प्रकाशित करता हूँ कि किसी व्यक्ति या संस्था का उक्त संस्था के विरुद्ध जो भी लेना-देना निकल रहा हो वे इस विज्ञप्ति के प्रकाशित होने के 2 माह के भीतर अपने दावे एवं स्वत्व प्रमाण सहित मुझे कार्यालय उप-आयुक्त, सहकारिता, जबलपुर में प्रस्तुत करें। उक्त अवधि में प्राप्त न होने वाले दावे या स्वत्व के संबंध में बाद में कोई सुनवाई नहीं होगी तथा जो भी रिकार्ड उपलब्ध होगा उसके अनुसार ही कार्यवाही की जाकर संस्थाओं के पंजीयन निरस्तीकरण की कार्यवाही करने हेतु प्रतिवेदन सक्षम अधिकारी को भेज दिया जावेगा।

यह भी प्रकाशित किया जाता है कि किसी व्यक्ति के पास उपरोक्त समितियों के सदस्य या भूतपूर्व पदाधिकारियों के पास इन समितियों के संबंध में कोई लेखा पुस्तकें, रिकार्ड, रोकड़ एवं अन्य सामान हो तो इस सूचना प्रकाशित होने के दिनांक से 15 दिन के अन्दर मेरे कार्यालय में जमा कर दें, अन्यथा निश्चित अवधि व्यतीत हो जाने पर यदि किसी व्यक्ति के पास उपरोक्त समितियों की वस्तुएं, अभिलेख या सम्पत्ति होने की जानकारी मिली अथवा सिद्ध हुआ तो उसके विरुद्ध कानूनी कार्यवाही की जावेगी।

ओ. पी. दीक्षित,

परिसमापक एवं उप-अंकेक्षक।

(735)

कार्यालय परिसमापक एवं उप-अंकेक्षक, जिला जबलपुर

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम, 1962 के नियम-57 (सी) के अन्तर्गत]

सर्व-साधारण की जानकारी के लिये यह विज्ञप्ति प्रकाशित की जाती है कि उप/सहायक पंजीयक, सहकारी समितियाँ, जबलपुर के आदेशानुसार निम्न सहकारी समितियों जिनके पंजीयन क्रमांक व आदेश क्रमांक, दिनांक दर्शाया गया है, जो मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाई गई तथा धारा-70 (1) के अंतर्गत मुझे उनका परिसमापक नियुक्त किया गया है:—

क्र.	संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक	आदेश क्रमांक/दिनांक
1.	स्वास्तिक प्राथ. उप. सह. भंडार, जबलपुर	1324	1659/02-07-2013
2.	जय संतोषी प्राथ. उप. सह. भंडार, जबलपुर	1313	1660/02-07-2013
3.	राजीव गाँधी प्राथ. उप. सह. भंडार, जबलपुर	1333	1661/02-07-2013
4.	पोस्टल एम्पा. प्राथ. उप. सह. भंडार, जबलपुर	239	1662/02-07-2013
5.	जय मातेश्वरी प्राथ. उप. सह. भंडार	713	1663/02-07-2013
6.	प्रतिभा महिला प्राथ. उप. सह. भंडार, , जबलपुर	992	1664/02-07-2013
7.	जय हिन्द महिला प्राथ. उप. सह. भंडार, जबलपुर	991	1665/02-07-2013
8.	सुभाष चन्द्र बोस प्राथ. उप. सह. भंडार	938	1666/02-07-2013
9.	महिला हरि. प्राथ. उप. सह. भंडार, जबलपुर	996	1667/02-07-2013
10.	पार्वती प्राथ. उप. सह. भंडार	1006	1668/02-07-2013

अतः मैं, बी. एम. सोनी, परिसमापक एवं उप-अंकेक्षक, जबलपुर, मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम, 1962 के नियम-57 (सी) के अंतर्गत यह सूचना प्रकाशित करता हूँ कि किसी व्यक्ति या संस्था का उक्त संस्था के विरुद्ध जो भी लेना-देना निकल रहा हो वे इस विज्ञप्ति के प्रकाशित होने के 2 माह के भीतर अपने दावे एवं स्वत्व प्रमाण सहित मुझे कार्यालय उप-आयुक्त, सहकारिता, जबलपुर में प्रस्तुत करें। उक्त अवधि में प्राप्त न होने वाले दावे या स्वत्व के संबंध में बाद में कोई सुनवाई नहीं होगी तथा जो भी रिकार्ड उपलब्ध होगा उसके अनुसार ही कार्यवाही की जाकर संस्थाओं के पंजीयन निरस्तीकरण की कार्यवाही करने हेतु प्रतिवेदन सक्षम अधिकारी को भेज दिया जावेगा।

यह भी प्रकाशित किया जाता है कि किसी व्यक्ति के पास उपरोक्त समितियों के सदस्य या भूतपूर्व पदाधिकारियों के पास इन समितियों के संबंध में कोई लेखा पुस्तकें, रिकार्ड, रोकड़ एवं अन्य सामान हो तो इस सूचना प्रकाशित होने के दिनांक से 15 दिन के अन्दर मेरे कार्यालय में जमा कर दें, अन्यथा निश्चित अवधि व्यतीत हो जाने पर यदि किसी व्यक्ति के पास उपरोक्त समितियों की वस्तुएं, अभिलेख या सम्पत्ति होने की जानकारी मिली अथवा सिद्ध हुआ तो उसके विरुद्ध कानूनी कार्यवाही की जावेगी।

बी. एम. सोनी,

(736)

परिसमापक एवं उप-अंकेक्षक,

कार्यालय परिसमापक एवं सहकारिता विस्तार अधिकारी, जबलपुर, जिला जबलपुर

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम, 1962 के नियम-57 (सी) के अन्तर्गत]

सर्व-साधारण की जानकारी के लिये यह विज्ञप्ति प्रकाशित की जाती है कि उप/सहायक पंजीयक, सहकारी समितियाँ, जबलपुर के आदेशानुसार निम्न सहकारी समितियों जिनके पंजीयन क्रमांक व आदेश क्रमांक, दिनांक दर्शाया गया है, जो मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाई गई तथा धारा-70 (1) के अंतर्गत मुझे उनका परिसमापक नियुक्त किया गया है:—

क्र.	संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक	आदेश क्रमांक/दिनांक
1.	स्वास्तिक बीड़ी उद्योग सह. समिति, जबलपुर	90	1462/02-07-2013
2.	तौज बीड़ी उद्योग सह. समिति, जबलपुर	164	1463/02-07-2013
3.	अंजूमन बीड़ी उद्योग सह. समिति, जबलपुर	206	1464/02-07-2013
4.	अमरज्योति बीड़ी उ. सह. समिति, जबलपुर	195	1465/02-07-2013
5.	भारत बीड़ी उद्योग सह. समिति, जबलपुर	400	1466/02-07-2013
6.	श्री अथानंद बीड़ी उ. सह. समिति, जबलपुर	407	1467/02-07-2013
7.	राहत बीड़ी उद्योग सह. समिति, जबलपुर	711	1468/02-07-2013
8.	उत्तर मिलौनी गंज महिला बीड़ी उ. स., जबलपुर	772	1469/02-07-2013
9.	बीड़ी कामगार उ. सह. समिति, जबलपुर	693	1470/02-07-2013
10.	संस्कारधानी हा. बुन. सह. समिति, जबलपुर	347	1471/02-07-2013

अतः मैं, व्ही. के. तिवारी, परिसमापक एवं सहकारिता विस्तार अधिकारी, जबलपुर, मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम, 1962 के नियम-57 (सी) के अंतर्गत यह सूचना प्रकाशित करता हूँ कि किसी व्यक्ति या संस्था का उक्त संस्था के विरुद्ध जो भी लेना-देना निकल रहा हो वे इस विज्ञप्ति के प्रकाशित होने के 2 माह के भीतर अपने दावे एवं स्वत्व प्रमाण सहित मुझे कार्यालय उप-आयुक्त, सहकारिता, जबलपुर में प्रस्तुत करें। उक्त अवधि में प्राप्त न होने वाले दावे या स्वत्व के संबंध में बाद में कोई सुनवाई नहीं होगी तथा जो भी रिकार्ड उपलब्ध होगा उसके अनुसार ही कार्यवाही की जाकर संस्थाओं के पंजीयन निरस्तीकरण की कार्यवाही करने हेतु प्रतिवेदन सक्षम अधिकारी को भेज दिया जावेगा।

यह भी प्रकाशित किया जाता है कि किसी व्यक्ति के पास उपरोक्त समितियों के सदस्य या भूतपूर्व पदाधिकारियों के पास इन समितियों के संबंध में कोई लेखा पुस्तकें, रिकार्ड, रोकड़ एवं अन्य सामान हो तो इस सूचना प्रकाशित होने के दिनांक से 15 दिन के अन्दर मेरे कार्यालय में जमा कर दें, अन्यथा निश्चित अवधि व्यतीत हो जाने पर यदि किसी व्यक्ति के पास उपरोक्त समितियों की वस्तुएं, अभिलेख या सम्पत्ति होने की जानकारी मिली अथवा सिद्ध हुआ तो उसके विरुद्ध कानूनी कार्यवाही की जावेगी।

व्ही. के. तिवारी,

(737)

परिसमापक एवं सहकारिता विस्तार अधिकारी।

कार्यालय परिसमापक एवं सहकारिता निरीक्षक, जिला जबलपुर

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम, 1962 के नियम-57 (सी) के अन्तर्गत]

सर्व-साधारण की जानकारी के लिये यह विज्ञप्ति प्रकाशित की जाती है कि उप/सहायक पंजीयक, सहकारी समितियाँ, जबलपुर के आदेशानुसार निम्न सहकारी समितियों जिनके पंजीयन क्रमांक व आदेश क्रमांक, दिनांक दर्शाया गया है, जो मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1960 की

धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाई गई तथा धारा-70 (1) के अंतर्गत मुझे उनका परिसमापक नियुक्त किया गया है:—

क्र.	संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक	आदेश क्रमांक/दिनांक
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	महामाया पशुधन सह. समिति, जबलपुर	1683	1413/02-07-2013
2.	सनराईज पोल्ट्रीफार्म सह. समिति मर्या., जबलपुर	801	1414/02-07-2013
3.	नवोदित मुर्गीपालन पशुपालन स. स., जबलपुर	669	1415/02-07-2013
4.	रानी दुर्गाविति सा. सब्जी उ. स. स. शहपुरा, जबलपुर	1854	1416/02-07-2013
5.	आदिवासी मछुआ स. समिति, देवरी	1809	1417/02-07-2013
6.	प्रियदर्शनी मछुआ सह. समिति, झिरिया	1744	1418/02-07-2013
7.	सार्थक मुद्रणालय सह. समिति मर्या., जबलपुर	1911	1431/02-07-2013
8.	मुर्गी पालन सह. समिति मर्या., बेलखेड़ा	923	1432/02-07-2013
9.	सोनकर यातायात साख समिति मर्या., जबलपुर	927	1433/02-07-2013
10.	नयागांव मछुआ सह. साख समिति मर्या., नयागांव	1475	1434/02-07-2013
11.	माझी ढीमर मत्स्य सह. समिति मर्या., जबलपुर	1554	1435/02-07-2013
12.	आदर्श नगर मछुआ सह. समिति मर्या., बिछिया	1065	1436/02-07-2013
13.	निषादराज मछुआ सह. समिति मर्या., बुढ़ागर	1067	1437/02-07-2013
14.	गंगा मछुआ सह. समिति मर्या., पाटन	1810	1438/02-07-2013
15.	मत्स्योद्योग सह. समिति मर्या., पथरहटा	1575	1439/02-07-2013
16.	महिला बहुउद्देशीय सह. समिति मर्या., कूड़न	1803	1440/02-07-2013
17.	महिला बहुउद्देशीय सह. समिति मर्या., भीटा	1833	1441/02-07-2013

अतः मैं, टी. आर. कोरी, परिसमापक एवं सहकारिता निरीक्षक, जबलपुर, मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम, 1962 के नियम-57 (सी) के अंतर्गत यह सूचना प्रकाशित करता हूँ कि किसी व्यक्ति या संस्था का उक्त संस्था के विरुद्ध जो भी लेना-देना निकल रहा हो वे इस विज्ञप्ति के प्रकाशित होने के 2 माह के भीतर अपने दावे एवं स्वत्व प्रमाण सहित मुझे कार्यालय उप-आयुक्त, सहकारिता, जबलपुर में प्रस्तुत करें। उक्त अवधि में प्राप्त न होने वाले दावे या स्वत्व के संबंध में बाद में कोई सुनवाई नहीं होगी तथा जो भी रिकार्ड उपलब्ध होगा उसके अनुसार ही कार्यवाही की जाकर संस्थाओं के पंजीयन निरस्तीकरण की कार्यवाही करने हेतु प्रतिवेदन सक्षम अधिकारी को भेज दिया जावेगा।

यह भी प्रकाशित किया जाता है कि किसी व्यक्ति के पास उपरोक्त समितियों के सदस्य या भूतपूर्व पदाधिकारियों के पास इन समितियों के संबंध में कोई लेखा पुस्तकें, रिकार्ड, रोकड़ एवं अन्य सामान हो तो इस सूचना प्रकाशित होने के दिनांक से 15 दिन के अन्दर मेरे कार्यालय में जमा कर दें, अन्यथा निश्चित अवधि व्यतीत हो जाने पर यदि किसी व्यक्ति के पास उपरोक्त समितियों की वस्तुएं, अभिलेख या सम्पत्ति होने की जानकारी मिली अथवा सिद्ध हुआ तो उसके विरुद्ध कानूनी कार्यवाही की जावेगी।

टी. आर. कोरी,

परिसमापक एवं सहकारिता निरीक्षक,

(738)

कार्यालय परिसमापक एवं वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक, जिला जबलपुर

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम, 1962 के नियम-57 (सी) के अन्तर्गत]

सर्व-साधारण की जानकारी के लिये यह विज्ञप्ति प्रकाशित की जाती है कि उप/सहायक पंजीयक, सहकारी समितियाँ, जबलपुर के आदेशानुसार निम्न सहकारी समितियों जिनके पंजीयन क्रमांक व आदेश क्रमांक, दिनांक दर्शाया गया है, जो मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1960 की

धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाई गई तथा धारा-70 (1) के अंतर्गत मुझे उनका परिसमापक नियुक्त किया गया है:—

क्र.	संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक	आदेश क्रमांक/दिनांक
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	सेनेटरीमाट उद्योग सह. समिति, जबलपुर	1856	1562/02-07-2013
2.	गुलाब वांशिंग पावडर सह. समिति मर्या., जबलपुर	1849	1563/02-07-2013
3.	महालक्ष्मी इंडस्ट्रीयल उद्योग सहकारी समिति मर्या., जबलपुर	266	1564/02-07-2013
4.	हरिजन आदिवासी मजदूर उद्योग एवं मुरम सह. समिति, जबलपुर	1501	1565/02-07-2013
5.	आटो डीजल उद्योग सह. समिति, जबलपुर	275	1566/02-07-2013
6.	खेतिहार श्रमिक का. उद्योग सह. समिति, जबलपुर	1630	1567/02-07-2013
7.	पूनम मसाला उद्योग सहकारी समिति मर्या., जबलपुर	464	1568/02-07-2013
8.	इंजीनियरिंग उद्योग सह. समिति, जबलपुर	451	1569/02-07-2013
9.	गुरुमत काष्ठकला उद्योग सह. समिति, जबलपुर	429	1570/02-07-2013
10.	वास्तुकला उद्योग सह. समिति, जबलपुर	371	1571/02-07-2013

अतः मैं, एन. के. सोनकर, परिसमापक एवं वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक, जबलपुर, मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम, 1962 के नियम-57 (सी) के अंतर्गत यह सूचना प्रकाशित करता हूँ कि किसी व्यक्ति या संस्था का उक्त संस्था के विरुद्ध जो भी लेना-देना निकल रहा हो वे इस विज्ञप्ति के प्रकाशित होने के 2 माह के भीतर अपने दावे एवं स्वत्व प्रमाण सहित मुझे कार्यालय उप-आयुक्त, सहकारिता, जबलपुर में प्रस्तुत करें। उक्त अवधि में प्राप्त न होने वाले दावे या स्वत्व के संबंध में बाद में कोई सुनवाई नहीं होगी तथा जो भी रिकार्ड उपलब्ध होगा उसके अनुसार ही कार्यवाही की जाकर संस्थाओं के पंजीयन निरस्तीकरण की कार्यवाही करने हेतु प्रतिवेदन सक्षम अधिकारी को भेज दिया जावेगा।

यह भी प्रकाशित किया जाता है कि किसी व्यक्ति के पास उपरोक्त समितियों के सदस्य या भूतपूर्व पदाधिकारियों के पास इन समितियों के संबंध में कोई लेखा पुस्तकें, रिकार्ड, रोकड़ एवं अन्य सामान हो तो इस सूचना प्रकाशित होने के दिनांक से 15 दिन के अन्दर मेरे कार्यालय में जमा कर दें, अन्यथा निश्चित अवधि व्यतीत हो जाने पर यदि किसी व्यक्ति के पास उपरोक्त समितियों की वस्तुएं, अभिलेख या सम्पत्ति होने की जानकारी मिली अथवा सिद्ध हुआ तो उसके विरुद्ध कानूनी कार्यवाही की जावेगी।

एन. के. सोनकर,

परिसमापक एवं वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक।

(740)

कार्यालय परिसमापक एवं सहकारिता निरीक्षक, जबलपुर

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम, 1962 के नियम-57 (सी) के अन्तर्गत]

सर्व-साधारण की जानकारी के लिये यह विज्ञप्ति प्रकाशित की जाती है कि उप/सहायक पंजीयक, सहकारी समितियाँ, जबलपुर के आदेशानुसार निम्न सहकारी समितियों जिनके पंजीयन क्रमांक व आदेश क्रमांक, दिनांक दर्शाया गया है, जो मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाई गई तथा धारा-70 (1) के अंतर्गत मुझे उनका परिसमापक नियुक्त किया गया है:—

क्र.	संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक	आदेश क्रमांक/दिनांक
1.	चर्म उद्योग सह. समिति, राज्यी	1818	1492/02-07-2013
2.	डॉ. अम्बेडकर चर्म उद्योग सह. समिति, जबलपुर	1680	1493/02-07-2013
3.	रविदास चर्म उद्योग सह. समिति, जबलपुर	1629	1494/02-07-2013
4.	पापुलर बैग इंडस्ट्रीज स. स., जबलपुर	788	1495/02-07-2013
5.	रेवा लिफाफा उ. सह. स., जबलपुर	133	1496/02-07-2013

(1)	(2)	(3)	(4)
6.	नर्मदा लुहारी-सुतारी एवं फर्नीचर उद्योग सहकारी समिति मर्या., जबलपुर	147	1497/02-07-2013
7.	रोज प्लास्टिक उ. सह., जबलपुर	167	1498/02-07-2013
8.	कोहीनूर पॉवरलूम बुनकर, जबलपुर	618	1499/02-07-2013
9.	बीरांगना शक्तिपुंज म. बहु., खजरी	1877	1500/02-07-2013
10.	दुग्ध उत्पा. सह. समिति, किसरोंद शहपुरा	569	1501/02-07-2013

अतः मैं, आर. सी. मेहरा, परिसमापक एवं सहकारिता निरीक्षक, जबलपुर, मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम, 1962 के नियम-57 (सी) के अंतर्गत यह सूचना प्रकाशित करता हूँ कि किसी व्यक्ति या संस्था का उक्त संस्था के विरुद्ध जो भी लेना-देना निकल रहा हो वे इस विज्ञप्ति के प्रकाशित होने के 2 माह के भीतर अपने दावे एवं स्वत्व प्रमाण सहित मुझे कार्यालय उप-आयुक्त, सहकारिता, जबलपुर में प्रस्तुत करें। उक्त अवधि में प्राप्त न होने वाले दावे या स्वत्व के संबंध में बाद में कोई सुनवाई नहीं होगी तथा जो भी रिकार्ड उपलब्ध होगा उसके अनुसार ही कार्यवाही की जाकर संस्थाओं के पंजीयन निरस्तीकरण की कार्यवाही करने हेतु प्रतिवेदन सक्षम अधिकारी को भेज दिया जावेगा।

यह भी प्रकाशित किया जाता है कि किसी व्यक्ति के पास उपरोक्त समितियों के सदस्य या भूतपूर्व पदाधिकारियों के पास इन समितियों के संबंध में कोई लेखा पुस्तकें, रिकार्ड, रोकड़ एवं अन्य सामान हो तो इस सूचना प्रकाशित होने के दिनांक से 15 दिन के अन्दर मेरे कार्यालय में जमा कर दें, अन्यथा निश्चित अवधि व्यतीत हो जाने पर यदि किसी व्यक्ति के पास उपरोक्त समितियों की वस्तुएं, अभिलेख या सम्पत्ति होने की जानकारी मिली अथवा सिद्ध हुआ तो उसके विरुद्ध कानूनी कार्यवाही की जावेगी।

आर. सी. मेहरा,

परिसमापक एवं सहकारिता निरीक्षक।

(741)

कार्यालय परिसमापक एवं उप-अंकेक्षक, जिला, जबलपुर

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम, 1962 के नियम-57 (सी) के अन्तर्गत]

सर्व-साधारण की जानकारी के लिये यह विज्ञप्ति प्रकाशित की जाती है कि उप/सहायक पंजीयक, सहकारी समितियाँ, जबलपुर के आदेशानुसार निम्न सहकारी समितियों जिनके पंजीयन क्रमांक व आदेश क्रमांक, दिनांक दर्शाया गया है, जो मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाई गई तथा धारा-70 (1) के अंतर्गत मुझे उनका परिसमापक नियुक्त किया गया है:—

क्र.	संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक	आदेश क्रमांक/दिनांक
1.	बैराणी हाथ. बुन. सह. समि., जबलपुर	359	1472/02-07-2013
2.	दीपक हाथ. करघा, जबलपुर	393	1473/02-07-2013
3.	उपकार हाथ. बुनु. सह. समिति, जबलपुर	502	1474/02-07-2013
4.	इन्द्रा हाथ. बुन. सह. समिति, जबलपुर	570	1475/02-07-2013
5.	हिना हाथ. बुन. सह. समिति, जबलपुर	614	1476/02-07-2013
6.	महाकौशल हाथ. बुन. सह. समिति, जबलपुर	701	1477/02-07-2013
7.	प्रतिमा हाथ. बुन. सह. समिति, जबलपुर	718	1478/02-07-2013
8.	चर्म उद्योग सह. समिति, सोनपुर	1553	1479/02-07-2013
9.	दुग्ध उ. सह. समिति, नौनी शहपुरा	780	1480/02-07-2013
10.	मार्डन चर्म उद्योग सह. समिति, जबलपुर	194	1481/02-07-2013

अतः मैं, के. के. तिवारी, परिसमापक एवं उप-अंकेक्षक, जबलपुर, मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम, 1962 के नियम-57 (सी) के अंतर्गत यह सूचना प्रकाशित करता हूँ कि किसी व्यक्ति या संस्था का उक्त संस्था के विरुद्ध जो भी लेना-देना निकल रहा हो वे इस विज्ञप्ति के प्रकाशित होने के 2 माह के भीतर अपने दावे एवं स्वत्व प्रमाण सहित मुझे कार्यालय उप-आयुक्त, सहकारिता, जबलपुर में प्रस्तुत करें। उक्त अवधि में प्राप्त

न होने वाले दावे या स्वत्व के संबंध में बाद में कोई सुनवाई नहीं होगी तथा जो भी रिकार्ड उपलब्ध होगा उसके अनुसार ही कार्यवाही की जाकर संस्थाओं के पंजीयन निरस्तीकरण की कार्यवाही करने हेतु प्रतिवेदन सक्षम अधिकारी को भेज दिया जावेगा।

यह भी प्रकाशित किया जाता है कि किसी व्यक्ति के पास उपरोक्त समितियों के सदस्य या भूतपूर्व पदाधिकारियों के पास इन समितियों के संबंध में कोई लेखा पुस्तकें, रिकार्ड, रोकड़ एवं अन्य सामान हो तो इस सूचना प्रकाशित होने के दिनांक से 15 दिन के अन्दर मेरे कार्यालय में जमा कर दें, अन्यथा निश्चित अवधि व्यतीत हो जाने पर यदि किसी व्यक्ति के पास उपरोक्त समितियों की वस्तुएं, अभिलेख या सम्पत्ति होने की जानकारी मिली अथवा सिद्ध हुआ तो उसके विरुद्ध कानूनी कार्यवाही की जावेगी।

के. के. तिवारी,

(742)

परिसमापक एवं उप-अंकेक्षक.

कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, सागर

सागर, दिनांक 24 अप्रैल, 2013

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के तहत]

क्र./विधि/परि./2013/766.—रानी दुर्गावती महिला बहु, सहकारी समिति मर्या., भैंसा, विकासखण्ड सागर, जिला सागर (मध्यप्रदेश) पंजीयन क्र. 829, दिनांक 20 मई, 2002, (जिसे आगे समिति कहा गया है) के सम्बन्ध में सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थाएं, सागर के पत्र क्र./स.पं.सा/अंके./12/205, दिनांक 30 मार्च, 2012 द्वारा अवगत कराया गया है कि संस्था विगत वर्षों से अकार्यशील है। संस्था का पंजीयन जिस उद्देश्य से किया गया था उसकी पूर्ति करने में वह सर्वथा असफल रही है संस्था द्वारा सदस्यों के हित में कोई कार्य नहीं किया गया है। तदनुसार कार्यालयीन पत्र क्रमांक/विधि/12/1599, दिनांक 28 जुलाई, 2012 के द्वारा कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर संस्था को परिसमापन में लाये जाने की कार्यवाही प्रस्तावित करते हुए 30 दिवस के अन्दर कारण बताओ सूचना-पत्र का उत्तर चाहा गया था।

कारण बताओ सूचना-पत्र का उत्तर आज दिनांक तक प्रस्तुत नहीं किया गया। इससे स्पष्ट है कि अधिरोपित आरोप स्वीकार है। इस कारण संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो जाता है।

अतः मैं, एस. के. जैन, सहायक पंजीयक सहकारी संस्थाएं सागर, मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र.-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अन्तर्गत रानी दुर्गावती महिला बहु, सहकारी समिति मर्या., भैंसा, पंजीयन क्र. 829, दिनांक 20 मई, 2002, विकासखण्ड सागर, जिला सागर को परिसमापन में लाता हूँ, साथ ही मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-70 के अन्तर्गत सहकारिता विस्तार अधिकारी, विकासखण्ड सागर को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 24 अप्रैल, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा सहित जारी किया गया।

एस. के. जैन,
सहायक पंजीयक।

(699-O)



मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 51]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 20 दिसम्बर 2013-अग्रहायण 29, शके 1935

भाग 3 (2)

सांख्यिकीय सूचनाएं

कार्यालय आयुक्त, भू-अभिलेख, मध्यप्रदेश

मौसम, फसल एवं पशु-स्थिति का साप्ताहिक प्रतिवेदन, सप्ताहान्त बुधवार, दिनांक 28 अगस्त, 2013

1. मौसम एवं वर्षा.—राज्य में इस सप्ताह आकाश मेघाच्छादित रहा है तथा राज्य के अधिकांश जिलों में वर्षा का होना पाया गया है।—

(अ) 0.1 मि. मी. से 17.4 मि. मी. तक.—तहसील मुरैना, कैलारस (मुरैना), कराहल (श्योपुर), शिवपुरी, कोलारस (शिवपुरी), मझावां, विरसिंहपुर (सतना), जेतहरी (अनूपपुर), जोवट, अलीराजपुर, कट्टीवाड़ा, चन्द्रशेखर आजाद नगर, (अलीराजपुर), घुघरी (मण्डला) में उक्त मि. मी. के अन्तर्गत वर्षा हुई है।

(ब) 17.5 मि. मी. से 34.9 मि. मी. तक.—तहसील जौरा (मुरैना), गोहद (भिण्ड), ग्वालियर (ग्वालियर), पिछोर, खणियाधाना, नरवर (शिवपुरी), रघुराजनगर, रामपुर-बधेलान, नागौद, उचेहरा, रामनगर (सतना), बिछिया, नैनपुर (मण्डला) में उक्त मि. मी. के अन्तर्गत वर्षा हुई है।

(स) 35.0 मि. मी. से 53.1 मि. मी. तक.—तहसील अम्बाह (मुरैना), भितरवार (ग्वालियर), अमरपाटन, मैहर (सतना), भानपुरा, संजीत (मंदसौर), बुरहानपुर (बुरहानपुर) में उक्त मि. मी. के अन्तर्गत वर्षा हुई है।

(द) 53.2 मि. मी. से 244.9 मि. मी. तक.—तहसील पोरसा, सबलगढ़ (मुरैना), श्योपुर, विजयपुर (श्योपुर), अटेर, भिण्ड, मेहगांव, लहार, मिहोना (भिण्ड), डबरा, घाटीगांव (ग्वालियर), करैरा, पोहरी, बद्रवास (शिवपुरी), निवाड़ी, पृथ्वीपुर, जतारा, टीकमगढ़, बल्देवगढ़, पतेरा, ओरछा (टीकमगढ़), लौण्डी, गौरीहार, नौगांव, छतरपुर, राजनगर, बड़ामलहरा, बक्सवाहा (छतरपुर), बीना, खुर्दी, बण्डा, सागर, रेहली, देवरी, गढ़ाकोटा, राहतगढ़, केसरी, मालथोन, शाहगढ़ (सागर), त्याँथर, सिरमौर, मऊगंज, हनुमना, हजूर, गुढ़, रायपुर-कर्चुलियान (रीवा), अनूपपुर, कोतमा, पुष्पराजगढ़ (अनूपपुर), बांधवगढ़, पाली, मानपुर (उमरिया), सुबासाराटपा, मल्हरगढ़, गरोठ, मंदसौर, धुन्धडका, सीतामऊ, शामगढ़, कयामपुर (मंदसौर) खाचरौद, महिदपुर, तराना, घटिया, उज्जैन, बड़नगर, नागदा (उज्जैन), बदनावर, सरदारपुर, धार, कुक्की, मनावर, धरमपुरी, गंधवानी, डही (धार), खकनार, नेपानगर (बुरहानपुर), जीरापुर, खिलचीपुर, राजगढ़, व्यावरा, सारंगपुर, नरसिंहगढ़ (राजगढ़) लटेरी, सिरोंज, कुरवाई, बासौदा, नटेरन, विदिशा, ग्यारसपुर (विदिशा), आठनेर (बैतूल), सिवनी-मालवा, होशंगाबाद, बाबई, इटारसी, सोहागपुर, पिपरिया, वनखेड़ी (होशंगाबाद), सीहोरा, पाटन, जबलपुर, मझौली, कुण्डम (जबलपुर), कटनी, रीठी, विजयराघवगढ़, बहोरीबंद, ढीमरखेड़ा, बरही, बड़वारा (कटनी), निवास, मण्डला, नारायणगंज (मण्डला), सिवनी, केवलारी, लखनादौन, बरघाट, कुरई, धंसौर, धनौरा, छपारा (सिवनी), बालाघाट, लांजी, बैहर, वारासिवनी, कटंगी (बालाघाट) में उक्त मि. मी. के अन्तर्गत वर्षा हुई है।

(ड) 245.0 मि. मी. से 450.0 मि. मी. तक.—तहसील बिजावर (छतरपुर), भैंसदेही, घोड़ाडोगरी, शाहपुर, चिचौली, बैतूल, मुलताई, आमला (बैतूल) में उक्त मि. मी. के अन्तर्गत वर्षा हुई है।

(ढ) 450.1 मि. मी. से अधिकतम तक.—तहसील बैरसिया, हुजूर (भोपाल), पचमढ़ी (होशंगाबाद) में उक्त मि. मी. के अन्तर्गत वर्षा हुई है।

2. जुताई.—जिला श्योपुर, ग्वालियर, सतना, रीवा, अनूपपुर, सीधी, सिंगरौली, जबलपुर, मण्डला में जुताई एवं रोपाई का कार्य कहीं-कहीं चालू है।

3. बोनी.—जिला सिवनी में फसल रामतिल, श्योपुर, ग्वालियर, पन्ना, रीवा, मण्डला में बोनी का कार्य कहीं-कहीं चालू है।

4. फसल स्थिति.—जिला रीवा में फसल दलहन, तिलहन में हानि व सागर में अतिवृष्टि से फसलें कहीं-कहीं प्रभावित हुई हैं।

5. कटाई.— ..

6. सिंचाई.—जिला ग्वालियर में सिंचाई हेतु पानी कहीं-कहीं अपर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है।

7. पशुओं की स्थिति.—राज्य के प्रायः सभी जिलों में पशुओं की स्थिति संतोषप्रद है।

8. चारा.—राज्य के प्रायः सभी जिलों में चारा पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है।

9. बीज.—राज्य के प्रायः सभी जिलों में बीज पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है।

10. खेतिहर श्रमिक.—राज्य के प्रायः सभी जिलों में खेतिहर श्रमिक पर्याप्त संख्या व उचित दर पर उपलब्ध हैं।

मौसम, फसल तथा पशु-स्थिति का सासाहिक सूचना-पत्र, समाहांत बुधवार, दिनांक 28 अगस्त, 2013

जिला/तहसीलें	1. सप्ताह में हुई वर्षा:- (अ) वर्षा का माप (मि. मी.) में (ब) वर्षा कम है या बहुत अधिक.	2. कृषि कार्यों की प्रगति तथा उन पर वर्षा का प्रभाव:- (अ) प्रारंभिक जुताई पर. (ब) बोनी पर. (स) रोपाई पर, अगर धान की रोपाई होती हो. (द) खड़ी फसल पर, रोग व कीड़ों के आक्रमण के असर का वर्णन सहित. (य) कटी हुई फसल पर.	3. अन्य अंसामयिक घटना और उसका फसलों पर प्रभाव. 4. खड़ी फसल का व्यापक रूप से अनुमान, गत वर्ष की तुलना में :- (1) फसल का क्षेत्रफल - (अ) अधिक, समान या कम. (ब) प्रतिशत. (2) फसल की हालत- (अ) सुधरी हुई, समान या बिगड़ी हुई. (ब) प्रतिशत.	5. सिंचाई के लिये पानी (कम अथवा अधिक). 6. पशुओं की हालत तथा चारे की प्राप्ति.	7. बीज की प्राप्ति. 8. कृषि-सम्बन्धी मजदूरों की प्राप्ति.
1	2	3	4	5	6
जिला मुरैना :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. .. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. .. 8. पर्याप्त.
1. अम्बाह	46.0				
2. पोरसा	23.0				
3. मुरैना	8.0				
4. जौरा	23.0				
5. सबलगढ़	69.0				
6. कैलारस	6.0				
जिला श्योपुर :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी का कार्य चालू है.	3. .. 4. (1) गन्ना, कपास, मूँगफली, ज्वार, बाजरा, तिल, धान, सोयाबीन, उड्ढ, मूँग, तुअर समान. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. .. 8. पर्याप्त.
1. श्योपुर	90.0				
2. कराहल	14.0				
3. विजयपुर	98.2				
जिला भिण्ड :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. .. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. अटेर	91.0				
2. भिण्ड	118.1				
3. गोहद	32.0				
4. मेहगांव	74.0				
5. लहार	83.8				
6. मिहोना } 7. रौन } {	78.4				
जिला ग्वालियर :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी व रोपाई का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) .. (2) ..	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. ग्वालियर	25.1				
2. डबरा	62.2				
3. भितरवार	41.2				
4. घाटीगांव	68.0				
जिला दतिया :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. सेवढा	..				
2. दतिया	..				
3. भाण्डेर	..				
जिला शिवपुरी :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) गन्ना, मूँगफली, सोयाबीन अधिक. (2) उपरोक्त फसलों सुधरी हुई.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. शिवपुरी	16.0				
2. पिछोर	21.0				
3. खनियाथाना	30.0				
4. नरवर	26.0				
5. करैरा	83.0				
6. कोलारस	11.0				
7. पोहरी	85.0				
8. बद्रवास	90.0				

1	2	3	4	5	6
जिला अशोकनगरः	मिलीमीटर	2.	..	3. .. 4. (1) सोयाबीन, गन्ना अधिक. उड़द, मक्का कम. (2) उपरोक्त फसलें समान.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.
1. मुंगावली	..				7. .. 8. पर्याप्त.
2. ईसागढ़	..				
3. अशोकनगर	..				
4. चन्द्री	..				
*जिला गुना :	मिलीमीटर	2.	..	3. .. 4. (1) .. (2)	5. .. 6.
1. गुना	..				7. .. 8. ..
2. राधौगढ़	..				
3. बमोरी	..				
4. आरोन	..				
5. चाचौड़ा	..				
6. कुम्भराज	..				
जिला टीकमगढ़ः	मिलीमीटर	2.	..	3. .. 4. (1) धान, ज्वार, मक्का, उड़द, मूँग, सोयाबीन, तिल, मूँगफली, गन्ना, तुअर समान. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.
1. निवाड़ी	63.0				7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
2. पृथ्वीपुर	67.0				
3. जतारा	135.0				
4. टीकमगढ़	119.0				
5. बल्देवगढ़	179.0				
6. पलेरा	94.0				
7. ओरछा	59.0				
जिला छतरपुरः	मिलीमीटर	2.	..	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) ज्वार, अरहर अधिक. तिल समान. (2) उपरोक्त फसलें समान.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.
1. लौण्डी	65.0				7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
2. गौरीहार	88.0				
3. नौगांव	140.9				
4. छतरपुर	122.8				
5. राजनगर	157.0				
6. बिजावर	265.0				
7. बड़ामलहरा	169.4				
8. बक्सवाहा	104.0				
जिला पन्ना :	मिलीमीटर	2.	बोनी का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) तुअर, सोयाबीन, मक्का अधिक. धान, ज्वार, बाजरा, उड़द, मूँग, तिल कम. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.
1. अजयगढ़	..				7. .. 8. पर्याप्त.
2. पन्ना	..				
3. गुनौर	..				
4. पवई	..				
5. शाहनगर	..				
जिला सागरः	मिलीमीटर	2.	अतिवृष्टि से फसलें प्रभावित हुई हैं.	3. .. 4. (1) धान, ज्वार, मक्का, कोदों-कुटकी, उड़द, मूँग, अरहर, तिल, मूँगफली, सोयाबीन समान. (2) उपरोक्त फसलें समान.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.
1. बीना	128.0				7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
2. खुरई	130.4				
3. बण्डा	123.6				
4. सागर	82.4				
5. रेहली	208.4				
6. देवरी	140.0				
7. गढ़ाकोटा	189.8				
8. राहतगढ़	129.0				
9. केसली	83.6				
10. शाहगढ़	205.0				
11. मालथोन	109.2				

1	2	3	4	5	6
जिला दमोह :	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) धान, ज्वार, मक्का, तुअर, तिल, सोयाबीन, उड़द, मूँग समान. (2) उपरोक्त फसलें समान.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. हटा	..				
2. बटियागढ़	..				
3. दमोह	..				
4. पथरिया	..				
5. जवेरा	..				
6. तेन्दुखेड़ा	..				
7. पटेरा	..				
जिला सतना :	मिलीमीटर	2. जुताई का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) धान अधिक. सोयाबीन, उड़द, मूँग, मक्का, कोदों-कुटकी, तिल समान. (2) उपरोक्त फसलें समान.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. रघुराजनगर	24.3				
2. मझगांव	4.0				
3. रामपुर-बघेलान	30.0				
4. नागौद	20.1				
5. उचेहरा	25.4				
6. अमरपाटन	45.0				
7. रामनगर	30.0				
8. मैहर	42.0				
9. बिरासिंहपुर	10.0				
जिला रीवा :	मिलीमीटर	2. बोनी, रोपाई का कार्य चालू है. दलहन, तिलहन फसलों में हानि.	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) अरहर, धान, ज्वार, सोयाबीन, मूँग, उड़द, तिल समान. (2) उपरोक्त फसलें समान.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. त्याँथर	113.0				
2. सिरमौर	175.6				
3. मऊगंज	236.6				
4. हनुमना	135.3				
5. हजूर	131.0				
6. गुड़	88.0				
7. रायपुरकचुलियान	114.0				
*जिला शहडोल :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. .. 6. ..	7. .. 8. ..
1. सोहागपुर	..				
2. ब्यौहारी	..				
3. जैसिहनगर	..				
4. जैतपुर	..				
जिला अनूपपुर :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं रोपाई का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) मक्का, धान अधिक. कोदों, सोयाबीन, उड़द, तिल समान. (2) उपरोक्त फसलें समान.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. जैतहरी	14.5				
2. अनूपपुर	54.1				
3. कोतमा	63.3				
4. पुष्पराजगढ़	96.6				
जिला उमरिया :	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) धान, मक्का, कोदों-कुटकी, तुअर, उड़द, सोयाबीन, तिल अधिक. ज्वार, रामतिल-कम. (2) उपरोक्त फसलें समान.	5. .. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. बांधवगढ़	78.3				
2. पाली	90.0				
3. मानपुर	77.0				

1	2	3	4	5	6
जिला सीधी :	मिलीमीटर	2. जुताई का कार्य चालू है.	3. .. 4. (1) उड्ड कम. मवका, ज्वार, धान, कोदें-कुटकी, तिल, तुअर, मूँग, समान. (2) उपरोक्त फसलें समान.	5. .. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. .. 8. पर्याप्त.
1. गोपदवनास	..				
2. सिंहावल	..				
3. मझौली	..				
4. कुसमी	..				
5. चुरहट	..				
6. रामपुरनैकिन	..				
जिला सिंगरौली :	मिलीमीटर	2. जुताई का कार्य चालू है.	3. .. 4. (1) धान, तुअर, सांवा अधिक. मवका, ज्वार, मूँग, उड्ड, कोदें-कुटकी, तिल समान. (2) उपरोक्त फसलें समान.	5. .. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. चितरंगी	..				
2. देवसर	..				
3. सिंगरौली	..				
जिला मन्दसौर :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) कपास, मूँगफली, तिल, तुअर समान. (2) ..	5. .. 6. संतोषप्रद, ..	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. सुवासरा-टप्पा	84.7				
2. भानपुरा	41.0				
3. मल्हारगढ़	83.0				
4. गरोठ	62.0				
5. मन्दसौर	99.0				
6. धुन्थड़का	105.0				
7. सीतामऊ	213.4				
8. शामगढ़	53.8				
9. संजीत	45.0				
10. कथामपुर	112.2				
*जिला नीमच :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. .. 6. ..	7. .. 8. ..
1. जावद	..				
2. नीमच	..				
3. मनासा	..				
जिला रत्लाम :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. जावरा	..				
2. आलोट	..				
3. सैलाना	..				
4. बाजना	..				
5. पिपलौदा	..				
6. रत्लाम	..				
जिला उज्जैन :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) सोयाबीन, मवका समान. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. ..	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. खाचरौद	133.0				
2. महिदपुर	146.0				
3. तराना	137.0				
4. घटिया	93.0				
5. उज्जैन	175.0				
6. बड़नगर	227.0				
7. नागदा	128.0				
जिला शाजापुर :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. मो. बड़ोदिया	..				
2. सुसनेर	..				
3. नलखेड़	..				
4. आगर	..				
5. बड़ौद	..				
6. शाजापुर	..				
7. शुजालपुर	..				
8. कालापीपल	..				
9. गुलाना	..				

1	2	3	4	5	6
जिला देवास :	मिलीमीटर	2.	..	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) तुअर, उड्ड, मूँगमोठ, गन्ना अधिक. कपास, मूँगफली कम. (2) उपरोक्त फसलें समान.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.
1. सोनकच्छ	..				7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
2. टोंकखुर्द	..				
3. देवास	..				
4. बागली	..				
5. कनौद	..				
6. खातेगांव	..				
जिला झाबुआ :	मिलीमीटर	2.	..	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) सोयाबीन, मूँगफली अधिक. मक्का कम, कपास, तुअर, धान समान. (2) उपरोक्त फसलें समान.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.
1. थांदला	..				7. .. 8. पर्याप्त.
2. मेघनगर	..				
3. पेटलावद	..				
4. झाबुआ	..				
जिला अलीराजपुर :	मिलीमीटर	2.	..	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) सोयाबीन, कपास अधिक. ज्वार, मक्का, बाजरा, धान, मूँगफली, उड्ड समान. (2) उपरोक्त फसलें समान.	5. .. 6. संतोषप्रद,
1. जोवट	4.6				7. पर्याप्त. 8. ..
2. अलीराजपुर	2.4				
3. सोण्डवा	..				
4. कट्टीवाड़ा	5.0				
5. च. शेखर आजाद नगर	7.0				
जिला धार :	मिलीमीटर	2.	..	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) सोयाबीन, कपास, मक्का अधिक. (2) उपरोक्त फसलें समान.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.
1. बदनावर	157.4				7. .. 8. पर्याप्त.
2. सरदारपुर	122.6				
3. धार	159.8				
4. कुक्सी	67.4				
5. मनावर	108.0				
6. धरमपुरी	113.0				
7. गंधवानी	95.0				
8. डही	62.0				
जिला इन्दौर :	मिलीमीटर	2.	..	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) .. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.
1. देपालपुर	..				7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
2. सांवर	..				
3. इन्दौर	..				
4. महू (डॉ. अब्देकरनगर)	..				
जिला प. निमाड़ :	मिलीमीटर	2.	..	3. .. 4. (1) ज्वार, मक्का, धान, बाजरा, कपास मूँगफली, तुअर समान. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.
1. बड़वाह	..				7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
2. सनावद	..				
3. महेश्वर	..				
4. सेगांव	..				
5. करही	..				
6. खरगौन	..				
7. गोगावां	..				
8. कसरावद	..				
9. मुल्ठान	..				
10. भगवानपुरा	..				
11. भीकनगांव	..				
12. शिरन्या	..				

1	2	3	4	5	6
*जिला बड़वानी :	मिलीमीटर	2.	..	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. .. 6. ..
1. बड़वानी	..				7. .. 8. ..
2. ठीकरी	..				
3. राजपुर	..				
4. सेंधवा	..				
5. पानसेमल	..				
6. पाटी	..				
7. निवाली	..				
जिला पूर्व निमाड़ :	मिलीमीटर	2.	..	3. .. 4. (1) सोयाबीन समान. (2) उपरोक्त फसल सुधरी हुई.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.
1. खण्डवा	..				7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
2. पंथाना	..				
3. हरसूद	..				
जिला बुरहानपुर :	मिलीमीटर	2.	..	3. .. 4. (1) कपास, मूँगफली, तुअर समान. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.
1. बुरहानपुर	40.6				7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
2. खकनार	224.4				
3. नेपानगर	116.0				
जिला राजगढ़ :	मिलीमीटर	2.	..	3. .. 4. (1) सोयाबीन, मूँगफली अधिक. गना, च्चार, तुअर कम. मक्का समान. (2) उपरोक्त फसलें समान.	5. .. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.
1. जीरापुर	130.5				7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
2. खिलचीपुर	73.8				
3. राजगढ़	66.9				
4. ब्यावरा	168.4				
5. सारंगपुर	137.1				
6. नरसिंहगढ़	137.2				
जिला विदिशा :	मिलीमीटर	2.	..	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) .. (2) ..	5. .. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.
1. लटेरी	111.0				7. .. 8. पर्याप्त.
2. सिरोंज	72.3				
3. कुरवाई	128.6				
4. बासौदा	112.6				
5. नटेरन	99.0				
6. विदिशा	111.0				
7. ग्यारसपुर	131.0				
जिला भोपाल :	मिलीमीटर	2.	..	3. .. 4. (1) सोयाबीन, धान अधिक. मक्का, मूँगफली, गना कम. (2) उपरोक्त फसलें समान.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.
1. बैरसिया	595.8				7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
2. हुजूर	1221.4				
जिला सीहोर :	मिलीमीटर	2.	..	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.
1. सीहोर	..				7. .. 8. पर्याप्त.
2. आष्टा	..				
3. इछावर	..				
4. नसरुल्लागंज	..				
5. बुधनी	..				

1	2	3	4	5	6
*जिला रायसेन :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. .. 6. ..	7. .. 8. ..
1. रायसेन	..				
2. गैरतगंज	..				
3. बेगमगंज	..				
4. गोहरगंज	..				
5. बरेली	..				
6. सिलवानी	..				
7. उदयपुरा	..				
जिला बैतूल :	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) सोयाबीन, मक्का, ज्वार अधिक. (2) उपरोक्त फसलें समान.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. भैसदेही	281.4				
2. घोड़डोंगरी	425.8				
3. शाहपुर	298.8				
4. चिचोली	339.2				
5. बैतूल	354.9				
6. मुलताई	338.0				
7. आठनेर	185.1				
8. आमला	381.0				
जिला होशंगाबाद :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) गना, तिल, मूँगफली, तुअर समान. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. सिवनी-मालवा	228.0				
2. होशंगाबाद	161.9				
3. बाबई	172.0				
4. इटारसी	238.2				
5. सोहागपुर	187.2				
6. पिपरिया	155.0				
7. वनखेड़ी	169.6				
8. पचमढ़ी	462.0				
जिला हरदा :	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) सोयाबीन. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. हरदा	..				
2. खिड़किया	..				
3. टिमरनी	..				
जिला जबलपुर :	मिलीमीटर	2. रोपाई का कार्य चालू है.	3. .. 4. (1) धान, उड़द, सोयाबीन तिल. (2) उपरोक्त फसलें समान.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. .. 8. पर्याप्त.
1. सीहोरा	105.8				
2. पाटन	203.0				
3. जबलपुर	182.7				
4. मझौली	83.2				
5. कुण्डम	241.0				
जिला कटनी :	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) धान, मक्का, तिल, सोयाबीन, राहर, कोदो, उड़द. (2) उपरोक्त फसलें समान.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. कटनी	144.5				
2. रीठी	122.0				
3. विजयराघवगढ़	125.0				
4. बहोरीबंद	67.0				
5. ढीमरखेड़ी	171.0				
6. बरही	108.0				
7. बड़वारा	161.0				

1	2	3	4	5	6
*जिला नरसिंहपुर :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) .. (2)	5. .. 6.	7. .. 8. ..
1. गाडवारा	..				
2. करेली	..				
3. नरसिंहपुर	..				
4. गोटेगांव	..				
5. तेन्दूखेड़ा	..				
जिला मण्डला :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी का कार्य चालू है.	3. .. 4. (1) धान, मक्का, कोदो, तुअर, तिल, सन सुधरी हुई. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. निवास	90.7				
2. बिछिया	18.6				
3. नैनपुर	31.2				
4. मण्डला	91.2				
5. नारायणगंज	81.8				
6. घुघरी	14.6				
*जिला डिण्डोरी :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. .. 6. ..	7. .. 8. ..
1. डिण्डोरी	..				
2. शाहपुरा	..				
जिला छिन्दवाड़ा :	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) .. (2) ..	5. .. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. छिन्दवाड़ा	..				
2. जुन्नारदेव	..				
3. परासिया	..				
4. जामई (तामिया)	..				
5. सोंसर	..				
6. पांदुर्णी	..				
7. अमरवाड़ा	..				
8. चौरई	..				
9. बिछुआ	..				
जिला सिवनी :	मिलीमीटर	2. रामतिल की बोनी का कार्य चालू है.	3. .. 4. (1) धान, मक्का, तुअर, तिल अधिक, ज्वार, कोदो-कुटकी, उड़द, मूँगफली, सोयाबीन, सन कम, मूँग समान. (2) उपरोक्त फसलें समान.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. सिवनी	165.6				
2. केवलारी	115.0				
3. लखनादौन	199.6				
4. बरधाट	124.8				
5. कुरई	183.0				
6. घंसौर	213.0				
7. धनोरा	176.3				
8. छपारा	113.2				
जिला बालाघाट :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. बालाघाट	176.6				
2. लाँजी	100.7				
3. बैहर	121.0				
4. वारासिवनी	87.6				
5. कटंगी	186.8				
6. किरनापुर	..				

टीप.— *जिला गुना, शाहडोल, नीमच, बड़वानी, रायसेन, नरसिंहपुर, डिण्डोरी से पत्रक अप्राप्त रहे हैं।

(700)

राजीव रंजन,

आयुक्त,

भू-अभिलेख, मध्यप्रदेश।

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन-सामग्री, मध्यप्रदेश, भोपाल द्वारा प्रकाशित तथा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, ग्वालियर द्वारा मुद्रित-2013।